

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

MUMBAI PORT AUTHORITY



वार्षिक लेखा

2024-25

ANNUAL ACCOUNTS

2024-25

उस पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट

THE AUDIT REPORT THEREON

वर्ष 2024-2025 की रिपोर्ट में लेखापरीक्षा संबंधी
आपत्तियों /अवलोकनों आदि पर की गयी कार्यवाई
के विवरण सहित

WITH ACTION TAKEN NOTES ON
AUDIT OBJECTIONS/OBSERVATIONS CONTAINED
IN THE REPORT FOR THE YEAR 2024-2025

विषय सूची CONTENTS

31 मार्च 2025 का तुलनपत्र / Balance Sheet As At 31st March 2025	1-8	
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा/ Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2025.....	9-14	
31 मार्च 2025 के तुलनपत्र की अनुसूचियाँ Schedules To Balance Sheet As At 31st March 2025		
	नकदी-प्रवाह / Cash Flow	15
अनुसूची I/ Schedule I	आरक्षित और निधि / Reserves and Funds	16-17
अनुसूची II/ Schedule II	पूंजी परिसंपत्तियाँ/ Capital Assets	18-19
अनुसूची III/ Schedule III	निवेश सूची / List of Investments	20-21
अनुसूची IV/ Schedule IV	फुटकर देनदारी / Sundry Debtors	22
अनुसूची V/ Schedule V	बैंक में शेष और हाथ में नकद/ Balances at Banks and Cash in Hand	23
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा की अनुसूचियाँ Schedule to Profit & Loss Account For The Year Ended 31st March 2025		
अनुसूची VI/ Schedule VI	जहाजी माल की सम्वहलाई और भंडारण प्रभार/ Cargo Handling and Storage Charges.....	24
अनुसूची VII/ Schedule VII	नौवहन के लिए पत्तन और गोदी की सुविधाएं/ Port and Dock Facilities for Shipping.....	25
अनुसूची VIII/ Schedule VIII	रेल संचालन/ Railway workings.....	26
अनुसूची IX/ Schedule IX	किराये योग्य भूमि और इमारतें/ Rentable Lands and Buildings.....	27
अनुसूची X/ Schedule X	प्रबंधन और सामान्य प्रशासन/ Management and General Administration.....	28
अनुसूची XI/ Schedule XI	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष में हुए लेखा का प्रकारानुसार परिचालन व्यय/ Operating Expenditure by Types for the year ended 31st March 2025.....	29-30
अनुसूची XII/ Schedule XII	वित्त और विविध व्यय/ Finance and Miscellaneous Expenditure	31
31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर टिप्पणियाँ/ Notes on accounts for the year ended 31.03.2025.....	32-52	
31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट/ Separate Audit Report on the Accounts of the Mumbai Port Authority for the year ended 31.03.2025.....	53-68	
31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण की पृथक लेखा परीक्षा में लेखों पर टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियाँ./ Action Taken Note on the Audit Report on the Accounts of the Mumbai Port Authority for the year ended 31.03.2025.....	69-90	
अस्वीकरण / Disclaimer.	91	

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Balance Sheet As At 31st March 2025
31.03.2025 का तुलन पत्र

(₹. करोड़ में / ₹. In Crore)

As at 31st March 2024		Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2025	
I. SOURCES OF FUNDS / निधियों के स्रोत				
Not Applicable / लागू नहीं		1. Shareholders Fund / भागधारकों के निधि	Not Applicable / लागू नहीं	
		(Applicable for corporatised ports only) (केवल निगमीकृत पोर्ट्स के ही लागू हैं)		
1,689.18		2. Reserves & Surplus (Schedule I) / आरक्षित और अधिशेष (अनुसूची-I)		
		a. Capital Reserve / पूंजी आरक्षित	1,638.39	
		b. Revenue Reserves / राजस्व आरक्षित		
(460.25)		i. General Reserve / सामान्य आरक्षित	(314.94)	
145.31		Less: Balance of Profit & Loss/ घटायें: लाभ और हानी का शेष	(1,030.70)	
(314.94)			(1,345.64)	
140.15		ii. Fire and Motor Insurance Fund / अग्नि और मोटर बीमा निधि	140.15	
0.02		iii. War Memorial Fund / युद्ध संस्मरण निधि	0.02	
0.01		iv. Employees' Welfare Fund / कर्मचारी कल्याण निधि	0.01	
6.00		v. Centenary Commemoration Fund / शताब्दी स्मारक निधि	13.58	
(168.76)			(1,191.88)	
882.53		c. Statutory Reserves / वैधानिक आरक्षित		
-		i. Fund for replacement, rehabilitation and modernisation of capital assets / पूँजी परिसंपत्तियों के बदलाव, पुनः स्थापन और आधुनिकीकरण के लिए निधि	1,009.59	
12.79		ii. Fund for development, repayment of loans and contingencies / विकास, ऋणों की अदायगी और अनुषंगिक खर्चों के लिए निधि	13.16	
-		iii. Fund for Corporate Social Responsibility / कर्मचारी (पोर्ट) के सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए निधि	17.34	
17.22		iv. Capital Investment fund / कैपिटल इन्वेस्टमेंट निधि	178.72	
912.54			1,218.81	
		3. Grant-In-Aid/ सहायता अनुदान		
133.40		i) Upgradation/modernisation of International Cruise Terminal at Indira Docks अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, इंदिरा डॉक्स का उन्नयन/आधुनिकीकरण		
34.34		a) Grant Received from Ministry of Shipping (SagarMala)/ जहाज मंत्रालय से प्राप्त अनुदान (सागरमाला)	132.19	
133.38		b) Grant Received from Ministry of Tourism/ पर्यटन मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	42.50	
3.84		ii) Grant Recd for Construction of Third Chemical Berth/ तीसरे रासायनिक घाट के निर्माण के लिए प्राप्त अनुदान	-	
24.00		iii) Grant received from Ministry Of Shipping for "Development of Tourism Infra alongside KALH"/ कान्होजी आंग्रे लाइट हाउस के पर्यटन सुविधा के विकास के लिए जहाज मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	3.84	
15.62		iv) Grant recd from Ministry of Fisheries for Development of Mallet Bunder Fishing Hourbour, Mazgaon under PMMSY-Scheme Code No.3890/ PMMSY योजना के तहत, मैलेट बंदर- मझगांव मत्स्योद्योग के विकास के लिए, योजना कोड संख्या 3890, मत्स्योद्योग मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	47.67	
1.14		v) SCADA Project /स्काडा परियोजना	-	
345.72		vi) Interest on Govt. Grant payable to Ministry/ सरकारी अनुदान पर ब्याज मंत्रालय को देय	-	
2,778.68		C/F अग्रणीत	226.20	
			1,891.52	

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Balance Sheet As At 31st March 2025
31.03.2025 का तुलन पत्र

(₹. करोड़ में / ₹. In Crore)

As at 31st March 2024	Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2025
2,778.68	B/F आगे लाये गये	1,891.52
	4. Loan Funds / ऋण निधि	
	a. Secured Loans / तारणसहित ऋण	
	Debentures / ऋणपत्र	
	Loans and advances from/ निम्न से ऋण तथा पेशगीयां	
	Banks / बैंक	
	Ports (indicate portwise details of balances)/पत्तन (शेष राशियों के बारे में पत्तनवार सुचित)	
	Financial institutions / वित्तीय संस्था	
	Others / अन्य	
	b. Government Loans / सरकार से ऋण	
	c. Loan from International Aid Agencies/आंतरराष्ट्रीय सहायता एजांसियों से ऋण	
	d. Unsecured Loans / तारणरहित ऋण	
	Fixed Deposits / नियत जमा	
	5. Advances from / निम्न से पेशगीयाँ	
6.88	i) Advances received from Oil PSUs towards cost sharing of construction of JD-5 project/ जेडी -5 परियोजना के निर्माण की लागत साझा -तेल पीएसयू से प्राप्त अग्रिम	14.35
58.24	ii) Upfront fees amortised(CoastGuard)/ परिशोधित अग्रिम शुल्क(तटरक्षक बल)	55.59
22.61	iii) Advance received from MMRDA for Reconstruction of STP sheds/ एसटीपी शेडों के पुनर्निर्माण के लिए एमएमआरडीए से प्राप्त अग्रिम	22.61
0.14	v) Upfront fees received from Sri Modern Weigh System T. No.MEED 08/ 2021, To Be Amortised for 10 years/ श्री.मॉडर्न वेट सिस्टम टैंडर नंबर MEED.08/2021 से प्राप्त अग्रिम शुल्क 10 वर्षों के लिए परिशोधित किया जाएगा	0.12
0.90	vi) Amortised Upfront fees received from Concessionaire in r/o KALH Island/ रियायतग्राही से कान्होजी आंग्रे लाइट हाउसके संबंधमें प्राप्त परिशोधन अग्रिम शुल्क	0.87
7.50	vii) Upfront fees received from Ballard Pier Pvt. Ltd. / बॉलर्ड पियर प्रा.लि. से प्राप्त परिशोधन अग्रिम शुल्क	13.13
94.12	viii) Upfront fees amortised(CoastGuard)/ परिशोधित अग्रिम फीस (तटरक्षक बल)- for 131D Shed	90.88
127.37	ix) Upfront Fees (Bihar Govt.) allot. of Plot No.136/ अग्रिम शुल्क (बिहार सरकार) आवंटन प्लॉट संख्या 136	127.43
34.50	x) Upfront Fees from HPCL (PirPau) 30 years Tankages/ एचपीसीएल (पिरपाउ) से अग्रिम शुल्क 30 साल टैंकैज	241.50
4.59	xi) Upfront Fees-AEGIS Triangular Plot Pirpau-30yr Tankages / अग्रिम शुल्क-AEGIS त्रिकोणीय प्लॉट पिरपाउ-30 साल टैंकैज	24.84
333.57	xii) Upfront Fees-RBI-Ekta Nagar-60 yrs / अग्रिम शुल्क- आरबीआई-एकता नगर - 60 साल	328.81
265.20	xiii) Upfront Fees-Mazgoan Dock Ltd.-29years / अग्रिम शुल्क-मझगांव डॉक लिमिटेड -29 साल	256.06
	xiv) Up. Fees-MDL-Old lease renewal-29yrs-010424-310353	357.91
	xv) Up. Fees-JNPA-Mallet Bunder-30 Yrs 010425-310355	153.65
	xvi) Up Fees-AEGIS T Pirpau Plot No. 478 -30yr Tankages	2.63
	xvii) Up Fees-ONGC-DCT-5Yrs 16-09-2024 To 15-09-2029	4.94
	6. Loans and advances from:/ से ऋण और अग्रिम	
	Banks / बैंक	
	Ports (indicate portwise details of balances)	
	पत्तन (शेष राशियों के बारे में पत्तनवार सुचित करें)	
	Financial institutions / वित्तीय संस्था	
	Others / अन्य	
	7. Short term loans and advances from:	
	निम्न से अल्पवधी ऋण तथा पेशगीयां	
	Banks / बैंक	
	Ports (indicate portwise details of balances)	
	पत्तन (शेष राशियों का पत्तनवार विवरण)	
	Financial institutions / वित्तीय संस्था	
	Others / अन्य	
	8. Other Loans and advances from:/ निम्न से अन्य ऋण तथा पेशगीयां	
	Banks / बैंक	
	Ports (indicate portwise details of balances)	
	पत्तन (शेष राशियों का पत्तनवार विवरण)	
	Financial institutions / वित्तीय संस्था	
	Others / अन्य	
955.62		1,695.29
	Deferred Tax Liability / आस्थगित आयकर देयताएँ	
3,734.30	TOTAL / कुल योग	3,586.81

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Balance Sheet As At 31st March 2025
31.03.2025 का तुलन पत्र

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

As at 31st March 2024		Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2025	
II. Application of Funds/ निधियों का विनियोग				
1. Fixed/Capital Assets (Schedule-II)				
		नियत / पूंजी परिसंपत्तियां (अनुसूची)		
7.43		(a) Free hold land / पूर्ण स्वामित्व भूमी	7.43	
-		(b) Lease hold land / पट्टेपर दी गयी भूमी	-	
227.18		(c) Capital Dredging / पूंजी निर्वर्षण	317.57	
137.11		(d) Building Sheds and other structures/ ईमारतें, शेड, अन्य संरचनाएं	137.54	
206.40		(e) Wharves, Roads, Boundaries/ घाट, सडके चहारदिवारियाँ	249.81	
79.19		(f) Floatilla and Floating Craft/ फ्लोटिला तथा प्लावी यान	79.19	
47.40		(g) Railway and Rolling Stock/ रेल्वे तथा रेल्वे इंजन, गाडिया, रेल्वे यान आदि	47.40	
855.67		(h) Docks,Sea-Walls,Piers and Navigational Aids/ गोदियाँ , समुद्री दीवारें , स्तंभ एवं दिक्वालन साधन	932.30	
-		(i) Cranes and Vehicles / क्रेन और वाहन	-	
45.27		(j) Plant & Machinery / संयंत्र और मशीनें	11.37	
66.46		(k) Installations for Water, Electricity,Telecommunication & Fire Fighting/ जल, बिजली, दूरसंचार और अग्निशमन के लिये संस्थापनाएं	69.89	
280.41		(l) Oil Pipelines Installations / तेल पाईप लाईन संस्थापनाएं	150.01	
505.58		(m) Transferable Development Rights	505.58	
		जोड (a) से (l) / Total (a) to (l)		
	2,458.10	Capital Work in Progress / चालू पूंजी कार्य		2,508.08
	1,096.36	Less : Depreciation / घटाएँ : मूल्य ह्रास		969.35
	1,491.10	2. Investments (Schedule III) / निवेश (अनुसूची - III)	1,564.90	1,912.53
Government or Trust securities/ सरकारी अथवा न्यास की प्रतिभुतियाँ				
		<u>Shares, Debentures or bonds/ समभाग, ऋणपत्र अथवा बंधपत्र</u>		
4.50		Share Capital (IPRCL) / आईपीआरसीएल में समभाग	4.50	
0.31		SBI-Life LE Investment/ एस बी आई लाइफ अवकाश नगदीकरण निवेश	0.33	
0.15		Mumbai Port Sustainability Foundation/ मुंबई पोर्ट सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन	0.15	
Investment properties / निवेश संपत्ति				
		Others / अन्य		
9.00		Investment against Centenary Commemoration Fund / शताब्दी स्मारकनिधि से किये गये निवेश	13.55	
-		Fund for Development, Repayment of Loans and Contingencies/ विकास, ऋणों की अदायगी और अनुषंगिकता केलिये निधि	9.00	
987.00		Investment against Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of capital assets / पूंजी परिसंपत्तियों के बदलाव, पुनःस्थापन और आधुनिकीकरण के लिए निधि से किये गये निवेश	1,012.88	
722.76		Investment against Capital Investment Fund	178.74	
-		Investment against Provident Fund / भविष्य निधि से किये गये निवेश	629.79	
-		Investment/Redemption in SBI Overnight Fund/ एसबीआय ओवरनाईट फंड में निवेश / रिडंप्शन	-	
-		Investment of CSR Fund	17.22	
-		Investment in FDRS	97.61	
-		PF Invest/Redemption in-SBI NIFTY INDEX FUND	2.50	
-		PF Invest/Redemption in-SBI BSE SENSEX INDEX FUND	2.50	
	1,723.72		1,968.77	
	3,787.08	C/F अग्रनीत		3,881.30

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Balance Sheet As At 31st March 2025
31.03.2025 क तुलन पत्र

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

As at 31st March 2024		Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2025	
3,787.08		B/F आगे लाये गये	3,881.30	
	3,787.08			3,881.30
		Quoted Investments as at 31st March 2023 दिनांक ३१ मार्च २०२३ को उद्धृत निवेश Face Value / अंकित मूल्य Market Value / बाजार मूल्य Include securities maturing within one year of the date of the Balance sheet तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष में जिनकी अवधि पूरि होनेवाली है उन प्रतिभूतियों का समावेश करें।		
		3. Current Assets, Loans And Advances/वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा पेशगियाँ		
		a. Current Assets / वर्तमान परिसंपत्तिया		
		(i) Interest accrued on investments/निवेश पर प्रोदभूत ब्याज		
	31.54	(a) Other Funds / अन्य निधि		42.42
	33.14	(b) PF investments / भविष्य निधि निवेश		28.15
	6.78	(ii) Inventories/ वस्तुसूची		9.00
		(iii) Sundry Debtors (**)(Schedule IV) फुटकर देनदारी (अनुसूची - IV)		
1,101.98		(a) Government dues / सरकारी देयताएँ	3,717.47	
2,528.66		(b) Interport dues/ आंतरपत्तन देयताएँ	-	
20.26		(c) Non government dues / गैर सरकारी देयताएँ		
1,478.19	2,132.19	Less : Provision for Doutful debts. / घटाएँ: ऋण के लिए प्रावधान	20.26	
		Less : Provisions for unrecovered Estate Rentals / घटाएँ: वसूल न किए गए सम्पदा किरायों के लिए प्रावधान	1,449.08	2,248.13
		गैरसरकारी देयताएँ		
		** Particulars to be given separately of : debts considered good and fully secured debts considered good but not secured and debts considered doubtful or bad निम्न विवरण अलग अलग दिया जाए तारणसहित और प्राप्य माने गए ऋण प्राप्य माने गए लेकिन तारणविरहित ऋण सदिग्ध या अप्राप्य माने गए ऋण		
		(iv) Cash & Bank Balances (Schedule V) रोकड तथा बैंकशेष (अनुसूची - V)		
	0.60	Cash balance on hand / हाथ में उपलब्ध रोकड		0.62
	374.15	Bank balances / बैंकों में शेष राशि		
25.46		With scheduled banks / अनुसूचित बैंकों में		49.40
32.73	58.19	CLTD Revenu Account / CLTD राजस्व खाता	15.19	
		Fixed Deposit-Others / सावधी जमा- अन्य	32.73	47.92
		SBI Overnight Fund		
		- PF		2.50
	85.00	- Others		
	24.51	With others / अन्य बैंकों में		
	6,533.18			2,428.14
	6,533.18	C/F अग्रनीत		6,309.44

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Balance Sheet As At 31st March 2025
31.03.2025 का तुलन पत्र

(₹. करोड़ में / ₹. In Crore)

As at 31st March 2024		Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2025	
	-		-	6,309.44
	6,533.18	B/F आगे लाये गये		
1,004.90		b. Loans & Advances / ऋण तथा पेशगिर्यो (i) Advances and loans to subsidiaries/ports सहायक कंपनियों / बंदरगाहों को दिए गए अग्रिम और ऋण (ii) Bills of Exchange / हुंडी विनिमय पत्र (iii) Advances recoverable in cash or in kind or the value to be received / रोकड अथवा वस्तुरूपमें वसुली योग्य पेशगी अथवा प्राप्य मूल्य Less: Advances considered Doubtful Of the above, Loans and Advances घटाए: उपरोक्तमें से संदेहात्मक समझी गयी ऋण तथा पेशगिर्यो a. Fully Secured / तारणसहित b. Unsecured, Considered Good /असुरक्षित, अच्छी मानी गयी c. Considered Doubtful / संदेहात्मक मानी गयी	824.89	
	1,004.90		824.89	
	7,538.08	C/F अग्रनीत		7,134.33

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Balance Sheet As At 31st March 2025
31.03.2025 का तुलन पत्र

(₹. करोड़ में / ₹. In Crore)

As at 31st March 2024		Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2025	
	7,538.08	B/F आगे लाये गये		7,134.33
		Less: Current Liabilities & Provisions घटाएँ: वर्तमान देयताएँ तथा प्रावधान		
		a. Current Liabilities / वर्तमान देयताएँ		
114.43		(i) Pension Fund / निवृत्ति वेतन निधि	117.02	
750.61		(ii) Provident Fund / भविष्य निधि	656.03	
(44.73)		(iii) Gratuity Fund/ उपदान निधि	(45.78)	
2.38		(iv) National Pension Scheme/ राष्ट्रीय पेंशन योजना	2.51	
		(v) Sundry Creditors / विविध लेनदार		
		Salaries & Wages Payable / देय वेतन और मजदूरी	0.00	
71.90		Liability towards Capital Expenses / पुंजीगत व्यय के लिए दायित्वें	83.63	
		Unadjusted Sale proceeds of/ असमायोजित विक्री प्राप्तियाँ:		
64.63		Unclaimed goods / अदावी माल	69.89	
23.09		Surplus Material / अतिरिक्त सामग्री	27.92	
3.38		Stores / भंडार	3.90	
219.74		Accrued Expenses / प्रोद्भूत व्यय	154.84	
		Miscellaneous creditors and credit balances Other than interest on port specific investments पत्तन के विशिष्ट निवेशों पर का ब्याज छोड़कर प्रकिर्ण लेनदार और जमा शेष		
		Demurrage payable to Railways / रेलवे को देय विलंबशुल्क		
356.18		Statutory Payments / वैधानिक भुगतान	156.73	
		Others / अन्य		
		Miscellaneous creditors and credit balances Other than interest on port specific investments/ प्राकिर्ण लेनदार और जमा शेष पत्तन के विशिष्ट निवेशों पर ब्याज		
400.03		Provision for Pension/ पेंशन के लिए प्रावधान	600.00	
-		Provision for Gratuity	24.77	
877.55		Others / अन्य	689.90	
8.50		Centenary Commemoration Fund/ शताब्दी संस्मरण निधि	-	
1,644.21		Advances from Merchants, Contractors & others/ व्यापारियों ठेकेदारों तथा अन्यो से प्राप्त अग्रिम	1,825.91	
		Cash / रोकड		
		Securities / बयाणा जमा		
		Less: Securities at Face Value Held against deposits from Merchants, contractors & others		
		घटाईएँ: व्यापारियों ठेकेदारों तथा अन्यो से प्राप्त जमा के तहत धारण किए प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य		
		(vi) Amounts due to other ports for services सेवा के लिए अन्य पत्तनों को देय राशि		
		(vii) Other liabilities / अन्य देयताएँ (Revenue A/c temporarily overdrawn)		
	4,491.90	राजस्व खाते से कुछ समय के लिए निकली गयी ज्यादा राशि		4,367.26
	3,046.18	C/F अग्रनीत		2,767.07

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Balance Sheet As At 31st March 2025
31.03.2025 का तुलन पत्र

(₹ करोड़ में / ₹. In Crore)

As at 31st March 2024		Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2025	
	3,046.18	B/F आगे लाये गये		2,767.07
	103.26	b. PROVISIONS / प्रावधान (i) For Contingencies / आकस्मिकता के लिए (ii) For taxation (net of taxes paid) करों के लिए (भुगतान किया वास्तविक कर) (iii) Other provisions / अन्य प्रावधान		103.26
	2,942.92			103.26
	2,942.92	Net Current Assets/ कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		2,663.81
	783.32	Deferred Tax Asset आस्थागीत कर संपत्ती वास्तविक वर्तमान परिसंपत्तियाँ Miscellaneous Expenditure (To the extent not written off) फुटकर खर्च (बट्टे खाते में न डाला हुआ) a) Preliminary expenses / प्रारंभिक खर्च b) Expenses including commission or brokerage on underwriting or subscription of shares or debentures शेअर अथवा ऋणपत्र अंशदान पर दिए कमिशन अथवा ब्रोकरेज पर हुआ खर्च मिलाकर c) Discount allowed on the issue of shares or debentures शेअर अथवा ऋणपत्र जारी करते समय दी गयी छूट d) Interest paid out of capital during construction (also stating the rate of interest) निर्माण के दौरान पूंजी से किया गया ब्याज का भुगतान (ब्याज का दर बताते हुए)		915.03
	3,726.24	C/F अग्रणीत		3,578.84

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Balance Sheet As At 31st March 2025
31.03.2025 का तुलन पत्र

As at 31st March 2024		Particulars / ब्यौरा	(र. करोड में / र. In Crore)	
		B/F आगे लाये गये	As at 31st March 2025	
	3,726.24	e) Development expenditure not adjusted असमायोजित विकास खर्च		3,578.84
	8.06	f) Other items (Port Property Insurance Premium)/ अन्य मद (पत्तन संपत्ती बीमा किरत)	8.03	
	8.06			8.03
	3,734.30	Total कुल		3,586.81

तुलनपत्र और इसकी अनुसूचियों पर हस्ताक्षरकर्ता / Signatories to Balance Sheet and Schedules thereto


माधुरी वराडे

वित्तिय सलाहकर एवं मुख्य लेखाधिकारी
Madhuri Varade
Financial Adviser & Chief Accounts Officer



सुशील कुमार सिंह
अध्यक्ष
Sushil Kumar Singh
Chairperson

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2025

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानी लेख

(₹. करोड़ में / ₹. In Crore)

2023-24	Particulars / ब्यौरा	2024-25
	OPERATING INCOME / परिचालन आय	
	1. Cargo handling and storage charges पोतभार सम्हलाई तथा भंडारण प्रभार	
329.54	Handling and storage charges (excluding container) सम्हलाई तथा भंडारण प्रभार	367.05
318.34	P.O.L. Handling Charges पी.ओ.एल सम्हलाई प्रभार	310.41
6.60	Charges for container handling(including containerised cargo) कंटेनर सम्हलाई के लिए प्रभार (कंटेनर पोतभार सहित)	1.50
79.18	Stevedoring Charges / जहाजी कुली प्रभार	74.67
53.10	Demurrage / विलंब शुल्क	52.90
35.10	Miscellaneous income / फुटकर आय	38.08
821.86		844.61
821.86	C/F अग्रनीत	844.61

MUMBAI PORT AUTHORITY

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2025

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानी लेख

(₹. करोड़ में / ₹. In Crore)

2023-24		Particulars / ब्यौरा	2024-25	
	821.86	B/F आगे लायेगये		844.61
		2. Port and dock charges		
		पत्तन तथा गोदी प्रभार		
350.08		Fees for pilotage, towage etc.	345.26	
		पायलटेज, टोवेज के लिए प्रभार		
445.93		Berth hire charges, Pier Dues, Anchorage Fees etc.	476.40	
		घाट किराया शुल्क		
182.47		Port dues	257.81	
		पत्तन देय		
17.48		Dry docking charges	16.83	
		निर्जल गोदी प्रभार		
131.80		Miscellaneous income / फुटकर आय	133.35	
	1,127.76			1,229.65
		3. Railway earnings		
		<u>रेल आमदनी</u>		
2.73		Freight and haulage	1.02	
		भाडा और कर्मण प्रभार		
0.44		Siding charges	0.07	
		साइडिंग प्रभार		
2.34		Terminal charges	0.69	
		टर्मिनल प्रभार		
4.15		Miscellaneous income / फुटकर आय	2.81	-
	9.66			4.59
	1,959.28	C/F अग्रनीत		2,078.85

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2025

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानी लेख

(₹. करोड़ में / ₹. In Crore)

2023-24		Particulars / ब्यौरा	2024-25	
	1,959.28	B/F आगे लायेगये		2,078.85
		4. Estate Rentals		
		संपदा किराया		
263.00		Rent from land भूमि से किराया	292.32	
14.52		Rent from building, sheds, and Godowns इमारतें शेड तथा गोदामों से किराया	17.03	
8.15		Recoverable property taxes etc. वसूली योग्य सम्पत्ति कर आदि	8.47	
39.39		Miscellaneous income / फुटकर आय	64.09	
	325.06			381.91
	2,284.34	TOTAL OPERATING INCOME (a) / कुल परिचालन आय (अ)		2,460.76
		OPERATING EXPENDITURE / प्रचालन व्यय		
	286.50	1. Cargo handling and storage charges (Schedule VI) पोतभार सम्हलाई और भंडारण प्रभार (अनुसूची - VI)	239.48	
	225.85	2. Port and dock facilities for shipping(Schedule VII) नौवहन के लिए पत्तन तथा गोदी सुविधाएँ (अनुसूची - VII)	305.23	
	12.44	3. Railway workings (Schedule VIII) रेल संचालन (अनुसूची - VIII)	12.32	
	40.46	4. Rentable land and building (Schedule IX) किराये योग्य भूमि और इमारतें (अनुसूची - IX)	43.36	
	470.27	5. Management and General Administrative Expenses(Schedule X) प्रबंध तथा सामान्य प्रशासनिक खर्च (अनुसूची - X)	500.88	
	1,035.52	Total Operating Expenditure (b) (Schedule XI)/ कुल परिचालन व्यय (ब)(अनुसूची - XI)		1,101.27
	1,248.82	Operating Profit (a) - (b)/ परिचालन अधिशेष (अ) – (ब)		1,359.49

MUMBAI PORT AUTHORITY

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2025

31.03.2025 के समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानी लेख

(₹. करोड़ में / ₹. In Crore)

	2023-24	Particulars / ब्यौरा		2024-25
	1,248.82	B/F आगे लायेगये		1,359.49
		Add : Finance and Miscellaneous income		
		जोड़े : वित्त तथा फुटकर आय		
1.94		Interest on short term deposit/surplus investment/Cash balances अल्पावधि जमा / अधिशेष निवेश / नकद शेष पर ब्याज	0.15	
57.38		Interest on investments of Reserves/ भंडार के निवेश पर ब्याज	81.72	
9.21		Interest on delayed payments and other items/ विलंबित भुगतान और अन्य मदों पर ब्याज	10.21	
0.27		Interest chargeable to Leases/ Tenants for delayed payment of GST by them/ पट्टों / किरायेदारों द्वारा जीएसटी के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज प्रभार्य	0.06	
0.12		Interest on staff advances / कर्मचारियों को दी गयी पेशगी पर ब्याज	0.09	
3.71		Profit on sale/disposal of capital assets / पूंजीगत परिसंपत्तियों की विक्री निपटान से लाभ	0.19	
-		Profit on sale/Redemption of investment / निवेश की बिक्री/मोचन पर लाभ	2.16	
187.90		Prior period income पिछली अवधि की आय	238.48	
12.65		Sundry receipts / फुटकर प्राप्तियाँ	37.01	
	273.18			370.07
1,572.13		Less: Finance and Miscellaneous Expenditure (Schedule XII)	2,136.52	
		घटाइएँ: वित्त तथा फुटकर खर्च (अनुसूची - XII)		
200.00		Provision for pension/ पेंशन के लिए प्रावधान	600.00	
		Provision for Gratuity	24.77	
	1,772.13			2,761.29
	(250.13)	Surplus / अधिशेष		(1,031.73)
	(250.13)	Profit Before Tax(C/f) / करपूर्व लाभ (अग्रनीत)		(1,031.73)

MUMBAI PORT AUTHORITY

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2025

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानी लेख

(₹. करोड़ में / ₹. In Crore)

2023-24		Particulars / ब्यौरा	2024-25	
		B/F आगे लाये गये		
	(250.13)	PROFIT BEFORE TAX(b/f)/करपूर्व लाभ (आगे लाया गया)		(1,031.73)
		Add : Provision of Tax for the year 2008-09 written back / जोड़े: वर्ष 2008-09 के लिए कर का प्रावधान वापस लिखा गया		
		Less: Provision for taxation/ घटाएँ: कराधान हेतु प्रावधान		
		(i) Current Tax / चालू कर		
(459.59)		(ii) Deferred Tax / अस्थगित कर	(131.72)	
		(iii) Fringe benefit Tax / नौकरी सुविधा लाभ कर		
	(459.59)			(131.72)
	209.46	PROFIT AFTER TAX / कर पश्चात लाभ		(900.01)
	44.37	Add : Withdrawal from Employees Welfare Fund		56.33
		जोड़े : कर्मचारी कल्याण निधिसे निकसी		
	253.83	Total Deficit / Surplus कुल घाटा / अधिशेष		(843.68)
		Less : Appropriations		
		घटाइएँ: विनियोग		
3.71		Profit on Disposal of Capital Asset Trfd. Capital Reserve	0.19	
		पूँजीगत परिसंपत्तियों की विक्री निपटान से लाभ		
44.37		Employees Welfare Fund / कर्मचारी कल्याण निधि	56.33	
3.09		Corporate Social Responsibility / कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	0.13	
57.36		Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets	76.07	
		पूँजीगत परिसंपत्तियों के बदलाव, पुनःस्थापन और आधुनिकीकरण के लिए निधि		
		Transfer to capital investment fund	53.92	
		General Reserve / सामान्य आरक्षित		
		Fund for Development, Repayment of Loan & Contingencies	0.38	
		विकास, ऋण प्रतिदान तथा अनुषंगिक खर्चों के लिए निधि		
		Other funds (port specific) / अन्य निधि (पोर्ट विशिष्ट)		
		Fire & Motor Insurance Fund / अग्नि तथा मोटार विमा निधि		
	108.53			187.02
		Net Surplus / Deficit Transferred to Balance Sheet		
	145.30	कुल अधिशेष / घाटा तुलन पत्र में स्थानांतरित किया		(1,030.70)

लाभ और हानी लेख और इसकी अनुसूचियों पर हस्ताक्षरकर्ता / Signatories to Profit & Loss A/c. and Schedules thereto


माधुरी वराडे

वित्तीय सलाहकर एवं मुख्य लेखाधिकारी
Madhuri Varade
Financial Adviser & Chief Accounts Officer



सुशील कुमार सिंह
अध्यक्ष
Sushil Kumar Singh
Chairperson

MUMBAI PORT AUTHORITY

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2025

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानी लेख

(₹. करोड़ में / ₹. In Crore)

Typewise details of Operating Expenditure		2024-25	2023-24
(a) Payment to and provision for employees कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान			
i) Salaries, wages, bonus etc. वेतन, मजदूरी, बोनस आदि		526.95	577.76
ii) Companies contribution to provident and other funds भविष्य निर्वाह निधि तथा अन्य निधियों में कंपनी का अंशदान			
iii) Gratuity / उपदान			
iv) Workmen and staff welfare expenses कर्मगार तथा कर्मचारी कल्याण खर्च		86.90	68.52
(b) Operating expenses / परिचालन खर्च			
i) Repairs and Renewals		22.36	41.68
प्लान्ट और मशीनरी की मरम्मत (जहाज क्रफ्ट्स, क्रेन्स तथा सामान्य प्लान्ट और मशीनरी पर किया खर्च अलग दर्शाया जाए)			
ii) Other repairs / अन्य मरम्मत		43.35	34.93
iii) Stores / प्रयोग में लायी गयी सामग्री		32.43	41.40
iv) New minor works / नए छोटे कार्य		0.40	1.00
v) Maintenance Dredging		86.02	7.79
(c) General Expenses / सामान्य खर्च			
i) Rent, rates and taxes / किराया, दर और कर		4.06	4.15
ii) Audit Fees / लेखा परीक्षा शुल्क		0.65	0.76
iii) Water and electricity charges / जल तथा विद्युत प्रभार		64.65	33.07
iv) Communication expenses (including telephone, telex, fax etc. संचार व्यवस्था पर खर्च (दूरभाष, टेलीक्स, फैंक्स सहित)		0.43	0.42
v) Depreciation		73.50	75.88
vi) Other expenses / अन्य खर्च *		159.57	148.16
		1,101.27	1,035.52

CASH FLOW STATEMENT

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

PARTICULARS	For the Year ended As on 31.03.2025	For the Year ended As on 31.03.2024
A CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
NET SURPLUS BEFORE TAX	(1,031.73)	(250.12)
ADJUSTMENTS FOR		
DEPRECIATION INCL. PRIOR PERIOD - Add	- 105.71	68.13
Profit on sale/redemption	(2.16)	
PROFIT/LOSS ON SALE OF ASSETS - add	3.34	(3.71)
GST-INELIGIBLE	4.55	(2.33)
Income/Loss of Material Transfer	(1.93)	(2.18)
Salary Arrears	50.00	
Project Expense	-	(1.14)
PROVISION FOR PENSION	600.00	200.00
PROVISION FOR GRATUITY	24.77	
INTEREST/DIVIDEND INCOME	(84.03)	(59.54)
OPERATING PROFIT BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES	(331.48)	(50.89)
WORKING CAPITAL ADJUSTMENTS		
SUNDRY DEBTORS	(86.83)	(165.24)
AMORIZATION OF UPFRONT FEES	(33.17)	(11.44)
INVENTORIES	(2.22)	(0.32)
ADVANCES/DEBIT BALANCES	180.02	(86.77)
CREDITORS & PAYABLES	(124.64)	(149.96)
PREPAID INSURANCE	0.01	(1.51)
ACCURED INTEREST	(5.89)	(17.37)
TOTAL WORKING CAPITAL ADJUSTMENTS	(72.72)	(432.61)
NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES - A	(404.20)	(483.50)
B CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
PROFIT ON SALE OF ASSETS	0.19	3.72
INVESTMENT AGAINST PROVISION FOR PENSION	(400.00)	
ADDITION TO OF FIXED ASSET	(49.98)	0.58
CHANGE IN ACCUMULATED DEPRECIATION	(73.80)	
Profit on sale/redemption	2.16	
ADDITION TO CAPITAL WIP	(180.45)	(194.40)
INTEREST/DIVIDEND RECEIVED	84.03	59.54
LOSS ON SALE OF ASSETS	(3.53)	-
CHANGE IN INVESTMENTS	(243.89)	(293.66)
TOTAL CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES - B	(865.27)	(424.22)
C CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
GRANT FROM CENTRAL GOVERNMENT	54.63	117.30
UPFRONT FEES RECEIVED	772.84	770.74
TOTAL CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES - C	827.47	888.04
D INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND BANK BALANCES(A+B+C)	(442.01)	(19.64)
E OPENING CASH AND BANK BALANCES INCL. TDRs"	542.45	562.09
CLOSING CASH AND BANK BALANCES INCL. TDRs"	100.44	542.45
INCREASE/(DECREASE)	(442.01)	(19.64)

तुलन पत्र
और
लाभ और हानी लेख
की अनुसूचियाँ

***Schedules to the
Balance Sheet
And
Profit & Loss Accounts***

आरक्षिता और निधि	पूंजी आरक्षिता	सामान्य आरक्षित निधि	अग्नी और मोटर बीमा निधि	युद्ध स्मारक निधि
RESERVES AND FUNDS	Capital Reserve	General Reserve Fund	Fire & Motor Insurance Fund	War Memorial Fund
शेष ३१ मार्च २०२४ के Balance - 31st March 2024	1,689.18	-	140.15	0.02
Add: Contribution from Revenue Account -- राजस्व लेखे से अंतरण Transfers from Revenue Accounts.....	0.19			
अन्य आरक्षित और निधियों से अंतरण Transfers from Other Reserves & Funds				
पूंजी आरक्षित (i) Capital Reserve.....				
सामान्य आरक्षित निधि अन्य Misc./Other				
उपभोक्ता सहकारी भंडारों के ऋण Loans granted to Consumers' Co-operative Stores				
अर्धवार्षिक किस्तों और बकिया शेषपर ब्याज की वसूली Recovery of half-yearly instalments together with interest on the outstanding balances.....				
निवेशों पर ब्याज Interest on Investments.....				
घटाईये: (i) के अंतरण -- Less: Transfers to --				
(अ) राजस्व लेख (a) Revenue Account.....				
(ब) घाटा (c) Other Reserves & Funds (Capital Reservers).....				
(ii) भुगतान Payments.....				
(iii) अन्य अंतरण Other Transfers.....	50.98			
	50.98	-	-	-
Balance - 31st March 2025 / शेष - ३१ मार्च २०२५	1,638.39	-	140.15	0.02

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AS AT 31st March 2025

SCHEDULE - I

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

कर्मचारी कल्याण निधि	पूँजी परिसंपत्तियों के बदलाव, पुनःस्थापन और आधुनिकीकरण केलिये निधि	विकास, ऋणों की अदायगी और अनुबंधिकता केलिये निधि	शतब्दि स्मारक निधि	कंपनी (पोटी) का सामाजिक उत्तरदायित्व के लिये निधि	कैपिटल इन्वेस्टमेंट निधि	अवकाश नकदिकरण निधी
Employees' Welfare Fund	Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets	Fund for Development, Repayment of Loans and Contingencies	Centenary Commemoration Fund	Fund for Corporate Social Responsibility	Fund for Capital Investment	Leave Encashment Fund
0.01	882.53	12.79	6.00	17.22	-	-
56.33	50.98				52.09	
					126.63	
	76.08	0.37	7.58	0.12		
56.33						
56.33	-	-	-	-	-	-
0.01	1,009.59	13.16	13.58	17.34	178.72	-


Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

वार्षिक लेखा २०२४-२५
३१ मार्च २०२५ के तुलन पत्र की अनुसूचियां
अनुसूची - II
(₹. करोड़ में / ₹. In Crore)

पूंजी परिसंपत्तियां CAPITAL ASSETS	कुल ब्लॉक GROSS BLOCK				
	१ अप्रैल २०२४ संचय As at 1st April'2024	वर्ष में परिवर्धन Additions during the year	वर्ष में विलोपन Deletions during the year	वर्ष में की गयी समायोजन Adjustment during the year	३१ मार्च २०२५ के कुल As at 31st March'2025
I. भूमि LAND.....					
Freehold	7.43	0.00	0.00	0.00	7.43
Lease Hold					
II. पूंजी निर्वर्धन CAPITAL DREDDING.....	227.18	90.39	0.00	0.00	317.57
III. ईमारतें, शेड अन्य संरचनाएं BUILDINGS, SHEDS, OTHER STRUCTURE	137.10	0.43	0.00	0.00	137.53
IV. घाट, सड़के, चहारदियारियां WHARVES, ROADS, BOUNDARIES..	206.40	43.41	0.00	0.00	249.81
V. प्लावी यान FLOATING CRAFTS.....	79.19	0.00	0.00	0.00	79.19
VI. रेलवे और चल स्टॉक RAILWAY & ROLLING STOCK.....	47.40	0.00	0.00	0.00	47.40
VII. गोदिया, समुद्री दीवारें, स्तंभ, दिक्कालन साधन DOCKS, SEA-WALLS, PIERS AND NAVIGATIONAL AIDS.....	855.67	217.09	0.00	140.46	932.30
VIII. क्रेन और वाहन CRANES AND VEHICLES.....	45.27	0.00	33.90	0.00	11.37
IX. संयंत्र और मशीनें PLANT AND MACHINERY.....	66.46	30.22	5.34	21.44	69.90
X. जल, बिजली, दूरसंचार और अग्निशमन केलिये संस्थाएं INSTALLATIONS FOR WATER, ELECTRICITY, TELECOMMUNICATION AND FIRE-FIGHTING.....	280.41	2.59	0.00	133.00	150.00
XI. तेल पाईप लाईन संस्थापनाएं OIL PIPE LINE INSTALLATIONS.....	505.58	0.00	0.00	0.00	505.58
XII. INTANGIBLE ASSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़। से XI / Total I to XI	2458.09	384.13	39.24	294.90	2508.08
XIII. चालू पूंजी कार्य CAPITAL WORKS IN PROGRESS					
PLAN WORKS	1078.80	1181.67	1291.64		968.83
NON-PLAN WORKS	17.56	10.64	27.68		0.52
	1096.36	1192.31	1319.32	0.00	969.35
कुल जोड़ Grand Total	3554.45	1576.44	1358.56	294.90	3477.43

ANNUAL ACCOUNTS 2024-25

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AS AT 31ST March 2025

SCHEDULE - II

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

मूल्यहास DEPRECIATION				शुद्ध ब्लॉक NET BLOCK	
१ अप्रैल २०२४ संचय Accumulation as at 1st April'2024	वर्ष में की गयी प्रावधान Provision made during the year	वर्ष में विलोपन आदि से समायोजन Adjustment on deletions, etc., during the year	३१ मार्च २०२५ के कुल Total as at 31st March 2025	३१ मार्च २०२५ के As at 31st March 2025	३१ मार्च २०२४ के As at 31st March 2024
0.00	0.00	0.00	0.00	7.43	7.43
61.79	9.85	0.00	71.64	245.93	165.39
108.10	3.23	0.00	111.33	26.20	29.00
178.85	41.87	0.00	220.72	29.09	27.55
68.82	3.13	0.00	71.95	7.24	10.37
18.28	0.77	0.00	19.05	28.35	29.12
464.13	29.68	27.12	466.69	465.61	391.54
36.88	1.59	5.35	33.12	-21.75	8.39
49.64	2.25	0.00	51.89	18.01	16.82
118.50	3.25	0.00	121.75	28.25	161.91
386.10	10.66	0.00	396.76	108.82	119.48
1491.09	106.28	32.47	1564.90	943.18	967.00
				968.83	1078.80
				0.52	17.56
				969.35	1096.36
1491.09	106.28	32.47	1564.90	1912.53	2063.36

चालू वर्ष के लिए For Current year	74.09
पिछले वर्ष के लिए For Previous year	32.19
Total	106.28


Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

₹. In Crore)

३१.०३.२०२४ तक कि कुल निवेश		वित्तीय संस्थाएं	सामान्य आरक्षित निधि	अग्नी और मोटर बीमा निधि और युद्ध स्मारक निधि	पूँजी परिसंपत्तियों के बदलाव, पुनःस्थापन और आधुनिकीकरण के लिये निधि	विकास, ऋणों की अदायगी और अनुभूतिकता के लिये निधि	शतब्दि स्मारक निधि					
Total investment as on 31.03.2024		Financial Institutions	General Reserve Fund	Fire & Motor Insurance Fund and War Memorial Fund	Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets	Fund for Development, Repayment of Loans and Contingencies	Centenary Commemoration Fund					
प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value		प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value
		Investment in Shares										
4.50	4.50	आय पी आर सी एल मे समभाग Share Capital in IPRCL	0.15	0.15				4.50	4.50			
	0.15	Mumbai Port Sustainability Foundation										
4.50	4.50	(अ) / (a)	0.15	0.15				4.50	4.50			
0.31	0.31	एस बी आय लाईफ़ SBI Life										
		मुंबई पोर्ट सस्टेनबिलिटी फाउंडेशन										
		एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड PF SBI NIFTY INDEX FUND										
		एसबीआई बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड PF SBI BSE SENSEX INDEX FUND										
0.46	0.46	(ब) / (b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DEPOSITS - जमा राशि										
1718.76	1718.76	बैंकों में with Banks					1012.88	1012.88	9.00	9.00	13.55	13.55
1718.76	1718.76	(क) / (c)	0.00	0.00	0.00	0.00	1012.88	1012.88	9.00	9.00	13.55	13.55
1723.72	1723.72	जोड़ (अ) से (क) Total (a) to (c)	0.15	0.15	0.00	0.00	1012.88	1012.88	13.50	13.50	13.55	13.55
		टिप्पणी / Note :										
---	---	उद्धृत निवेश Quoted Investments	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		अर्नउद्धृत निवेश Unquoted Investments	0.15	0.15	0.00	0.00	1012.88	1012.88	13.50	13.50	13.55	13.55

आग और मोटर बीमा फंड, युद्ध स्मारक फंड तथा कर्मचारियों की कल्याण निधि में कोई निवेश नहीं है।

Fire & Motor Insurance Fund, War Memorial Fund and Employees' Welfare Fund has no investments.

ANNUAL ACCOUNTS 2024 -25

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AS AT 31ST March 2025

SCHEDULE - III

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

भविष्य निर्वाह निधि		अवकाश नकदिकरण निधी		कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि		केपिटल इन्वेस्टमेंट निधि		Investment in FDR		31.03.2025 तक कि कुल निवेश	
Provident Fund		Leave Encashment Fund		Corporate Social Responsibility Fund		Capital Investment Fund		Investment in FDR		Total investment as on 31.03.2025	
प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value
										4.50	4.50
										0.15	0.15
										4.65	4.65
		0.33	0.33							0.33	0.33
0.12	2.50									0.12	2.50
2.04	2.50									2.04	2.50
2.16	5.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00			2.49	5.33
629.79	629.79			17.22	17.22	178.74	178.74	97.61	97.61	1958.79	1958.79
629.79	629.79	0.00	0.00	17.22	17.22	178.74	178.74	97.61	97.61	1958.79	1958.79
631.95	634.79	0.33	0.33	17.22	17.22	178.74	178.74	97.61	97.61	1965.93	1968.77
---	---	---	---							---	---
631.95	634.79	0.33	0.33	17.22	17.22	178.74	178.74	97.61	97.61	1965.93	1968.77

शतब्धि स्मारक निधि की निवेश ₹.६.०० करोड निधि संचय के लिए और ₹.७.५५ करोड बैंक शेष के लिए हुई है।

Investment of CCF includes ₹.6.00 crore on account of Corpus Fund and ₹ 7.55 crore on account of Cash Balance.

कुल निवेश में से ₹.१४२.०८ करोड अल्पावधि निवेश में रखे गए हैं

Out of the total Investments, ₹.142.08 crore have been held in Short Term Investment


Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

वार्षिक लेखा २०२४-२५
ANNUAL ACCOUNTS 2024-25
३१ मार्च २०२५ के तुलन पत्र की अनुसूचियां
Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2025

अनुसूची IV

SCHEDULE IV

दी गई सेवाओं के कारण विविध देनदारी की दि. ३१ मार्च २०२५ की स्थिति
Sundry Debtors As On 31st March 2025 For Different Services Rendered
(₹. करोड में / ₹. In Crore)

विवरण / Particulars	2024-25	2023-24
Docks	287.28	308.45
Stevedoring	7.33	6.56
Port	173.76	173.84
Bunder	28.36	28.36
Estate & Railway Estate	2,727.79	2,637.83
Workshops	1.23	1.23
Chief Engineer	9.81	9.06
Pay & Park	8.91	4.93
Rent	0.78	0.78
Chief Mech. Engineering	61.50	52.91
Water Front	0.01	0.01
BDLB transferred due to merger	0.03	0.03
Railway Estate(Operation & Demurrage)	7.43	7.43
Service Tax	160.53	160.99
GST	242.99	238.24
Sundry Debtors (Govt)	(0.02)	
Sundry Debtors (Non-Govt)	(0.25)	
	3,717.47	3,630.65

* अन्य शेष राशि के संबंध में ₹.११९१.२६ करोड रुपयों की पट्टेदारों/कियाएदारों से वसूल कि गयी राशि संपदा विभाग के फुटकर जमाखते में पडी है. (31.03.2025 को ₹.1191.26 करोड).


Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

वार्षिक लेखा २०२४-२५
ANNUAL ACCOUNTS 2024-25
३१ मार्च २०२५ के तुलन पत्र की अनुसूचियां
Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2025
Schedule V / अनुसूची V
बैंकों में शेष और हस्ते नकद
Balance At Banks And Cash In Hand

(₹. करोड़ में / ₹. In Crore)

विवरण / Particulars	2024-25		2023-24	
बैंकों में जमा राशी Deposits with Banks.....		48.05		5.23
बैंकों में जमा राशी (व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य की ओरसे) Deposits with Banks (on behalf of Merchants, Contractors and Others)		22.29		(88.48)
बैंकों में शेष (अन्य विभाग) Balances with Banks (Other Departments)		9.72		9.84
चालू खाता / Current Accounts पत्तन समुदाय प्रणाली / Port Community System				
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया State Bank Of India				
राजस्व खाता / Revenue Account	18.87		15.90	
कमनी (पोर्ट) के उत्तरदायित्व के लिए खाता Corporate Social Responsibility Account	0.01		0.01	
भविष्य निधि खाता Provident Fund Account	4.10		145.78	
निवृत्ति वेतन निधि Pension Fund Trust			-	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया / Union Bank of India	3.81		300.94	
इंडियन बैंक खाता / Indian Bank Account	2.91	29.70	(3.98)	458.65
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया / STATE BANK OF INDIA				
JD-5 Project Escrow Account	0.42		0.43	
विभिन्न बैंक- पीसीएस खाते / Various Banks-PCS accounts	(4.40)		-	
इंडियन ओवरसीज बैंक / INDIAN OVERSEAS BANK				
वेतन खाता / Salary Account.....	7.37	3.39	(6.63)	(6.20)
Banks- Sagarmala & Other Grants		-15.83		24.51
		97.32		403.55
Overnight Mutual Fund				
- PF Investment		2.50		-
- MbPA		-		85.00
हस्ते नकद Cash In Hand				
वित्त विभाग के पास With Finance Department.....*		-		
अन्य विभागों के पास With Other Departments		0.62		0.60
		3.12		85.60


Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

वार्षिक लेखा २०२४-२५
Annual Accounts 2024-25

३१ मार्च २०२५ के समाप्त लाभ और हानी लेख की अनुसूचियाँ / Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2025

अनुसूची VI / Schedule VI

जहाजी माल की संहलाई और भंडारण / Cargo Handling And Storage

(₹. करोड़ में / ₹. In Crore)

	2024-25	2023-24
शेडों और घाटों में सामान्य जहाजी मालकी संहलाई और भंडारण Handling & Storage of General Cargo at Sheds and Wharves...	69.40	167.77
माल के गोदाम में रखना Warehousing.....	57.69	0.32
कंटेनर निपटानेवाली क्रेने और अन्य क्रेनों का परिचालन और अनुरक्षण Operation and maintenance of Container Handling Cranes and other cranes...	0.93	3.60
पेट्रोलियम, तेल, स्नेहक संहलाई Handling of Petroleum, Oil and Lubricants.....	29.65	36.88
गोदियों और बंदरगाहों में सामान्य सुविधाओं पर व्यय Expenditure on general facilities at Docks & Bunders.....	0.39	0.10
प्रशासन और सामान्य व्यय Administration and General Expenses.....	50.51	53.38
मूल्यहास Depreciation.....	30.91	24.45
कुल / Total	239.48	286.50


Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

वार्षिक लेखा २०२४-२५
Annual Accounts 2024-25

३१ मार्च २०२५ को समाप्त लाभ और हानी लेख की अनुसूचियाँ / Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2025
अनुसूची VII / Schedule VII

नौवहन केलिये पत्तन और गोदी की सुविधाएं / Port And Dock Facilities For Shipping

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

	2024-25	2023-24
नौकर्षण, घाट व लंगर Towing berthing and Mooring.....	97.04	91.40
प्रदुषण नियंत्रण Pollution Control.....	17.85	17.46
पायलट कर्य Pilotage.....	10.13	14.37
शुष्क गोदी व्यय Dry Docking Expenses.....	-	-
नौवहन केलिए पानी की आपूर्ती Water Supply to Shipping.....	4.53	4.79
अग्निशमन Fire Fighting.....	-	-
निर्क्षण और समुद्री सर्वेक्षण Dredging and Marine Survey.....	88.77	10.13
बंदरगाह गश्त Harbour Patrol.....	1.57	0.86
दिक्चालन साधनों का परिचालन और अनुरक्षण Operation and maintainance of navigational aids.....	10.92	1.13
उबार कर्य और जलगत मरम्मत Salvage and underwater repairs.....	0.04	0.78
गोदियो और बंदरगाहों की दिवारों, समुद्र संरचनाओं आदि का अनुरक्षण Maintanace of dock and harbour walls & marine structure, etc.	0.74	1.75
प्रशासन और सामान्य व्यय Administration and General Expenses.....	37.25	38.46
मूल्यहास Depreciation.....	36.39	44.72
कुल / Total	305.23	225.85


Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

वार्षिक लेखा २०२४-२५
Annual Accounts 2024-25

३१ मार्च २०२५ को समाप्त लाभ और हानी लेख की अनुसूचियाँ / Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2025
अनुसूची VIII / Schedule VIII
रेल्वे संचालन / Railway Working

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

	2024-25	2023-24
रेल्वे माल डिब्बों आदि का परिचालन और अनुरक्षण Operation and maintenance of locomotives, wagons, etc.....	7.91	8.17
प्रशासन और सामान्य व्यय Administration & General Expenses.....	3.59	3.45
मूल्य हास Depreciation.....	0.82	0.83
कुल / Total	12.32	12.45


Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

वार्षिक लेखा २०२४-२५
Annual Accounts 2024-25

३१ मार्च २०२५ के समाप्त लाभ और हानी लेख की अनुसूचियाँ / Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2025
अनुसूची IX / Schedule IX

किराये योग्य भूमि एवं इमारतें /Rentable Lands And Buildings

(₹. करोड़ में / ₹. In Crore)

	2024-25	2023-24
आस्ति अनुरक्षण Estate Maintenance		
कर्मचारी निवास Staff Quarters.....	8.44	10.39
सामान्य सुविधाएँ, [maarto, SaoD AaOr gaaodama General Facilities including maintenance of roads & other Buildings, Sheds & Godowns	14.33	10.44
प्रशासन और सामान्य व्यय Administration and General Expenses.....	19.34	18.16
मूल्य ह्रास Depreciation.....	1.25	1.47
कुल / Total	43.36	40.46


Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

वार्षिक लेखा २०२४-२५
Annual Accounts 2024-25

३१ मार्च २०२५ को समाप्त लाभ और हानी लेख की अनुसूचियाँ / Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2025
अनुसूची X / Schedule X

प्रबंध और सामान्य प्रशासन / Management and General Administration

(₹. करोड़ में / ₹. In Crore)

	2024-25	2023-24
प्रबंधकीय और सचिविक व्यय Management and Secretarial expenses.....	123.85	123.73
लेख विधि और लेखा परीक्षा Accounting and Auditing.....	35.61	52.31
कानूनी व्यय Legal expenses.....	3.71	3.61
चिकित्सा व्यय Medical expenses.....	147.42	132.14
भंडार रक्षण Store-keeping.....	14.12	14.85
प्रधान कार्यालय की इमारत पर व्यय Expenditure on Head Office building.....	4.05	6.30
इंजिनियरी और करखना प्रशासन और उपरी खर्च Engineering and Workshop administration and overheads	170.38	132.91
मूल्य ह्रास Depreciation.....	1.74	4.41
कुल / Total	500.88	470.26


Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

वार्षिक लेखा २०२४-२५
Annual Accounts 2024-25

३१ मार्च २०२५ के समाप्त लाभ और हानी लेख की अनुसूचियाँ / Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2025

अनुसूची XI / Schedule XI

प्रचालन व्यय प्रकार / Operating Expenditure By Type

(₹. करोड़ में / ₹. In Crore)

	2024-25	2023-24
वेतन और मजदूरी / Salaries and Wages		
सामान्य / General	327.91	355.45
वेतन और मजदूरी (परिचालन) / Salaries & Wages (Operational)	32.50	36.25
वेतन और मजदूरी (मरम्मत और रखरखाव) /Salaries & Wages (Repairs & Maintenance)	29.81	31.57
वेतन और मजदूरी(सड़के नालियां, सफाई) / Salaries & Wages(Roads,Drains,Cleaning,Scavenging)	4.78	5.37
वेतन और मजदूरी (चिकित्सा) /Salaries & Wages (Medical)	44.13	45.11
वेतन और मजदूरी (सुरक्षा) /Salaries & Wages (Security)	5.56	6.58
पीस रेट प्रीमियम / Piece Rate Premium	0.78	0.15
पीस रेट भुगतान / Piece Rate Payment	0.14	1.27
ओवरटाइम / Overtime (Fixed)	24.98	27.97
ओवरटाइम / Overtime (Variable)	1.77	-
पी.एल.आर / Productivity Linked Reward	3.48	4.23
छुट्टी की यात्रा रियायते / Leave Travel Concessions	0.30	0.49
कर्मचारी सुविधाएं और कल्याण उपाय /Staff Amenities & Welfare Measures	1.28	0.37
अवकाश नकदीकरण (सेवारत कर्मचारी) /Leave Encashment (in-service employees)	14.75	14.00
अप्रयुक्त छुट्टी का नकदीकरण (सेवानिवृत्त) / Encashment of unutilised Leave (Retired)	25.11	32.40
हमालेज लेबर /Hamallage Labour	7.96	13.19
मानदेय / Honorarium	0.13	0.08
प्रशिक्षुओं के स्टैण्डिंग /Stipend to Apprentices	0.23	1.79
नाइट वेटेज / Night Weightage	1.35	1.46
कोविड प्रोत्साहन राशि/ Covid Incentives	-	0.04
	526.95	577.77
भंडार / Stores		
सामान्य / General	1.21	3.71
संयंत्र परिचालन, आदि / Operation of Plant, etc.(fuel expenditure)	32.75	35.23
मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs & Maintenance	0.39	0.28
सामग्री हस्तांतरण की आय हानी Income/Loss of Material Transfer	(2.22)	2.22
भौतिक सूची अंतर / Physical Inventory Difference	0.29	(0.04)
	32.42	41.40
कार्यालय तथा प्रशासनिक व्यय / Office and Administrative Expenses		
पोस्टेज, तार फैक्स और कुरियर / Postage, Telegraphs, Fax & Courier etc	0.02	0.07
टेलिफोन / Telephone Charges	0.43	0.42
यात्रा व्यय / Travelling Expenses	1.09	0.59
स्टोर्स स्टेशनरी / Stores Stationery	0.19	0.23
मुद्रण और प्रकाशन / Printing & publishing	0.07	0.04
प्रचार और विज्ञापन / Advertisement & publicity	0.81	0.97
कानूनी तथा व्यवसायिक प्रभार / Legal & Professional Charges	3.77	3.75
दर और कर / Rates & Taxes	4.06	4.14
लेख परिक्षा और लेखा विधि शुल्क / Audit fees & Accountancy	0.65	0.76
कर्मगार क्षतिपूर्ती अधिनियम के अनुसार अदायगी / Payments under Workmen's Compensation Act	-	7.19
किताबें तथा नियतकालिक/ Books & Periodicals	0.02	-
प्रशिक्षण और सेमिनार शुल्क/ Training and seminars subscriptions	0.53	0.56
गैस / Gas	0.16	0.17
फर्निचर और कार्यालयीन सामग्री / Furniture & Office Equipment	0.10	0.24
छोटे निमाण कार्य / Minor works	0.39	1.00
लाइसेंस शुल्क और रॉयल्टी / License fees & Royalty		
खाद्य पदार्थ की खरीदी / Purchase of Food stuff	1.08	1.12
परिचालन की सहमती के लिए / fees for consent to operate	0.17	0.17
कार्यालयीन मशीन किराया शुल्क / Office machine hire charges	0.38	0.22
खेलकुद / Sports & Games	2.83	1.96
संयंत्र और गिअर किराया / Hire of plant & gear	2.88	1.43
आईपीए शेयर अंशदान / IPA Share Contribution	2.89	3.90
व्यवसाय शुल्क / Profession Fees	2.00	1.47
किराया / Rent	-	0.01
अन्य व्यय / Misc. Expenses	2.32	1.51
स्पोर्ट्स क्लब वगैरा के अनुदान / Donation, Grants to Sports clubs etc.	0.01	0.48
अपात्र आई.टी.सी / Ineligible ITC	4.55	2.33
	31.40	34.73
	590.77	653.90

वार्षिक लेखा २०२४-२५
Annual Accounts 2024-25

३१ मार्च २०२५ को समाप्त लाभ और हानी लेख की अनुसूचियाँ / Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2025

अनुसूची XI (समाप्त) / Schedule XI (concl'd.)

(₹. करोड़ में / ₹. In Crore)

	2024-25	2022-23
आगे लाया गया / Brought forward	590.77	653.90
प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय / Operation and Maintenance Expenses		
गाड़ीयों का किराया शुल्क / Hire charges of vehicle	7.68	6.27
बोट और लॉंचेस का किराया / Hire of Boats, Tugs and Launches	4.27	6.41
टोवेज के लिए टग्स का किराया / Hire of Tugs for towage	33.83	31.05
पानी प्रभार / Water charges	37.08	15.33
बिमा / Insurance	-	-
विद्युत शक्ति / Electricity Power	27.57	17.75
ढोके के द्वारा निष्कर्षण / Maintenance dredging through contract	86.02	7.79
जहाज मालिकों और मजदूरों के ठेकेदारों को भुगतान / Payments to Shippers & Contractors for labour	25.27	18.81
सफाई और हाउसकीपिंग / Cleaning & Housekeeping	2.42	0.46
मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs and Maintenance- Normal repairs	22.36	41.68
विशेष मरम्मत और अनुरक्षण आर एण्ड आर / Special Repairs and Maintenance- R & R works	42.84	34.89
मरम्मत और अनुरक्षण (फ्लॉटिंग क्राफ्ट, वाहन आदि) R&M - Floating craft, Vehicles etc.	0.51	0.04
मरम्मत और अनुरक्षण (इमारतों) R&M - Buildings	-	-
मरम्मत और अनुरक्षण (डॉक, समुद्री दीवारें, पियर्स आदि) R&M - Docks, Sea walls, Piers etc.	-	-
उपकर अधिनियम, १९७७ के तहत उपकर का भुगतान / Payment of cess under cess Act, 1977	0.13	-
चल स्टॉक को हानी देय / Payments for damage to rolling stock & trunk	-	-
सर्वेक्षण शुल्क-स्टीवडोरिंग / Survey Fees-Stevedoring	-	-
ड्राई डॉकिंग चार्ज बीपीटी वेसल / Dry Docking Charges BPT Vessel	-	-
आई एस ओ प्रमाणन के लिए खर्च / Expenditure incurred on ISO certification	0.03	0.01
परियोजना व्यय / Project Expenses	-	-
	290.01	180.49
सुरक्षा व्यय / Security Expenses		
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का खर्च / Expenditure of CISF	48.50	46.44
अन्य सुरक्षा संस्था / Other security agencies	10.03	9.32
गश्त के लिए नावों का किराया / Hire of Boats for Patrolling	1.56	1.00
	60.09	56.76
वैद्यकीय व्यय / Medical Expenses		
वैद्यकीय भंडार / Stores- Medical	29.16	13.86
बाहरी अस्पतालों को शुल्क देय (कर्मचारी) / Charges paid to outside Hospitals (Employees)	7.39	7.64
बाहरी अस्पतालों को शुल्क देय (निवृत्त कर्मचारी) / Charges paid to outside Hospitals (Pensioner)	45.93	45.36
अन्य व्यय विनिश्चिता भत्ता / Other expenses- medical allowance to pensioners residing outside port city limit	2.94	-
स्टाइपेंड / Stipend	0.32	0.54
नवीनीकरण शुल्क / Renewal charges for accreditation	-	-
वैद्यकीय खर्चों की देयपूर्ति / Reimbursement of medical expenditure	0.05	0.13
निवृत्त कर्मचारियों को वैद्यकीय सेवा / Medical treatment given to retired employees	0.02	0.04
Dialysis Expenses	1.05	0.94
बाहरी डॉक्टरों को दी जाने वाली फीस और मानदेय / Fees and Honorarium paid to Outside Doctors	-	-
Provision for Medical	0.03	-
	86.89	68.51
मूल्य ह्रास / Depreciation		
मूल्य ह्रास / Depreciation	73.51	75.87
कुल / Total	1,101.27	1,035.53



Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

वार्षिक लेखा २०२४-२५
Annual Accounts 2024-25

३१ मार्च २०२५ को समाप्त लाभ और हानी लेख की अनुसूचियाँ / Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2025
अनुसूची XII / SCHEDULE XII

वित्त और विविध व्यय /FINANCE AND MISCELLANEOUS EXPENDITURE

(₹. करोड़ में / ₹. In Crore)

	2024-25	2023-24
सेवा निवृत्ति उपदान, सानुग्रह भुगतान और अन्य लाभ		
Retirement gratuities, ex-gratia payments and other benefits		
अनुमानित प्रोद्भूत दायिता के आधार पर पेंशन निधि में अंशदान		
Contribution to Pension Fund	2,176.50	1,579.30
पेंशन और मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान		
Contribution to Group Gratuity Fund	317.21	121.75
पूजीगत परिसंपत्तियों की विक्री / निपटान से लाभ		
Profit on disposal of capital asset trfd. To Capital Reserve	3.53	3.71
कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के लिए निधि में योगदान		
Contribution to fund for Corporate Social Responsibility (CSR)		
ऐच्छिक सेवानिवृत्ती के अंतर्गत प्राप्तिपूर्ती		
Compensation payment under Special Voluntary Retirement Scheme		
बैंक कमिशन और प्रभार		
Bank Commission & Charges.....	0.03	0.01
अन्य (पोर्ट संपत्ति बीमा प्रीमियम)		
Others (Port Property Insurance Premium).....	14.54	13.60
पूजीपरिसंपत्तियों के निपटान से हुआ नुकसान		
Loss on Disposal of Capital Assets/Sale redemption of Investment		
पिछले वर्ष से संबंधित मद		
Items relating to previous years -		
मूल्य हास		
Depreciation.....	32.20	0.09
प्रविष्टियों का सुधार / Rectification of Entries		
प्रविष्टियों का सुधार / Rectification of Entries	154.57	39.69
राजस्व में से वापसी		
Refund out of Revenue	1.63	1.29
वेतन और मजदूरी		
Salaries and Wages (includes Arrears on account of Wage Revision)	15.24	10.65
अन्य		
Others.....	45.84	2.06
कुल / Total	2,761.29	1,772.15


Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ

I	<p>केंद्र सरकार ने महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 को लागू करके महापत्तनों को अधिक स्वायत्तता, लचीलापन प्रदान करने और उनके प्रशासन को व्यवसायिक बनाने हेतु महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 को प्रतिस्थापित कर दिया है। तदनुसार, मुंबई पत्तन न्यास ने दिनांक 31.01.2022 से अपना नाम बदलकर "मुंबई पत्तन प्राधिकरण" कर लिया है। इस संबंध में जीएडी/जी/एमपीए/1204 दिनांक 25.03.2022 द्वारा एक राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है। (दिनांक 15.02.2022 की न्यासी संकल्प संख्या 2)</p>
----------	---

II	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ
1.	लेखांकन प्रणाली को पत्तन की प्रमुख गतिविधियों के संदर्भ में, वित्तीय खातों की प्रस्तुति उचित रूप से करने की दृष्टि से तैयार किया गया है।
2.	वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत प्रथा के तहत और लेखांकन के प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जाते हैं।
3.	<p>मुं.प.प्रा. भूमि को छोड़कर परिसंपत्ति की प्रत्येक श्रेणी के लिए सकल वहन राशि निर्धारित करने हेतु ऐतिहासिक लागत मॉडल का पालन कर रहा है।</p> <p>बड़ी परियोजनाओं के विभिन्न घटकों को पूरी परियोजना के पूरा होने के बाद ही उपयोग में लाया जाना माना जाता है और उपयोग में लाने की तारीख परियोजना के सभी घटकों के लिए एक समान होती है।</p> <p>पूँजीगत परिसंपत्तियों को लागत से संचित मूल्यहास घटाकर बताया जाता है। लागत में माल ढुलाई, शुल्क, कर और अधिग्रहण/निर्माण के समय होने वाले प्रासंगिक खर्च शामिल होते हैं।</p>
4.	वस्तुसूची का मूल्यांकन खपत के लिए भारत चल औसत पर किया जाता है। खपत को 'प्रथम आया, प्रथम गया' के आधार पर दर्ज किया जाता है। वस्तुसूचियों का अंतिम शेष वास्तविक रूपसे बताया जाता है।
5.	निवेशों को भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन एव जलमार्ग मंत्रालय द्वारा तथा भारतीय लेखाकरण मानकों और लेखांकन मानकों द्वारा विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों तथा लागू लेखाकरण मानकों के अनुसरण में वर्गीकृत और प्रकट किया जाता है। आईपीआरसीएल तथा सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन के शेयरों में निवेश को लागत पर दिखाया जाता है। म्यूचुअल फंड में निवेश लागत या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। नियत जमा रसीदे लागत पर तैयार की जाती है।
6.	मूल्यहास की गणना स्ट्रेट लाइन पद्धति से की जाती है। परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तय किया जाता है।
7.	<p>राजस्व मान्यता:</p> <p>ए) राजस्व का लेखाकरण लेखांकन के प्रोद्भूत आधार पर किया जाता है। कार्गो गतिविधियों से उत्पन्न आय का हिसाब सेवा पूर्ण होने के आधार पर किया जाता है।</p> <p>बी) चल और अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के मामले में, आय का लेखाकरण बिक्री मूल्य की प्राप्ति पर किया जाता है।</p> <p>सी) अदावाकृत माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व को बिक्री होने पर माल की निकासी के बाद हिसाब में लिया जाता है। केवल ₹ 5.00 करोड़ से अधिक की लागत वाली प्रमुख वस्तुओं को बिक्री आय के सुनिश्चित होने पर आय के रूप में लेखांकित किया जाता है।</p> <p>डी) मूल राशि की अंतिम प्राप्ति में शामिल अनिश्चितता को देखते हुए, विलंबित भुगतान और विवादित दावों पर ब्याज का लेखांकन मूल राशि की प्राप्ति पर किया जाता है।</p> <p>ई) भूमि भूखंडों के पट्टे से प्राप्त अग्रिम भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है। भूमि के पट्टे से प्राप्त एकमुश्त प्रीमियम को राजस्व खाते में लिया जाता है।</p> <p>एफ)एसईआईएस स्क्रिप्ट और टीडीआर की बिक्री से उत्पन्न आय को प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।</p>

8.	डॉलर मूल्यवर्ग के सभी सशुल्क भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहयोगी बैंको या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो दरमानों के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, द्वारा अधिसूचित भुगतान तिथि पर बाजार खरीद दर पर डॉलर में निर्धारित शुल्क को उसके समकक्ष भारतीय रूप में परिवर्तित करने के बाद भारतीय रुपये में वसूल किए जाते हैं।
9.	सीएफएफआर में दिए गए दिशानिर्देशों के आधार पर, पत्तन ने वित्तीय विवरणों में सरकारी अनुदानों को प्रस्तुत करने की निम्नलिखित पद्धति अपनाई है: "विशिष्ट नियत परिसंपत्तियाँ से संबंधित अनुदानों को, संबंधित परिसंपत्ति के सकल मूल्य से उसके बही मूल्य की गणना करते समय कटौती के रूप में दर्शाया जाता है." वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त अनुदानों का विवरण लेखों पर टिप्पणियाँ में क्रम संख्या 9 में प्रकट किया गया है।
10.	1979 के न्यासी संकल्प संख्या 173 द्वारा, पत्तन ने वर्ष के अंत में कुल बकाया देनदारों के 5% की दर से अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करने की नीति अपनाई है।
III	खातों पर टिप्पणियाँ
1	<p>न्या.सं. संख्या 18/06.04.2021 के पैरा (iii) के अनुसार, यह निर्णय लिया गया था कि- यह संपदा किराए के मामलों में न्यासी संकल्प में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार किया जाएगा.</p> <p><i>“वित्त वर्ष 2021-22 और भविष्य के वर्षों के लिए: कर चालान- केवल राजस्व की मान्यता की सीमा तक उगाहे जा सकते हैं और तदनुसार जीएसटी का भुगतान किया जा सकता है और कर के अनंतिम मूल्यांकन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन कर सकते हैं और निचली सीमातक अनंतिम कर का भुगतान कर सकते हैं तथा कानूनी सलाह के अनुसार उल्लिखित चालान की शर्तों का पालन करें.”</i></p>
2.	<p>ऑफशोर कन्टेनर टर्मिनल (ओसीटी) परियोजना की पुनर्संरचना के बारे में अंतिम निर्णय लिए जाने तक कार वाहकों (न्यासी संकल्प 26 दिनांक 30.03.2015 द्वारा अनुमत) के प्रहस्तन के लिए ओसीटी का वैकल्पिक उपयोग जारी रखने के लिए 28.09.2016 के न्यासी संकल्प संख्या 59 के माध्यम से अनुमति दी गई है. जब तक मंडल द्वारा 28.10.2015 के न्यासी संकल्प संख्या 104 द्वारा अनुमोदित राजस्व हिस्सेदारी के साथ मौजूदा व्यवस्था जारी रहती है, यानि अगर आईसीटीपीएल मुं.प.प्रा. दरमानों पर टैरिफ लगाता है तो, मुं.प.प्रा. को 72% और लाइसेंसधारी को 28%, और अगर आईसीटीपीएल मुं.प.प्रा. के टैरिफ के 130% की दर पर टैरिफ लगाता है, तो राजस्व हिस्सेदारी 55:45 होगी यानि मुं.प.प्रा. को 55% और आईसीटीपीएल को 45% होगी। हालांकि आईसीटीपीएल मुं.प.प्रा. दरमानों के 130% की दर से घाट किराया शुल्क और मुं.प.प्रा. दरमानों के 100% की दर से घाट शुल्क वसूल रहा है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में उनके द्वारा भुगतान किया जाने वाला राजस्व हिस्सा 55% है. ओसीटी घाट पर आयात और निर्यात घाट शुल्क के लिए राजस्व हिस्सेदारी के रूप में ₹47.72 करोड़ और घाट किराया शुल्क के रूप में ₹ 24.12 करोड़ की राशि वसूल की गई है. इन राशियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान क्रमशः कार्गो से संबंधित आय और पत्तन और गोदी शुल्क में शामिल किया गया है.</p>
3.	<p>भारत सरकार द्वारा मुं.प.प्रा. की संपत्तियों के मूल्यांकन योग्य मूल्य का निर्धारण वर्ष 1964-1969 से लंबित है. मुं.प.प्रा. ने मूल्यांकन योग्य संपत्तियों के आकलन के लिए जनवरी 2008 और अप्रैल 2016 में मंत्रालय से अनुरोध किया था. इस बारे में अक्टूबर 2018 में अनुस्मारक दिया गया था, पर यह मुद्दा अभी भी मंत्रालय के पास लंबित है.</p> <p>सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्यों के आधार पर मुं.प.प्रा. की संपत्तियों पर संपत्ति कर के बदले में बृहन्मुंबई महानगर पालिका सामान्य कर वसूलती है. बृहन्मुंबई महानगर पालिका ₹ 4.87 करोड़ प्रति वर्ष की दर से मुं.प.प्रा. से संपत्ति कर वसूलती है और मुं.प.प्रा. बृहन्मुंबई महानगर पालिका पर अपनी संपत्तियों के लिए प्रति वर्ष ₹ 1.46 करोड़ की रखरखाव लागत प्रभारित करता है. मुं.प.प्रा. ने रखरखाव लागत ₹ 1.46 करोड़ की दर से कटौती के बाद ₹ 3.91 करोड़ संपत्ति कर का वार्षिक भुगतान किया है.</p>

	वर्ष 1995-96 में बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने मुं.प.प्रा. से उन्हें देय संपत्ति कर से रखरखाव लागत में कटौती को अलग करने का अनुरोध किया, जिसे मुं.प.प्रा. ने स्वीकार कर लिया. हालाँकि, तब उनके द्वारा बृहन्मुंबई महानगर पालिका से संपत्ति कर वसूलने का कोई विकल्प नहीं सुझाया गया था. बृहन्मुंबई महानगर पालिका के साथ मामले को आगे बढ़ाने पर यह बताया गया कि संपत्ति कर से रखरखाव लागत की वसूली/समायोजन के लिए कोई दिशानिर्देश मौजूद नहीं हैं और मुं.प.प्रा. को वसूली के लिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका के संबंधित विभाग से संपर्क करना होगा. दि. 27.02.2025 तक, मुं.प.प्रा. द्वारा देय संपत्ति कर ₹ 45.70 करोड़ है और रखरखाव लागत के लिए मुं.प.प्रा. का दावा ₹ 48.69 (लगभग) करोड़ था.																																																
4.	वर्ष के प्रारंभ में और वर्ष 2024-25 के अंत में अचल संपत्तियों के सकल और शुद्ध ब्लॉक, जो कि जोड़, विलोपन, निपटान, समायोजन आदि दर्शाते हैं, का खुलासा लेखांकन मानक 10 के अनुसार 31.03.2025 तक तुलन पत्र की अनुसूची II में किया गया है. वर्ष के दौरान, किसी भी संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है.																																																
5.	निवेश से संबंधित जानकारी, अर्थात् उद्धृत और गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि, तुलन पत्र की अनुसूची III में 31.03.2025 तक प्रकट की गई है.																																																
6.	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ के बराबर राशि विनियोग के माध्यम से पूंजी आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दी गई है.																																																
7.	जैसा कि विशिष्ट निधियों के विरुद्ध निवेश के संबंध में लेखापरीक्षा में बताया गया है, कि निवेश योग्य अधिशेष उपलब्ध होने पर उसे विशिष्ट निधियों में अंतरित कर दिया जाएगा. निवेशों के संबंध में निधियों की स्थिति नीचे विस्तार से दी गई है: <p style="text-align: right;">(करोड़ रुपयों में)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">विवरण</th> <th style="width: 20%;">निर्धारित निधियों का शेष</th> <th style="width: 20%;">उसमें किया गया निवेश</th> <th style="width: 20%;">कमी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सामान्य आरक्षित निधि</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>अग्नि एवं मोटर बीमा निधि</td> <td style="text-align: right;">140.15</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">140.15</td> </tr> <tr> <td>युद्ध स्मारक निधि</td> <td style="text-align: right;">0.02</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.02</td> </tr> <tr> <td>पूंजीगत परिसंपत्तियों के आरआरएम हेतु</td> <td style="text-align: right;">1012.88</td> <td style="text-align: right;">1012.88</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>डीआरएलसी हेतु निधि</td> <td style="text-align: right;">13.16</td> <td style="text-align: right;">13.16</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>शताब्दी स्मरणोत्सव निधि</td> <td style="text-align: right;">14.32</td> <td style="text-align: right;">13.55</td> <td style="text-align: right;">0.77</td> </tr> <tr> <td>अवकाश नकदीकरण निधि</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.33</td> <td style="text-align: right;">-0.33</td> </tr> <tr> <td>सीएसआर निधि</td> <td style="text-align: right;">17.34</td> <td style="text-align: right;">17.22</td> <td style="text-align: right;">0.12</td> </tr> <tr> <td>कर्मचारी कल्याण निधि</td> <td style="text-align: right;">0.01</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.01</td> </tr> <tr> <td>पूंजी निवेश निधि</td> <td style="text-align: right;">178.74</td> <td style="text-align: right;">178.74</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">कुल</td> <td style="text-align: right;">1376.62</td> <td style="text-align: right;">1235.86</td> <td style="text-align: right;">140.76</td> </tr> </tbody> </table> <p>₹ 97.61 करोड़ की राशि का निवेश आबंटित नहीं किया गया है.</p>	विवरण	निर्धारित निधियों का शेष	उसमें किया गया निवेश	कमी	सामान्य आरक्षित निधि	0.00	0.00	0.00	अग्नि एवं मोटर बीमा निधि	140.15	0.00	140.15	युद्ध स्मारक निधि	0.02	0.00	0.02	पूंजीगत परिसंपत्तियों के आरआरएम हेतु	1012.88	1012.88	0.00	डीआरएलसी हेतु निधि	13.16	13.16	0.00	शताब्दी स्मरणोत्सव निधि	14.32	13.55	0.77	अवकाश नकदीकरण निधि	0.00	0.33	-0.33	सीएसआर निधि	17.34	17.22	0.12	कर्मचारी कल्याण निधि	0.01	0.00	0.01	पूंजी निवेश निधि	178.74	178.74	0.00	कुल	1376.62	1235.86	140.76
विवरण	निर्धारित निधियों का शेष	उसमें किया गया निवेश	कमी																																														
सामान्य आरक्षित निधि	0.00	0.00	0.00																																														
अग्नि एवं मोटर बीमा निधि	140.15	0.00	140.15																																														
युद्ध स्मारक निधि	0.02	0.00	0.02																																														
पूंजीगत परिसंपत्तियों के आरआरएम हेतु	1012.88	1012.88	0.00																																														
डीआरएलसी हेतु निधि	13.16	13.16	0.00																																														
शताब्दी स्मरणोत्सव निधि	14.32	13.55	0.77																																														
अवकाश नकदीकरण निधि	0.00	0.33	-0.33																																														
सीएसआर निधि	17.34	17.22	0.12																																														
कर्मचारी कल्याण निधि	0.01	0.00	0.01																																														
पूंजी निवेश निधि	178.74	178.74	0.00																																														
कुल	1376.62	1235.86	140.76																																														
8.	शताब्दी स्मरणोत्सव निधि (सीसीएफ) निवेश पर 31.03.2025 तक संचित ब्याज को वित्तीय वर्ष 2024-25 में निधि में स्थानांतरित कर दिया गया है.																																																
9.	मुं.प.प्रा. ने वर्ष 2016 में अपनी संपूर्ण भूमि का इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन सर्वेक्षण कराया. तदनुसार, मुं.प.प्रा. के स्वामित्व वाला भूमि क्षेत्र 942.71 हेक्टर है. इस कुल भूमि क्षेत्र में से, मुं.प.प्रा. के पास 726.72 हेक्टर के लिए पीआर कार्ड है और शेष 215.99 हेक्टर क्षेत्र के लिए पीआर कार्ड मुंबई नगर सर्वेक्षण कार्यालय से प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं. कल्याण डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) को हस्तांतरित मंडा, टिटवाला स्थित एमबीपीए की भूमि से संबंधित हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) को ₹ 23,158.29 मूल्य की अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है.																																																

10.	<p>परियोजनाओं का वित्तपोषण:</p> <p>ए) विभिन्न परियोजनाओं के लिए 2024-25 के दौरान प्राप्त पूंजी अनुदान नीचे सारणीबद्ध हैं:</p> <table border="1" data-bbox="268 210 1461 577"> <thead> <tr> <th>परियोजना</th> <th>अनुदान किससे प्राप्त हुआ</th> <th>प्राप्त अनुदान (करोड़ रुपयों में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>मुंबई अंतरराष्ट्रीय कूज टर्मिनल का आधुनिकीकरण</td> <td>पर्यटन मंत्रालय</td> <td>6.96</td> </tr> <tr> <td>मत्स्य बंदरगाह</td> <td>सागरमाला (पोत परिवहन मंत्रालय)</td> <td>23.67</td> </tr> <tr> <td>तृतीय रसायन घाट</td> <td>सागरमाला (पोत परिवहन मंत्रालय)</td> <td>7.08</td> </tr> <tr> <td>स्काडा परियोजना</td> <td>सागरमाला (पोत परिवहन मंत्रालय)</td> <td>5.82</td> </tr> <tr> <td></td> <td>कुल</td> <td>43.53</td> </tr> </tbody> </table> <p>नये दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुदान के रूप में प्राप्त राशि एक अलग बैंक खाते में रखी जाती है</p>	परियोजना	अनुदान किससे प्राप्त हुआ	प्राप्त अनुदान (करोड़ रुपयों में)	मुंबई अंतरराष्ट्रीय कूज टर्मिनल का आधुनिकीकरण	पर्यटन मंत्रालय	6.96	मत्स्य बंदरगाह	सागरमाला (पोत परिवहन मंत्रालय)	23.67	तृतीय रसायन घाट	सागरमाला (पोत परिवहन मंत्रालय)	7.08	स्काडा परियोजना	सागरमाला (पोत परिवहन मंत्रालय)	5.82		कुल	43.53
परियोजना	अनुदान किससे प्राप्त हुआ	प्राप्त अनुदान (करोड़ रुपयों में)																	
मुंबई अंतरराष्ट्रीय कूज टर्मिनल का आधुनिकीकरण	पर्यटन मंत्रालय	6.96																	
मत्स्य बंदरगाह	सागरमाला (पोत परिवहन मंत्रालय)	23.67																	
तृतीय रसायन घाट	सागरमाला (पोत परिवहन मंत्रालय)	7.08																	
स्काडा परियोजना	सागरमाला (पोत परिवहन मंत्रालय)	5.82																	
	कुल	43.53																	
11.	<p>सभी छोटे अग्रदाय का प्रबंधन एसबीआई ईजी कार्ड्स के माध्यम से किया जाता है. संबंधित विभाग के कर्मचारियों को 31.3.2025 तक उनके दैनिक लेन-देन के लिए 45 एसबीआई-ईजी कार्ड जारी किए जा चुके हैं. उपरोक्त के अतिरिक्त, ईंधन और उपभोग की अन्य वस्तुओं की तत्काल खरीद के उद्देश्य से एसबीआई, मझगांव शाखा में तीन अग्रदाय खाते हैं, जिनका प्रबंधन सामग्री प्रबंधक और मुख्य यांत्रिक अभियंता द्वारा किया जाता है.</p>																		
12.	<p>पूंजी निवेश निधि:-</p> <p>मंडल ने दिनांक 20.08.2024 के न्यासी संकल्प संख्या 92 के तहत मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियों के सृजन, मौजूदा परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन, नए व्यावसायिक अवसरों में निवेश और भविष्य की किसी भी अन्य आवश्यकता से संबंधित के व्यय को पूरा करने के लिए एक पूंजी निवेश निधि के निर्माण को मंजूरी दी है. यह संकल्प दिनांक 04.05.2023 के न्यासी संकल्प संख्या 32 पूंजी निवेश निधि का स्थान लेता है. तदनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त संपत्ति आय का 25% और परिसंपत्ति मुद्राकरण का 25% पूंजी निवेश निधि के निर्माण के लिए आबंटित किया जाता है.</p>																		
13.	<p>एसबीआई ओवरनाइट फंड:-</p> <p>मंडल ने सप्ताहांत में चालू खाते में पड़ी अप्रयुक्त राशि को एसबीआई ओवरनाइट निधि में निवेश करने की मंजूरी दे दी है. पत्तन वर्तमान में राजस्व और भविष्य निधि (पीएफ) खातों के लिए एसबीआई ओवरनाइट निधि का संचालन कर रहा है.</p>																		
14.	<p>31.03.2025 तक, "एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड" का बाजार मूल्य 2,57,44,957.60 रुपये और "एसबीआई बीएसई सेसेक्स आईडीएक्स फंड" का बाजार मूल्य 2,56,95,793.92 रुपये है. इन म्यूचुअल फंडों का खुलासा लागत पर किया गया है.</p>																		
15.	<p>प्रस्तुति में निरंतरता, तुलनीयता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, जहाँ भी आवश्यक हो, तुलन पत्र और लाभ-हानि खाते में समूहों को वर्तमान और पिछले वर्ष के लिए पुनर्वर्गीकृत और पुनर्गठित किया गया है.</p>																		
16.	<p>गबन की घटना पर टिप्पणी:</p> <p>वर्ष के दौरान, एक कर्मचारी द्वारा अनधिकृत धन प्रेषण से संबंधित गबन का मामला सामने आया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग ₹ 33 लाख का नुकसान हुआ. मामले की तुरंत जाँच की गई और वसूली सुनिश्चित की गई. व्यवस्था में उचित सुधार किया गया है. इसके अलावा, संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध मुंबई पत्तन प्राधिकरण कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है.</p>																		

17.

आकस्मिक देयताएँ :

प्राधिकरणके पक्ष और विपक्ष में विभिन्न विषयोंपर ₹69.07 करोड़ के मुकदमे विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं.

(ए) हालांकि पत्तन ने महाराष्ट्र पुलिस को देय भुगतान के लिए ₹ 65.83 करोड़ की उपार्जित देयता का प्रावधान किया है, महाराष्ट्र पुलिस ने ₹129.58 करोड़ का दावा किया है. हालाँकि, सटीक देयता अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है. महाराष्ट्र पुलिस ने जनवरी 1996 से अप्रैल 2010 तक की अवधि के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती के लिए ₹129.58 करोड़ का दावा किया और पत्तन ने ₹ 57.08 करोड़ की देयता की गणना थी, जिसमें से ₹ 32.00 करोड़ का भुगतान पहले ही किया जा चुका है. पत्तन ने अप्रैल 2021 में महाराष्ट्र पुलिस से संपत्ति के किराये के संबंध में ₹ 67.91 करोड़ का दावा किया. बकाया राशि के स्वतंत्र सत्यापन के लिए, एक संयुक्त लेखा परीक्षा की जा रही है जिसके लिए एक प्रतिष्ठित लेखा परीक्षा फर्म को संयुक्त रूप से नियुक्त किया गया है. वसूली की कार्यवाही कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, मुंबई शहर के समक्ष लंबित है.

(बी) सेवा कर

ए) निम्नलिखितके विरुद्ध सेवा कर माँगोंके संबंध में सीईएसटीएटी के समक्ष अपीलें दायर की गई हैं:

- (i) मेसर्स उप प्रबंधक ईटी - ₹ 41,11,247
- (ii) मेसर्स मुख्य विधि अधिकारी - ₹ 28,41,864
- (iii) मेसर्स मुख्य सुरक्षा अधिकारी - ₹ 25,00,589

कुल विवादित राशि ₹ 94.54 लाख है. यह सभी मामले वर्तमान में लंबित हैं और सुनवाई की प्रतीक्षा है.

बी) आयुक्त (अपील) से प्राप्त टर्मिनल शुल्क पर सेवा कर हेतु ₹ 41.08 लाख और ₹ 1.05 लाख की माँग पर प्रक्रियाधीन है. विलंब के लिए क्षमा याचिका दायर की गई है और 15.05.2025 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है.

सी) सहायक आयुक्त, एसटी-1 मुंबई द्वारा अक्टूबर 2007 से जनवरी 2013 तक की अवधि के लिए एमसीजीएम से चुंगी वसूली हेतु वसूले गए कमीशन पर सेवा कर के लिए ₹ 21.19 करोड़ और उस पर जुर्माने की मांग लंबित थी. इस सेवा कर मांग के विरुद्ध एमबीपीए द्वारा 19.06.2015 को अपील दायर की गई थी.

यह मामला सुनवाई के लिए आया था और इसे सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान योजना) के तहत एमसीजीएम की जमा राशि से सेवा कर अधिकारियों को ₹ 73.32 लाख का भुगतान करके प्रस्तुत किया गया था. सबका विश्वास के तहत मामले के समाधान के बाद, अपीलीय न्यायाधिकरण ने 23.7.2020 को एमबीपीए/एमसीजीएम के पक्ष में एक आदेश पारित किया.

सुधारात्मक उपाय के रूप में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट दायर की गई है.

न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है कि मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा चुंगी वसूली एक संप्रभु कार्य है और इसलिए, सेवा कर के अधीन नहीं है. अपील स्वीकार कर ली गई और कर देयता रद्द कर दी गई.

डी) मुंबई के सेवा कर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त से प्राप्त संपत्ति किराये पर सेवा कर के रूप में ₹ 31.88 लाख और ₹ 31.88 लाख के जुर्माने की मांग लंबित है. उस पर अपील दायर की गई और उस पर सुनवाई हुई अपील को अपील आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया. इस अपील आदेश के विरुद्ध सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की गई है. मामला सुनवाई के लिए नहीं आया है.

(सी) एफकॉन्स मामले:

यह अधिनियम की धारा 34 के स्तर पर उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध दायर एक अपील मामला है और एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी.

वर्तमान स्थिति- मामला अंतिम बहस के चरण में है.

(डी) एमजीटी मामले :

न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय प्राप्त न होने के कारण वसूली योग्य शुल्कों के मुद्दे पर विवाद.

वर्तमान स्थिति: निपटारा हो गया.

(ई) आईसीटीपीएल और एमबीपीए के बीच मध्यस्थता :

यह विवाद दावेदार [आईसीटीपीएल] और प्रतिवादी [एमबीपीए] के बीच दिनांक 03.12.2007 को निष्पादित लाइसेंस समझौते के संबंध में उत्पन्न हुआ था. यह परियोजना (i) बैलार्ड पियर स्टेशन के प्रबंधन और संचालन तथा (ii) अपतटीय कंटेनर टर्मिनल के विकास, निर्माण, संचालन और रखरखाव से संबंधित थी. दावेदार ने विभिन्न दावों और राहतों का दावा किया है. हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी लाइसेंस समझौते की आवश्यकताओं का पालन करने और उसके तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप दावेदार को नुकसान हुआ है. प्राधिकरणके ने भी एक प्रतिदावा प्रस्तुत किया है.

वर्तमान स्थिति:

दिनांक 02.05.2025 की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, न्यायाधिकरण ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए दावेदार को 15 मई, 2025 तक संशोधन आवेदन और उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है. तत्पश्चात, प्रतिवादी को 31 मई, 2025 तक दावेदार के आवेदन का उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है. अगली तिथि 12 जून, 2025 की है.

(एच) आरकेईसी और एमबीपीए के बीच मध्यस्थता :

यह मामला पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक सहित तरल रासायनिक माल के संचालन हेतु एक विशेष बर्थ के निर्माण हेतु दावेदार और प्रतिवादी के बीच हुए एक अनुबंध से उत्पन्न हुआ है. द्वितीय रासायनिक घाट (एससीबी) के निर्माण का ठेका आरकेईसी को दिया गया था, क्योंकि यह न्यूनतम बोलीदाता था और इसने अन्य बोलीदाताओं की तुलना में बहुत कम कीमत उद्धृत की थी. विभिन्न परिस्थितियों के कारण कार्य का दायरा बढ़ा दिया गया था और विवाद कार्य के बढ़े हुए दायरे के लिए किए गए भुगतान को लेकर है. आरकेईसी का दावा है कि अतिरिक्त कार्य के लिए एमबीपीए द्वारा किया गया भुगतान कम है और इसलिए यह दावा उचित नहीं है.

वर्तमान स्थिति :

मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 6 अगस्त, 2022 को अपना निर्णय पारित किया. प्राधिकरणके ने माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में मध्यस्थता याचिका (एल) संख्या 3434/2023 दायर करके 6 अगस्त, 2022 के निर्णय को चुनौती दी है. आरकेईसी ने भी कॉम्प (एल) 5963/2023 दायर करके इस निर्णय को चुनौती दी है. दोनों याचिकाएँ वर्तमान में लंबित हैं. अगली तारीख तय नहीं की गई है.

(आय) मुं.प.प्रा. और सोंगा टोपाज़ के बीच मध्यस्थता:

यह मामला मुं.प.प्रा. द्वारा एमटी सोंगा टोपाज़ के पोत मालिक के विरुद्ध मुं.प.प्रा. को हुए व्यावसायिक नुकसान के लिए प्रस्तावित मध्यस्थता से संबंधित है. 2013 के दौरान, उक्त पोत पीर-पाऊ में निर्माणाधीन द्वितीय रासायनिक घाट से टकरा गया था. उक्त टक्कर के कारण जेटी को संरचनात्मक क्षति हुई और टक्कर वाले क्षेत्र में उसका पुनर्निर्माण करना पड़ा. इस पुनर्निर्माण के कारण, जेटी के चालू होने में देरी हुई और मुं.प.प्रा. को व्यावसायिक नुकसान हुआ. यह दावा मुं.प.प्रा द्वारा किए गए वास्तविक व्यवसाय के आधार पर किया गया है और इसलिए मुं.प.प्रा. ने पोत मालिक के एजेंटों और बीमा एजेंसी को मुं.प.प्रा. को ₹15 करोड़ की बैंक गारंटी देने का निर्देश दिया. यह बैंक गारंटी बीमा एजेंट अर्थात् मेसर्स गार्ड मरीन एंड एनर्जी, नॉर्वे द्वारा मुं.प.प्रा के पक्ष में जारी की गई है.

वर्तमान स्थिति :

1. इस मामले में, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 17 अप्रैल, 2023 को अपना निर्णय पारित किया है कि (ए) दावेदार (एमबीपीए) का दावा खारिज किया जाता है. (बी) प्रतिवादी का लागत का दावा खारिज किया जाता है. (सी) तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, प्रत्येक पक्ष अपनी लागत स्वयं वहन करेगा.
2. अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, द लॉ पॉइंट की टिप्पणियों सहित मध्यस्थता निर्णय मंडल के समक्ष रखा गया. 6.7.2023 के संकल्प संख्या 63 के तहत, मंडल ने वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की कि 17.4.2023 का मध्यस्थता निर्णय स्वीकार किया जा सकता है और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत अपील न की जाए.
3. निपटारा किया गया.

(जे) उच्च न्यायालय का मामला - धारा 34 - यूनाइटेड शिपर्स बनाम एमबीपीए - कमिशन आर्ब. याचिका संख्या 946/2019

यह याचिका यूनाइटेड शिपर्स द्वारा मुं.प.प्रा. के पक्ष में पारित एकमात्र मध्यस्थ के आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी. यह मामला मुंबई पत्तन जल सीमा में पत्तन लाइटरेज एरिया (पीएलए) में स्वामित्व/किराए पर ली गई फ्लोटिंग क्रेनों की तैनाती के लिए निविदा और याचिकाकर्ता द्वारा उन्हें तैनात करने में असमर्थता से संबंधित है.

वर्तमान स्थिति :

इस मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 25 फरवरी, 2020 को सूचीबद्ध किया गया था, पर, चूँकि न्यायालय विभिन्न मामलों में व्यस्त था, इसलिए मामले को 12 मार्च, 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था. तब से यह मामला सूचीबद्ध नहीं हुआ है और अंतिम तिथि (सीएमआईएस) 9 जुलाई, 2020 दर्शाई गई है. कोई अगली तिथि नहीं दर्शाई गई है. - लंबित.

(के) वस्तु एवं सेवा कर:-

वित्त वर्ष 2018-19: ₹ 23.58 करोड़ की मांग के विरुद्ध आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई है. इस पर सुनवाई प्रतीक्षित है.

18.

कराधान:

(क) वस्तु एवं सेवा कर :

मुं.प.प्रा. ने नियत तिथि के भीतर अपने सभी वैधानिक बकाया और शुल्क चुका दिए हैं.

क) आयकर:

बंदरगाह ने पिछली अवधि के दौरान हानि उठाई है, इसलिए इस वर्ष आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

(i) वित्त वर्ष 2018-19 से 'आस्थगित कर के प्रावधान' हेतु लेखांकन नीति में परिवर्तन किया गया है. मुं.प.प्रा. को हो रहे निरंतर घाटे को देखते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति के प्रत्युत्तर में आस्थगित कर का लेखांकन बंद कर दिया गया था. चालू वर्ष के दौरान संचित व्यावसायिक हानि/अनवशोषित मूल्यहास, मूल्यहास में अंतर और अग्रिम प्रीमियम शुल्क के कारण ₹ 131.71 करोड़ की आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ सृजित हुई हैं.

(ii) यह बताया जाता है कि कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष कोई कर निर्धारण लंबित नहीं है.

(iii) वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 10(20) में संशोधन के साथ, पत्तनो को 'स्थानीय प्राधिकरण' के रूप में दी गई आयकर छूट वापस ले ली गई और वित्तीय वर्ष 2002-03 से पत्तन आयकर अधिनियम, 1961 के दायरे में आ गए. इस प्रकार, आयकर अधिनियम के प्रावधान जैसे अग्रिम कर का भुगतान, कर लेखा परीक्षा के पश्चात आयकर रिटर्न दाखिल करना, टीडीएस आदि, मुं.प.प्रा. पर लागू हो गए और समय-समय

पर उनका विधिवत अनुपालन किया गया।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए (1)(बी) (i) के तहत जारी दिनांक 08/09/2009 के पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के फलस्वरूप, मुं.प.प्रा. को 1/04/2002 से 'धर्मार्थ संस्थान' का दर्जा प्राप्त हुआ। हालाँकि, आयकर निदेशक (छूट) ने अपने दिनांक 22/12/2011 के आदेश द्वारा उक्त पंजीकरण को निर्धारण वर्ष 2009-10 से वापस ले लिया था। इस आदेश के विरुद्ध आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर अपील के प्रत्युत्तर में, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने 8/9/2009 को प्रदान किए गए पंजीकरण को बहाल करने का आदेश जारी किया है।

आयकर अधिनियम की धारा 12एबी के संशोधित प्रावधानों के आलोक में, मुं.प.प्रा. को 'धर्मार्थ संस्थान' के रूप में पुनः पंजीकृत करने के लिए 13.09.2021 को आयकर विभाग में आवेदन किया गया है। एमबीपीए को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए (1)(एसी)(i) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2022-23 से निर्धारण वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए 01.10.2021 को 'धर्मार्थ संस्थान' के रूप में अनंतिम पंजीकरण प्राप्त हुआ।

वित्तीय वर्ष 2024-25 तक, निर्धारण वर्ष 2022-23 (वित्त वर्ष 2021-22) तक के आकलन पूरे हो चुके हैं। हालाँकि, निर्धारण वर्ष 2017-18 (निर्धारण वर्ष 2008-09 को छोड़कर) और निर्धारण वर्ष 2022-23 तक के सभी मामले विभिन्न अपीलीय मंचों पर हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, मुंबई पतन प्राधिकरण को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं, जो पतन उपयोगकर्ताओं, पट्टेदारों और किरायेदारों तथा बैंकों/वित्तीय संस्थानों को 08 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू 0.35% की दर से कर कटौती करने के लिए अधिकृत करते हैं।

(iv) मुंबई पतन प्राधिकरण ने आयकर अधिनियम के तहत धारा 10(46ए) के तहत आवेदन किया है। धारा 10(46ए) के अनुसार, किसी कंपनी के अलावा, केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित किसी निकाय या प्राधिकरण, बोर्ड, न्यास या आयोग द्वारा निम्नलिखित में से एक या अधिक उद्देश्यों से प्राप्त आय:

- (i) आवास सुविधाओं की आवश्यकता को संबोधित करना और पूरा करना;
- (ii) शहर, कस्बे या गाँव की योजना, विकास या सुधार;
- (iii) आम जनता के लाभ के लिए किसी गतिविधि का विनियमन, या विनियमन और विकास; या आम जनता की भलाई के लिए बनाई गई किसी भी गतिविधि के विनियमन से आय छूट प्राप्त होगी, इस प्रकार मुंबई पतन प्राधिकरण द्वारा अर्जित आय छूट प्राप्त हैं।

19.

सेवानिवृत्ति लाभ:

(क) पेंशन निधि, उपदान निधि और अवकाश नकदीकरण निधि के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, 31.03.2025 तक उपार्जित देयता निम्नानुसार थी:

(करोड़ रुपए में)

	31.03.2025 तक बीमांकिक मूल्यांकन	31.03.2025 तक निवेश शेष	शेष (अल्प निधीयन)
पेंशन निधि	13061.42	11976.63	1084.79
उपदान निधि #	381.93	357.24	24.69
अवकाश नकदीकरण *	187.09	0.33	186.76
कुल	13630.44	12334.20	1296.24

चूँकि एसबीआई, केनरा एचएसबीसी और एचडीएफसी के मामले में उपदान निधि निवेश के लिए ब्याज दर घोषित नहीं की गई है, इसलिए निवेश का मूल्यांकन वित्त वर्ष 2024-25 के निवेश पर दर (आरओआई) की मानकर किया गया है।

*अंतिम रूप देने के समय अवकाश नकदीकरण के लिए बीमांकिक मूल्यांकन प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए, पिछले वर्ष के बीमांकिक मूल्य को परम्परागत आधार पर माना गया है।

	<p>लेखा मानक 15 के अनुसार और आयकर अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, सेवानिवृत्ति लाभों को वित्तीय विवरणों में अलग से दर्शाया गया है.</p> <p>ए. 14.1.2004 को एक अपरिवर्तनीय पेंशन निधि न्यास बनाया गया है जो आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित है. 31.3.2025 तक पेंशन निधि निवेश में शेष राशि ₹11,976.63 करोड़ थी, जबकि बीमांकिक मूल्यांकन ₹ 13061.42 करोड़ था. लेन-देन के लिए लेखाबही रखी जाती हैं और अलग से अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं.</p> <p>बी. उपदान देयता के प्रबंधन के लिए एक अपरिवर्तनीय उपदान निधि न्यास बनाया गया है और 31.3.2025 तक निधि निवेश शेष ₹ 381.93 करोड़ था. एलआईसी के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, 31.03.2025 तक कर्मचारी समूह उपदान न्यास की आवश्यकता ₹ 357.24 करोड़ है. लेन-देन के लिए खाता बही बनाए रखी जाती है और अलग से अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं.</p> <p>सी. 01.01.2004 से पहले बनाए गए कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि का प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है और 31.03.2025 तक निधि शेष ₹ 656.03 करोड़ था.</p> <p>डी. एसबीआई लाइफ द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, अवकाश नकदीकरण निधि की देयता ₹ 187.09 करोड़ है. अवकाश नकदीकरण निधि का पूर्ण उपयोग किया जा चुका है और निधि में निवेश के रूप में ₹ 0.33 करोड़ शेष हैं. चालू वित्त वर्ष के दौरान इस निधि में कोई और धनराशि नहीं डाली गई है और अवकाश नकदीकरण निधि पर व्यय एमबीपीए के राजस्व खाते से किया जाता है.</p> <p>भूमि मुद्रीकरण के बाद पर्याप्त धनराशि प्राप्त होने पर पेंशन निधि न्यास और समूह उपदान निधि न्यास की देनदारियों का पूर्ण भुगतान कर दिया जाएगा.</p>
20.	<p>राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली:</p> <p>केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) उन कर्मचारियों पर लागू होती है जिनकी नियुक्ति 01.1.2004 को या उसके बाद हुई है. न्या.सं.संख्या 134/29.09.2022 के तहत, मंडल ने 01.04.2019 से पत्न द्वारा दिए जाने वाले मासिक अंशदान को मूल वेतन + डीए के 10% से बढ़ाकर 14% करने की स्वीकृति प्रदान की. इस प्रकार, कर्मचारी द्वारा दिया जाने वाला मासिक अंशदान वेतन + डीए का 10% और मुंबई पत्न प्राधिकरण द्वारा देय मूल वेतन + डीए का 14% है.</p>
21.	<p>पत्न ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ अपनी पत्न संपत्तियों की बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण 01.11.2024 से 31.10.2025 तक के लिए किया है, जिसके लिए वर्ष के दौरान ₹ 16.17 करोड़ (जीएसटी सहित) का बीमा प्रीमियम अदा किया गया है. जीएसटी पर उचित आईटीसी (₹ 2.46 करोड़) का दावा किया गया है. 01.04.2025 से 31.10.2025 तक की अवधि के लिए अदा किए गए ₹8.03 करोड़ के आनुपातिक बीमा प्रीमियम की राशि को पूर्व-भुगतान व्यय में शामिल कर लिया गया है.</p>
22.	<p>वडाला-कुर्ला समर्पित माल लाइन परियोजना :</p> <p>मुं.प.प्रा. ने एमएमआरडीए के माध्यम से झोपड़ियों को हटाने और पुनर्वास तथा मध्य रेलवे द्वारा रेलवे लाइन बिछाने से संबंधित कार्यों के लिए मध्य रेलवे को ₹ 77.38 करोड़ की राशि का भुगतान किया है. इस परियोजना से पत्न के कार्गो की शीघ्र निकासी सुनिश्चित होगी. समझौता ज्ञापन के खंड-1(I) में कहा गया है कि मध्य रेलवे उक्त समर्पित लाइन के उपयोग के लिए मुं.प.प्रा. के यातायात को प्राथमिकता देगा. चूँकि पिछले कुछ वर्षों में माल यातायात में कमी आई है, इसलिए परियोजना को स्थगित रखा गया है. हालाँकि, परियोजना को अभी तक छोड़ा नहीं गया है. माल यातायात बढ़ने पर परियोजना को पुनर्जीवित किया जाएगा. पत्न ने विषय कार्य की स्थिति को पूंजीगत प्रगतिशील कार्यों (सीडब्ल्यूआईपी) के रूप में बनाए रखा है.</p>

23.	<p>संबंधित पक्ष प्रकटीकरण:</p> <p>1) <u>इंडियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल):</u></p> <p>मुं.प.प्रा. इंडियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल) में ₹ 4.50 करोड़ का एक इक्विटी हिस्सेदार है, जिसमें इक्विटी शेयर है, जिसमें ₹10/- प्रत्येक के 45,00,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं. आईपीआरसीएल 11 प्रमुख पतनों और रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के बीच गठित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे 10 जुलाई 2015 को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था.</p> <p>2) <u>मुंबई पोर्ट सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन:-</u></p> <p>मुं.प.प्रा. के मंडल ने न्यासी संकल्प सं. 45 दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से मुंबई पोर्ट सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन के गठन के लिए ₹15,00,000/- के इक्विटी योगदान के साथ ₹10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर को अनुमोदन प्रदान किया है. स्थापना व्यय के लिए ₹ 5.00 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है. कार्यालय स्थान के लिए जगह 5 वर्ष की अवधि के लिए निःशुल्क प्रदान की जाएगी.</p>
24.	<p>पिछले वर्ष और चालू वर्ष के आंकड़ों के संबंध में प्रस्तुति में परिवर्तन के साथ-साथ खातों पर टिप्पणियाँ में परिवर्तन 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्रबंधन पत्र में लेखापरीक्षा द्वारा जारी टिप्पणियों और 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा जारी टिप्पणियों का अनुपालन करने के लिए किए गए हैं.</p>
25.	<p>अनुसूचियाँ तुलन-पत्र और राजस्व खाते का एक अभिन्न अंग हैं.</p>

हस्ता/-

(माधुरी वराडे)

वित्तीय सलाहकार और मुख्य

लेखा अधिकारी

20th मई 2025

हस्ता/-

सुशील कुमार सिंह

(अध्यक्ष)

**SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS
FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2025.**

I	The Central Govt. vide enactment of the Major Port Authorities Act, 2021 has replaced the Major Port Trusts Act, 1963 to provide greater autonomy, flexibility to the major ports and to professionalize their governance. Accordingly, the Mumbai Port Trust has changed its name to "MUMBAI PORT AUTHORITY" w.e.f 31.01.2022. A gazette notification has been issued vide No. GAD/G/MPA/1204 dated 25.03.2022. (TR No.2 of 15.02.2022)
II	<u>SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES</u>
1.	The accounting system has been devised with a view to enabling presentation of financial accounts, in terms of the principal activities of the Port.
2.	The financial statements are prepared under the historical cost convention and on the accrual basis of accounting.
3.	MbPA is following historical cost model for determining the gross carrying amount for each class of asset except land. The different components of the big projects are deemed to be put in use only after the completion of the entire project and date of put to use will be uniform for all the components of the project. Capital Assets are stated at cost less accumulated depreciation. Cost is inclusive of freight, duties, taxes and incidental expenses incurred at the time of acquisition/construction.
4.	The inventory is valued at weighted moving average for consumption. The consumption is booked by FIFO method. The Closing balance of inventory are valued at actuals.
5.	Investments are classified and disclosed in accordance with the applicable accounting standards and guidelines prescribed by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, and relevant Indian Accounting Standards (Ind AS) or Accounting Standards (AS). Investments in shares of IPRCL and Sustainability Foundation are shown at cost. Investment in Mutual Funds are carried at cost or market value whichever is lower. FDRs are carried at cost.
6.	Depreciation is calculated on straight-line method. The useful lives of the assets have been fixed in terms of guidelines issued by Government from time to time.
7.	Revenue recognition: a) Revenue is accounted by following accrual basis of accounting. Income arising from Cargo activities is accounted on completed service basis. b) In case of sale of movable and immovable Assets, the income is accounted on receipt of sale price. c) Revenue from sale of unclaimed goods is accounted after clearance of goods on sale except major items costing above ₹.5 crore is accounted as income on attaining certainty of realization of sale proceeds. d) In view of the uncertainty involved in ultimate realization of principle amount, interest on delayed payment and disputed claims are accounted for on receipt of principle amount. e) Upfront payment received on leasing of land plots are being amortized over the lease period. One time premium if any received on leasing of land will be taken to revenue account. f) Income generated on sale of SEIS scripts and TDR are accounted on realization basis.

8.	All Dollar denominated tariff is recovered in Indian Rupees after conversion of charges prescribed in dollar into its equivalent Indian Rupees at the market buying rate on the date of payment notified by the Reserve Bank of India, State Bank of India or its associates or any other Public Sector banks as may be specified from time to time as per provisions of SOR.
9.	Based on the guidelines given in the CFFR, Port has adopted the following method of presentation of government grants in the financial statements: “Grants related to specific fixed assets, may be shown as a deduction from the gross value of the asset concerned in arriving at its book value.” Details of the grants received during the year 2024-25 are disclosed at sr. No.9 in Notes to Accounts.
10.	By TR No.173 of 1979, the Port has adopted a policy to create provision for bad and doubtful debts @ 5% of the total outstanding debtors at the year end.

III	NOTES TO ACCOUNTS
1	<p>As per para (iii) of TR No.18/06.04.2021, it was decided that- This will be done in case of Estate Rentals as per the criteria specified in TR. <i>“For FY 2021-22 and for future years: the tax invoices- may be raised only to the extent of the recognition of the revenue and pay GST accordingly and to apply to the concerned authorities for provisional assessment of tax and pay provisional tax at the lower rental amount and follow the conditions of invoicing mentioned as per legal advice.”</i></p>
2.	<p>Permission is granted vide TR No.59 of 28.09.2016 for continuing alternate use of the OCT for handling of Car Carriers (allowed vide TR 26 of 30.03.2015) till final decision is taken about re-structuring of OCT Project. Till such time existing arrangements with revenue share as approved by the Board by TR 104 of 28.10.2015 is continuing i.e. 72% to MbPA and 28% to the Licensee, if ICTPL levies tariff @ MbPA SOR and if ICTPL levies tariff @ 130% of tariff of MbPA, revenue share would be 55:45 i.e. 55% to MbPA and 45% to ICTPL. Though ICTPL is levying Berth Hire charges @ 130% of MbPA SOR and Wharfage @100% of MbPA SOR, the revenue share paid by them under both the scenario is 55%. An amount of ₹.47.72 crore is realized as revenue share towards Import and Export Wharfage at OCT berths and ₹. 24.12 Crore towards berth hire charges. The amounts are accounted for in cargo related income and Port & Dock charges respectively during the year F.Y.2024-25.</p>
3.	<p>The fixation of rateable value of MbPA properties by Govt. of India is pending since 1964-1969. MbPA requested Ministry in January 2008 and April 2016 for valuation of rateable MbPA properties. The same was reminded in October 2018, however the issue is still pending with Ministry.</p> <p>MCGM charge General Tax in lieu of Property Tax on the Assets of MbPA based on its rateable values determined by Government. MCGM charges property tax @4.87 cr. per annum to MbPA and MbPA charges @1.46 Cr. per annum maintenance cost for its properties to MCGM. MbPA has affected annual payments of ₹.3.91 cr of property tax after deducting maintenance cost @₹.1.46 cr.</p> <p>In 1995-96 MCGM requested MbPA to delink reduction of Maintenance cost from the Property tax payable to them which was accepted by MbPA. However, an alternative to recover the property tax from MCGM was not suggested then by them. On pursuing the matter with MCGM it was conveyed that there exists no guidelines for recovering/ adjustment of maintenance cost from property tax and MbPA has to approach concern department of MCGM for recovery. As on 27.02.2025, Property tax payable by MbPA is ₹.45.70 cr. and MbPA’s claim towards maintenance cost was ₹.48.69 Cr.(approx.)</p>
4.	<p>Gross and net block of fixed assets at the beginning of the year and at the end of the year 2024-25 showing additions, deletions, disposals, adjustments etc. have been disclosed in the Schedule II to Balance Sheet as on 31.03.2025 in terms of Accounting Standard 10. During the year, no assets have been revalued.</p>

5.	Information relating to investments viz. aggregate amount of quoted and non-quoted investment has been disclosed in the Schedule III to Balance Sheet as on 31.03.2025.																																																
6.	The amount equivalent to profit on disposal of Capital Assets has been transferred to Capital Reserve through appropriation.																																																
7.	As pointed out in audit as regards the investments against the specific funds it is stated that on availability of investible surplus it will be transferred to the specific funds. The position of Funds vis.a.vis. Investments is detailed below: (₹. in crore)																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Particulars</th> <th>Balance of the earmarked funds</th> <th>Investment made thereof</th> <th>Shortfall</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>General Reserve Fund</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Fire & Motor Insurance Fund</td> <td>140.15</td> <td>0.00</td> <td>140.15</td> </tr> <tr> <td>War Memorial Fund</td> <td>0.02</td> <td>0.00</td> <td>0.02</td> </tr> <tr> <td>Fund for RRM of Capital Assets</td> <td>1012.88</td> <td>1012.88</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Fund for DRLC</td> <td>13.16</td> <td>13.16</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Centenary Commemoration Fund(CCF)</td> <td>14.32</td> <td>13.55</td> <td>0.77</td> </tr> <tr> <td>Leave Encashment Fund</td> <td>0.00</td> <td>0.33</td> <td>-0.33</td> </tr> <tr> <td>CSR Fund</td> <td>17.34</td> <td>17.22</td> <td>0.12</td> </tr> <tr> <td>Employees Welfare Fund</td> <td>0.01</td> <td>0.00</td> <td>0.01</td> </tr> <tr> <td>Capital Investment Fund</td> <td>178.74</td> <td>178.74</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1376.62</td> <td>1235.86</td> <td>140.76</td> </tr> </tbody> </table>	Particulars	Balance of the earmarked funds	Investment made thereof	Shortfall	General Reserve Fund	0.00	0.00	0.00	Fire & Motor Insurance Fund	140.15	0.00	140.15	War Memorial Fund	0.02	0.00	0.02	Fund for RRM of Capital Assets	1012.88	1012.88	0.00	Fund for DRLC	13.16	13.16	0.00	Centenary Commemoration Fund(CCF)	14.32	13.55	0.77	Leave Encashment Fund	0.00	0.33	-0.33	CSR Fund	17.34	17.22	0.12	Employees Welfare Fund	0.01	0.00	0.01	Capital Investment Fund	178.74	178.74	0.00	Total	1376.62	1235.86	140.76
Particulars	Balance of the earmarked funds	Investment made thereof	Shortfall																																														
General Reserve Fund	0.00	0.00	0.00																																														
Fire & Motor Insurance Fund	140.15	0.00	140.15																																														
War Memorial Fund	0.02	0.00	0.02																																														
Fund for RRM of Capital Assets	1012.88	1012.88	0.00																																														
Fund for DRLC	13.16	13.16	0.00																																														
Centenary Commemoration Fund(CCF)	14.32	13.55	0.77																																														
Leave Encashment Fund	0.00	0.33	-0.33																																														
CSR Fund	17.34	17.22	0.12																																														
Employees Welfare Fund	0.01	0.00	0.01																																														
Capital Investment Fund	178.74	178.74	0.00																																														
Total	1376.62	1235.86	140.76																																														
	Investments amounting to Rs.97.61 crores have been kept unallocated.																																																
8.	Accumulated interest as on 31.03.2025 on Centenary Commemoration Fund (CCF) investments is transferred to CC Fund in the F. Y. 2024-25.																																																
9.	MbPA carried out Electronic total station survey of its entire land in the year 2016. Accordingly, the land area belonging to MbPA is 942.71 Ha. Out of these total land areas, MbPA possesses PR card for 726.72 ha and PR Cards for balance area of 215.99 Ha, efforts are being made to obtain PR cards from Mumbai City Survey Office, which is in progress. Transferable Development Rights (TDR) pertaining to MbPA's land at Manda, Titwala, which is transferred to the Kalyan Dombivli Municipal Corporation (KDMC), have been recognized under intangible assets at a value of ₹23,158.29.																																																
10.	<p>Project Financing:</p> <p>a) Capital Grants received during 2024-25 towards various projects are tabulated below:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Project</th> <th>Grant Received from</th> <th>Grant Received (₹. in Cr.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modernization of Mumbai International Cruise Terminal</td> <td>Ministry of Tourism</td> <td>6.96</td> </tr> <tr> <td>Fishing Harbor</td> <td>MOS-Sagarmala</td> <td>23.67</td> </tr> <tr> <td>TCB</td> <td>MOS-Sagarmala</td> <td>7.08</td> </tr> <tr> <td>SCADA</td> <td>MOS-Sagarmala</td> <td>5.82</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>43.53</td> </tr> </tbody> </table> <p>As per new guidelines, amounts received as grants are parked in a separate Bank account.</p>	Project	Grant Received from	Grant Received (₹. in Cr.)	Modernization of Mumbai International Cruise Terminal	Ministry of Tourism	6.96	Fishing Harbor	MOS-Sagarmala	23.67	TCB	MOS-Sagarmala	7.08	SCADA	MOS-Sagarmala	5.82		TOTAL	43.53																														
Project	Grant Received from	Grant Received (₹. in Cr.)																																															
Modernization of Mumbai International Cruise Terminal	Ministry of Tourism	6.96																																															
Fishing Harbor	MOS-Sagarmala	23.67																																															
TCB	MOS-Sagarmala	7.08																																															
SCADA	MOS-Sagarmala	5.82																																															
	TOTAL	43.53																																															

III	NOTES TO ACCOUNTS
11.	All petty Imprest are managed through SBI EZ Cards 45 SBI-EZ Cards have been issued to the concerned department's staff to carry out their day to day transactions as on 31.3.2025. In addition to above, there are three imprest accounts with SBI, Mazgaon Branch for the purpose of urgent purchase of fuel and other items of consumption managed by the Materials Manager and the Chief Mechanical Engineer.
12.	<p>Capital Investment Fund:-</p> <p>The Board, vide Board Resolution No. 92 dated 20.08.2024, has approved the creation of a Capital Investment Fund to meet future expenditures related to the creation of tangible and intangible assets, replacement of existing assets, investment in new business opportunities, and any other future requirements. This BR supersedes Board Resolution No. 32 dated 04.05.2023. Accordingly 25% of Estate Income realised and 25% of Asset monetisation received during FY 2024-25 is allocated towards creation of Capital Investment Fund.</p>
13.	<p>SBI Overnight Fund:-</p> <p>The Board has approved the investment of unutilised amounts lying in the current account over weekends into the SBI Overnight Fund. The Port is currently operating the SBI Overnight Fund for Revenue and Provident Fund (PF) accounts.</p>
14.	As on 31.03.2025 the Market Value of "SBI Nifty Index Fund" is 2,57,44,957.60 and the market value of "SBI BSE Sensex IDX Fund" is Rs. 2,56,95,793.92. These Mutual funds are disclosed at cost.
15.	The groupings in the Balance Sheet and Profit and Loss Account have been reclassified and recasted, wherever necessary, for the current and the previous year to ensure consistency, comparability and uniformity in presentation.
16.	<p>Note on Embezzlement incident:</p> <p>During the year, instance of an embezzlement involving unauthorized remittance by an employee resulting in an outgo of Rs, 33 lakhs approximately was identified. The matter was promptly investigated and recovery was ensured. Appropriate system improvement has been carried out. Further, necessary actions as per Mumbai Port Authorities Employees (Conduct) Regulations 1976 on the involved employee has been initiated.</p>
17.	<p>Contingent liabilities</p> <p>Law suits amounting to ₹.69.07 crore on various subject matters for and against MbPA are pending in various courts.</p> <p>(a) Though the Port has provided for the accrued liability of ₹.65.83 crore towards payment due to Maharashtra Police, the Maharashtra Police has raised the claim for Rs.129.58 crore. However, the exact liability is not yet crystalized. Maharashtra Police claimed ₹.129.58 crores for deployment of Police personnel for the period from January 1996 to April 2010 and the Port had arrived the liability for ₹.57.08 crore of which ₹.32 crore already settled by them. Port further claimed ₹.67.91 crore in respect of Estate Rental from Maharashtra Police in April 2021. For independent verification of outstanding dues, a joint audit is being conducted for which a reputed Audit Firm has been jointly appointed. Recovery proceeding is pending before Collector and District Magistrate, Mumbai City.</p> <p>(b) Service Tax</p> <p>a) Appeals have been filed before the CESTAT in respect of service tax demands raised against:</p>

- (i) M/s Dy Manager ET - Rs 41,11,247
- (ii) M/s Chief Law Officer - Rs 28,41,864
- (iii) M/s Chief Security Officer - Rs 25,00,589

The total disputed amount is Rs. 94.54 lakhs. All these matters are currently pending and hearings are awaited.

b) Demand of Rs 41.08 lakhs and Rs 1.05 lakhs for service tax on Terminal charges received from Commissioner (Appeals) is ongoing. Condonation of delay was filed and is listed for hearing on 15.05.2025.

c) A demand of Rs 21.19 crore plus penalty thereon for the period from Oct 2007 to Jan 2013 raised by Astd Commissioner, ST-1 Mumbai for service tax on commission recovered from MCGM for collection of octroi was pending.

An appeal was filed by MBPA against this Service Tax demand on 19.06.2015.

The matter had come up for hearing and same had been submitted for Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution Scheme) by making payment of Rs. 73.32 lakhs to Service Tax authorities from deposits retained of MCGM. After resolution of matter under Sabka Vishwas, The Appellate Tribunal has passed an order in favour of MbPA/MCGM on 23.7.2020.

As a corrective measure caveat has been filed in High Court & Supreme Court.

The Tribunal has concluded that Mumbai Port Trust's collection of octroi is a sovereign function and, therefore, not subject to service tax. The appeal was allowed, and the tax liability was overturned.

d) A demand of Rs.31.88 lakh plus penalty of Rs.31.88 lakh for Service Tax on Estate rentals received from Addl. Commissioner, Service Tax, Mumbai is pending. Appeal was filed and came up for hearing. The appeal was rejected by an order-in-appeal. Appeal has been filed before CESTAT against this order-in-appeal. The matter has not come up for hearing.

(c) AFCONS matters:

This is an appeal matter filed against order of the High Court at the stage of Section 34 of the Act and the order of single judge was challenged.

Present Status-

The matter is at the stage of final argument.

(d) MGT matters

Dispute on the issue of charges recoverable on account of non-achievement of MGT.

Present status:

Disposed off.

(e) Arbitration between ICTPL and MbPA

The dispute arose in connection with the License Agreement dated 03.12.2007 executed between the Claimant [ICTPL] and the Respondent [MbPT] for the project related to (i) Management and operation of Ballard Pier Station and (ii) Development, construction, operation and maintenance of the Offshore Container Terminal. The Claimant has

raised various claims and reliefs alleging that the Respondent has failed to comply with the requirements of the License Agreement and to perform its obligations thereunder, which consequently caused losses to the Claimant. MbPT has also raised a counter claim.

Present Status

As per the Minutes of the Meeting dated 02.05.2025 the Tribunal has pleased to allow the request and directed the Claimant to file the Amendment Application and Reply by May 15, 2025. Thereafter directed the Respondent to file Reply to the Claimants application by May 31, 2025. The next date is on June 12, 2025.

(h) Arbitration between RKEC and MbPA

The matter arises out of a contract entered into between the Claimant and Respondent for the construction of a specialized berth for handling liquid chemical cargo including petroleum, oil, and lubricants. The Tender for the construction of the Second Chemical Berth (SCB) was awarded to RKEC, as it was L1 and had quoted a much lower price than other bidders.

The scope of the work was increased due to various circumstances and the dispute is regarding the payment made for the increased scope of work. RKEC claims that the payment made by MbPT for the extra work is less and therefore the claim.

Present Status

The Arbitral Tribunal passed its Award on August 6, 2022. MbPT has challenged the Award dated August 6, 2022 by filing Arbitration Petition (L) No. 3434 of 2023 in the Hon'ble Bombay High Court. Even RKEC has challenged the award by filing COMAP (L) 5963 of 2023. Both the Petitions pending at present. No next date is assigned.

(i) Arbitration between MbPA and Songa Topaz

The case relates to a proposed arbitration to be initiated by MbPT against the vessel owner of MT Songa Topaz for business loss caused to MbPT. During 2013, the said vessel collided with under-construction Second Chemical Berth at Pir-Pau. The said collision caused structural damages to the jetty and the same had to be reconstructed at the collision area. Due to this reconstruction, the commissioning of the jetty was delayed and MbPT suffered loss of business. This is claimed on the basis of the actual business done by MbPT and therefore MbPT directed the agents of the vessel owner and the insurance agency to furnish MbPT a bank guarantee of ₹. 15 crores. This bank guarantee is issued in favour of MbPT by the insurance agent i.e. M/s. GARD Marine and Energy, Norway.

Present Status

1. In this matter, the Arbitral Tribunal has passed its Award on April 17, 2023 that (a) The Claimant's (MbPA) claim is dismissed. (b) The Respondent's claim for costs is dismissed. (c) On the facts and circumstances, each party to bear their own costs.
2. The Arbitral Award with comments from The Law Point was placed before the Board after obtaining Chairperson's approval. Vide Resolution No.63 of 6.7.2023, Board accorded approval to the Financial Adviser & Chief Accounts Officer's proposal that the Arbitral award dated 17.4.2023 may be accepted and appeal under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 may not be preferred due to non-maintainability.
3. Disposed off.

(j) High Court matter – Section 34 – United Shippers v MbPA – Comm. Arb. Petition

III	NOTES TO ACCOUNTS
	<p>No. 946 of 2019 This Petition was filed by United Shippers against the order of the Sole Arbitrator passed in favour of MbPT. The matter is regarding the Tender for deployment of Owned/ Hired Floating Cranes at Port Lighterage Area (PLA) in Mumbai Port water limits and the inability of the Petitioner to deploy the same.</p> <p><u>Present Status</u> The matter was last listed on February 25, 2020 for final hearing, however, since the Court was occupied with different matters, the matter was adjourned to March 12, 2020. The matter has not listed since then and the last date (CMIS) is shown as July 9, 2020. No next date is shown. – Pending.</p> <p>(k) Goods and Services Tax:- FY 2018-19: Appeal has been filed before the Commissioner (Appeals) against a demand of ₹23.58 crores. Hearing for the same is awaited.</p>
18.	<p>Taxation:</p> <p>(a) Goods and Services Tax Mumbai Port Trust has remitted all its statutory dues and duties within due date</p>
	<p>(b) Income Tax: The Port has reported losses for the previous period, hence no provision has been made for Income Tax this year.</p> <p>(i) Since FY 2018-19 there was change in accounting policy for 'Provision for Deferred Tax'. The accounting of deferred tax was discontinued in response to the Audit objection raised considering the continuous losses incurred by MbPT. During the current year deferred tax asset to the tune of ₹. 131.71 crores is created due to accumulated business loss/ unabsorbed depreciation, difference in depreciation and upfront premium fees.</p> <p>(ii) It is stated that no assessment is pending before Assessing Officer.</p> <p>(iii) With amendment in section 10(20) in Finance Act, 2002 exemption of Income Tax allowed to Ports as 'Local Authority' was withdrawn and Ports came under the purview of Income Tax Act, 1961 from the financial year 2002-03. As such the provisions of Income Tax Act viz. payment of Advance Tax, filing of return of Income by conducting Tax Audit, TDS, etc. became applicable to MbPT and duly complied with from time to time.</p> <p>Pursuant to obtaining the registration certificate dated 08/09/2009 issued u/s 12AA (1)(b) (i) of I.T. Act, 1961, MbPT got the status as a 'Charitable Institution' w.e.f. 1/04/2002. However, the Director of Income Tax (Exemp.) by his order dated 22/12/2011 had withdrawn the said registration w.e.f. A.Y.2009-10. In response to the appeal filed with ITAT against the order, ITAT has issued an order restoring the registration granted on 8/9/2009.</p> <p>In light of amended provisions of section 12AB of Income Tax Act, An application has been made with Income Tax Department on 13.09.2021 for re-registration MbPA</p>

as 'Charitable Institution'. MbPA got the provisional registration as a 'Charitable Institution' u/s 12A (1)(ac)(i) of I.T. Act, 1961 on 01.10.2021 for the period AY 2022-23 to AY 2026-27.

Till F.Y.2024-25, the assessments upto AY 2022-23 (F.Y 2021-22) have been completed. However, all the cases upto AY 2017-18 (except A.Y.2008-09) & AY 2022-23 are at the various appellate forums.

For the F.Y. 2024-25, MbPA has received certificates u/s 197 of Income-Tax Act, 1961 authorising the Port users, leases and tenants and Banks/ Financial Institutes to deduce Tax @0.35% applicable w.e.f. 08th July 2024 to 31st March 2025.

(iv) Mumbai Port has made application u/s 10(46A) under the income tax act. As per section 10(46A), any income derived by a body or authority, board, trust, or commission, other than a company, established or constituted by or under a central or state act for one or more of the following purposes:

- (i) addressing and meeting the need for housing accommodations;
 - (ii) city, town, or village planning, development, or improvement;
 - (iii) regulating, or regulating and developing, any activity for the general public's benefit; or
- Regulating anything that has to do with the reason it was made for the good of the general public shall be exempt, thus making income earned by Mumbai Port exempt.

19. Retirement Benefits:

(a) Based on actuarial valuation of Pension Fund, Gratuity Fund and Leave Encashment Fund, the accrued liability as on 31.03.2025 stood as follows:

(₹ In Crores)

	Actuarial Valuation as on 31.03.2025	Investment as on 31.03.2025	Balance (Short –Funding)
Pension Fund	13061.42	11976.63	1084.79
Gratuity Fund#	381.93	357.24	24.69
Leave Encashment *	187.09	0.33	186.76
Total	13630.44	12334.20	1296.24

Since the interest rate is not declared for Gratuity fund investment in case of SBI, Canara HSBC and HDFC the investment valuation is done assuming ROI of FY 2024-25.

*The actuarial valuation for Leave Encashment was not received at the time of finalisation, hence, the actuarial value for previous year has been considered on conservative basis.

In accordance with Accounting Standard 15 and complying with the provisions of Income Tax Act the retirement benefits are separately shown in the financial statements.

- a. An irrevocable Pension Fund Trust has been created on 14.1.2004 and is approved by the Income Tax Commissioner. The balance in Pension Fund Investment as on 31.3.2025 stood at ₹.11,976.63 Crore as against the actuarial valuation of ₹.13061.42 Crore. Books of accounts are maintained for the transactions and separate final accounts are prepared.
- b. An irrevocable Gratuity Fund Trust has been created to manage the gratuity liability and

III	NOTES TO ACCOUNTS
	<p>the fund Investment balance as on 31.3.2025 stood at ₹.381.93 Crore. As per actuarial valuation from LIC, the requirement of Employees Group Gratuity Fund amounts to ₹.357.24 Crore as on 31.03.2025. Books of accounts are maintained for the transactions and separate final accounts are prepared.</p> <p>c. The General Provident Fund of the employees created before 01.01.2004 is managed by the Port and the fund balance stood at ₹.656.03 Crore as on 31.03.2025.</p> <p>d. As per the actuarial valuation done by SBI Life the liability of Leave Encashment Fund amounts to ₹.187.09 Cr. Leave Encashment Fund has been fully utilised and there is balance of ₹.0.33 Cr. in investment of the fund. No further funding has been made to the fund during the current financial year and the expenditure on leave encashment fund is met from Revenue Account of MbPA.</p> <p>The liabilities of PFT and GGFT will be discharged fully after receipt of sufficient funds realised after land monetization.</p>
20.	<p>National Pension System:</p> <p>National Pension System (NPS) introduced by the Central Govt. is made applicable to the employees who have been recruited on or after 01.1.2004. Vide TR No. 134/29.09.2022, the Board accorded approval for enhancement of monthly contribution to be paid by the Port from 10% to 14% of the Basic + DA w.e.f. 01.04.2019. As such, the monthly contribution is 10% of the salary + DA to be paid by the employee and 14% of the Basic + DA payable by the Mumbai Port Authority.</p>
21.	<p>The Port has renewed its insurance policy of port properties with The New India Assurance Co. Ltd. from 01.11.2024 till 31.10.2025 for an insurance premium of ₹.16.17 crore (including GST) paid during the year. Appropriate ITC on GST (₹.2.46 Crore) has been claimed. Amount of proportionate insurance premium of ₹.8.03 crore paid for the period from 01.04.2025 to 31.10.2025 has been charged to the pre-paid expenses.</p>
22.	<p>Wadala-Kurla dedicated goods line Project-</p> <p>MbPA has paid an amount of ₹77.38 Cr. to the Central Railway towards removal and rehabilitation of hutments through MMRDA and for works related to laying of railway lines by Central railway. This project will ensure speedy clearance of Cargo of the Port. The MOU in clause-1(I) states that Central Railway will give precedence to traffic of MbPA for the use of the said dedicated line. As over the years, the cargo traffic has come down, the project is kept in abeyance. However, the project is not abandoned yet. The project will be revived once the cargo traffic increases. The Port has retained the status of the subject work as CWIP.</p>
23.	<p>Related Party Disclosure:</p> <p>1) <u>Indian Port Rail Corporation Ltd. (IPRCL)</u> –</p> <p>MbPA is an Equity Partner in the Indian Port Rail Corporation Ltd. (IPRCL) with an equity share of ₹4.50 Crore comprising of 45,00,000 equity shares of ₹ 10/- each. IPRCL is a Joint Venture Company formed between 11 Major Ports and Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) established on 10th July 2015 by GOI.</p> <p>2) <u>Mumbai Port Sustainability Foundation:-</u></p> <p>The Board of MbPA vide BR No. 45 dated 26.06.2023 has accorded approval for the formation of Mumbai Port Sustainability Foundation with an equity contribution of ₹15,00,000/- comprising of 1,50,000 equity shares of ₹10/- each. The initial budget provision of ₹1 Cr. with corpus of ₹5 Crore towards establishment expenses is approved. The office space will be provided free of cost for a period of 5 years.</p>
24.	<p>The changes in presentation in respect of previous year and current year figures as well as</p>

III		NOTES TO ACCOUNTS
		changes in Notes to Accounts are made to comply with the observations issued by the Audit in Management Letter for the year ended 31.03.2023 and the observations issued by the Audit during the audit of Financial Statements for the year ended 31.03.2024.
	25.	The schedules form an integral part of the Balance Sheet and Revenue Account.


(Madhuri Varade)
Financial Adviser And
Chief Accounts Officer

20th May 2025


Sushil Kumar Singh
Chairperson

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राय

योग्य राय

हमने मुंबई पत्तन प्राधिकरण के वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण और उसी वर्ष समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा शामिल है, और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ भी शामिल हैं, जिनमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के साथ पठित महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44 (2) के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश शामिल है।

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं से अनुरूपता, लेखांकन मानकों, प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) के अनुपालन और दक्षता एवं निष्पादन पहलुओं आदि के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ भी शामिल हैं। यदि कोई हो, तो निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती है।

हमारी राय में, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामलों को छोड़कर, मुंबई पत्तन प्राधिकरण के संलग्न वित्तीय विवरण, लेखांकन नीतियों और उन पर टिप्पणियों के साथ पढ़े गए, और निम्नलिखित पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित मामले, 31 मार्च, 2025 तक स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति और उसके वित्तीय प्रदर्शन तथा प्रमुख महापत्तन द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सामान्य ढाँचे (सीएफएफआर)/भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार समाप्त वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

योग्य राय के लिए आधार

निम्नलिखित मामलों पर के संदर्भ के लिए ध्यान दे :

- 1. प्रगति पर कार्य (ए.1):** प्रगति पर कार्यों के विवरण और सहायक अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे, और इसलिए हम ऐसे शेषों के अस्तित्व, पूर्णता और मूल्यांकन को सत्यापित करने में असमर्थ थे।
- 2. विविध देनदार (ए.2):** लेखा पुस्तकों के अनुसार देनदारों के शेष और संबंधित विभागों द्वारा पुष्टि या उपलब्ध कराए गए शेष के बीच अंतर हैं। ऐसे अंतरों का समाधान नहीं किया गया है।
- 3. बैंक मिलान विवरण (ए.3):** कुछ बैंक खातों के लिए बैंक मिलान विवरण तैयार नहीं किए गए हैं, और परिणामस्वरूप, हम वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए नकदी और बैंक शेष की सटीकता की पुष्टि नहीं कर सके।
- 4. व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य से अग्रिम (ए.4):** व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य से प्राप्त अग्रिमों को देनदारों के संबंधित लेखा शीर्षों में समायोजित नहीं किया गया है और ऐसे समायोजनों के लिए सहायक अनुसूचियाँ प्रदान नहीं की गई हैं।
- 5. अप्राप्य संपदा किराये के लिए प्रावधान (ए.5):** अप्राप्य संपदा किराये के लिए प्रावधान पक्ष-वार विवरण और सहायक दस्तावेजों के बिना किया गया है। तदनुसार, हम ऐसे प्रावधान की उपयुक्तता की पुष्टि करने में असमर्थ रहे।
- 6. पेंशन के लिए प्रावधान (बी.1):** पेंशन निधि, ग्रेच्युटी निधि और अवकाश नकदीकरण निधि की वर्तमान देयता का प्रावधान नहीं किया गया था।

हमने अपनी लेखापरीक्षा सी.ए.जी.के लेखापरीक्षा विनियमों/मानकों/ मैनुअल/ दिशानिर्देशों/ मार्गदर्शन नोटों/ आदेशों/ परिपत्रों आदि के अनुसार की। हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ" खंड में दिया गया है। हम वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारियाँ

मुंबई पत्तन प्राधिकरण का बोर्ड, महापत्तनों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सामान्य ढाँचे (सीएफएफआर)/भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए ज़िम्मेदार है, और वह आवश्यक समझें गए आंतरिक नियंत्रण के लिए भी ज़िम्मेदार है, ताकि वित्तीय विवरणों को किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी गलत बयानी से मुक्त रखा जा सके।

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, चाहे वे किसी भी प्रकार के भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, और विनियमों/ मानकों/ मैनुअल/ दिशानिर्देशों/ मार्गदर्शन-टिप्पणियों/ आदेशों/ परिपत्रों आदि के अनुसार हमारी राय सहित एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए
और उनकी ओर से

हस्ता /-
(विजय एन. कोठारी)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
(नौवहन), मुंबई

स्थान: मुंबई

दिनांक: 27 अक्टूबर 2025

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण के खातों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

ए. तुलन पत्र

निधियों का उपयोग

ए.1 अचल परिसंपत्तियाँ/पूँजीगत परिसंपत्तियाँ: प्रगतिशील कार्य: ₹969.35 करोड़

परियोजनाओं के विवरण, प्रारंभ तिथि, उनकी भौतिक प्रगति आदि, जो पूँजीगत प्रगतिशील कार्यों (सीडब्ल्यूआईपी) में शामिल हैं, के अभाव में, लेखापरीक्षा ₹551.07¹ करोड़ की सीडब्ल्यूआईपी की सत्यता पर कोई राय नहीं बना सकी. इसलिए, लेखापरीक्षा पत्तन की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले उसके प्रभाव पर भी टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है. यह मुद्दा 2022-23 से ही उठाया जा रहा हो रहा था, तथापि, प्रबंधन द्वारा न तो कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई और न ही लेखापरीक्षा को समीक्षा के लिए पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया है.

बी.2 वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम

विविध देनदार: ₹ 3717.47 करोड़ (अनुसूची IV)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखाओं में दर्शाए गए देनदारों और संबंधित विभागों द्वारा रिपोर्ट किए गए देनदारों के संबंध में नीचे दिए गए अनुसार अंतर है.

रुपये (करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	विभाग के अनुसार	देनदार खातों के अनुसार देनदार	अंतर
(i)	गोदी विभाग	184.29	287.28	(102.99)
(ii)	संपदा विभाग	3034.55	2727.79	306.76
(iii)	सिविल इंजीनियरिंग विभाग	2.40	9.81	(7.41)
(iv)	सीएमई विभाग	13.73	61.50	(47.77)
(v)	बंदर विभाग	शून्य	28.36	(28.36)
(vi)	वर्कशॉप	शून्य	1.23	(1.23)
(vii)	किराया	शून्य	0.78	(0.78)
(viii)	जलक्षेत्र	शून्य	0.01	(0.01)
(ix)	विलय के कारण हस्तांतरित बीडीएलबी	शून्य	0.03	(0.03)
(x)	रेलवे एस्टेट (डेमेरेज)	शून्य	5.08	(5.08)

वित्त विभाग और उपर्युक्त संबंधित विभागों के विविध देनदारों के आंकड़ों के समाधान के अभाव में, लेखापरीक्षा विविध देनदारों के अंतर्गत दर्ज आंकड़ों की सत्यता पर कोई राय बनाने में सक्षम नहीं है.

¹ ₹969.35 करोड़ में से, प्रबंधन ने ₹418.25 करोड़ (एक परियोजना से संबंधित) के संबंध में परियोजनावार विवरण प्रस्तुत किया.

ए.3 चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम

नकद और बैंक शेष: ₹97.94 करोड़ (अनुसूची-V)

मुंबई पतन प्राधिकरण ने 22 बैंक खाते संचालित किए हैं। नीचे उल्लिखित तीन बैंक खातों के बैंक मिलान विवरण पतन द्वारा तैयार नहीं किए गए।

(₹ लाख में)

क्र. सं.	बैंक	बही शेष राशि	पुष्टिकरण प्रमाणपत्र के अनुसार बैंक शेष	अंतर
1	एसबीआई सीएमई	8.58	8.80	(0.22)
2	एसबीआई एमएम - ईंधन	963.81	0.10	963.71
3	आईडीबीआई जेम	12.69	97.25	(84.56)

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित बिन्दु नोट किये गए:

ए) बैंक द्वारा बताए गए बैंक शेष और लेखा पुस्तकों में दर्ज शेष के बीच निम्नलिखित दो बैंक खातों में भारी विसंगतियां देखी गईं:

- एसबीआई एमएम - ईंधन:** लेखाबही में ₹9.64 करोड़ की राशि दिखाई गई, जबकि बैंक पुष्टिकरण प्रमाणपत्र में केवल ₹10,000 का शेष दर्शाया गया था।
- आईडीबीआई जीईएम:** लेखाबही में ₹12.69 लाख की राशि दिखाई गई, जबकि बैंक पुष्टिकरण प्रमाणपत्र में ₹97.25 लाख का शेष दर्शाया गया था।

बी) उपरोक्त के अलावा, एक बैंक खाते (**एसबीआई सीएमई**) के लिए, बैंक मिलान विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया है और बैंक शेष और बही में दर्शाई गई राशि के बीच का अंतर ₹21599 था।

बैंक मिलान विवरणों को न रखे जाने या नियमित रूप से उनका मिलान न करने से, विशेष जब बैंक शेष और लेखा पुस्तकों के बीच महत्वपूर्ण विसंगतियाँ हों, धोखाधड़ी का जोखिम बढ़ सकता है, वित्तीय स्थिति का गलत विवरण, वित्तीय रिपोर्टिंग में त्रुटि, लेखा परीक्षा का जोखिम बढ़ सकता है और संस्था की ऋण पात्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार, बैंक समाधान विवरणों के अभाव में, लेखा परीक्षा "नकदी और बैंक शेष" शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई गई राशि की सत्यता की पुष्टि करने में सक्षम नहीं था। बैंक समाधान विवरण (बीआरएस) प्रस्तुत न करने के संबंध में टिप्पणी 2022-23 से की जा रही है।

ए.4 वर्तमान देयताएँ और प्रावधान: ₹4470.52 करोड़

विविध लेनदार

व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य से अग्रिम: ₹1825.91 करोड़

इसमें पट्टेदारों/ किरायेदारों से वसूले गए ₹1191.26 करोड़ संपत्ति किराया (संपत्ति विभाग का विविध अग्रिम खाता) शामिल है, जिसे अंततः 'देनदार' खाता शीर्ष में समायोजित किया जाना है। यद्यपि शेष राशि की पहचान और समाधान हेतु वर्ष 2017 में तीन सी.ए. फर्मों की एक टीम को नियुक्त किया गया था, परंतु उनके कार्यकाल तक समाधान पूरा नहीं हुआ। फिर, शेष राशि की पहचान और समाधान हेतु अक्टूबर 2023 में सी.ए. फर्मों को फिर से नियुक्त किया गया। फिर, समाधान अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसलिए, लेखापरीक्षा द्वारा इस खाता शीर्ष की सटीकता का पता नहीं लगाया जा सका।

ए.5 प्रावधान: अन्य प्रावधान

विविध देनदार:

घटाएँ वसूल न किए गए संपत्ति किराये के लिए प्रावधान: ₹1449.08 करोड़

उपरोक्त विवरण पिछले कई वर्षों से मुंबई पतन प्राधिकरण द्वारा वसूल न किए गए पुराने संपत्ति किराये को दर्शाता है, जिसके लिए प्रावधान किया गया था. हालाँकि, पक्ष-वार विवरण प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं थे. पक्ष-वार बकाया विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा ₹1449.08 करोड़ के वसूल न किए गए संपत्ति किराये के विरुद्ध किए गए प्रावधान की सत्यता और पर्याप्तता पर कोई राय नहीं बना पा रही है. लेखापरीक्षा द्वारा 2022-23 से इस मुद्दे की ओर ध्यान दिलाया जा रहा है, हालाँकि, प्रबंधन ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है.

बी. लाभ-हानि खाता

बी.1 प्रावधान: पेंशन के लिए प्रावधान ₹ 600 करोड़

वित्तीय प्रतिवेदन के सामान्य ढाँचे के अनुसार, यदि सेवानिवृत्ति लाभों की देयता एक न्यास के निर्माण के माध्यम से वित्तपोषित की गई थी, तो वर्ष के लिए वहन की गई लागत का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा किया जाएगा. मुंबई पतन प्राधिकरण ने पेंशन निधि, उपदान निधि और अवकाश नकदीकरण निधि की देयता के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है:

रुपये (करोड़ में)

निधि का नाम	31 मार्च 2025 तक बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार प्रदान की जाने वाली देयता	31 मार्च 2025 तक निधि में शेष 31 मार्च 2025 तक	प्रावधान 31 मार्च 2025 तक	शेष (अल्प निधीयन)
1	2	3	4	5 (2-3-4)
पेंशन निधि	13061.43	11742.17	600	719.26
उपदान निधि	381.93	279.75	24.77	77.41
अवकाश नकदीकरण निधि	193.96	0.33	0	193.63
कुल	13637.32	12022.25	624.77	905.95

इस देयता के लिए प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं को ₹905.95 करोड़ कम दर्शाया गया है और इसी सीमा तक घटा भी कम दर्शाया गया है. उपरोक्त कमियों को लेखापरीक्षा द्वारा 2012-13 से इंगित किया जा रहा है, लेकिन प्रबंधन ने पर्याप्त प्रावधान नहीं किए हैं.

बी.2 परिचालन व्यय (अनुसूची XI): ₹1101.27 करोड़

विशेष मरम्मत एवं रखरखाव: ₹42.84 करोड़

उपरोक्त में ₹4.48 करोड़ की राशि शामिल है, जो प्राधिकरण में निर्माणाधीन परियोजनाओं पर किए गए व्यय का मूल्य है. यह व्यय पूँजीगत प्रकृति का है, इसलिए इसे प्रगतिशील पूँजीगत कार्य के अंतर्गत होना चाहिए था. इसके परिणामस्वरूप परिचालन व्यय को ₹4.48 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है, घाटे को अधिक दर्शाया गया है और प्रगतिशील पूँजीगत कार्य पर ₹4.48 करोड़ कम दर्शाया गया है.

सी. लेखांकन नीतियाँ

ए) लेखा (मद संख्या 4) में प्रकटित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुसार, 'वस्तुसूची का मूल्यांकन उपभोग के लिए भारित चल औसत पर किया जाता है. उपभोग को फीफो पद्धति से दर्ज किया जाता है. वस्तुसूची का समापन शेष वास्तविक मूल्यपर मूल्यांकित किया जाता है. यह कथन अपने आप में विरोधाभासी है. यह नीति सीएफएफआर से भिन्न है, जिसमें यह प्रावधान है कि वस्तुसूची का मूल्यांकन भारित औसत लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाना चाहिए. इस प्रकार, लेखापरीक्षा, वस्तुसूची के मूल्य की सटीकता शुद्धता और लाभ-हानि खाते में दर्शाए गए लाभ पर इसके परिणामी प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ है.

बी) सीएफएफआर के अनुसार, वस्तुसूची की कम उपयोग/ उपयोग न होनेवाली अचल वस्तुओं के मूल्यहास हेतु एक नीति तैयार की जानी आवश्यक है. हालाँकि, प्राधिकरण ने वस्तुसूची की कम उपयोग/ उपयोग न होनेवाली वस्तुओं के मूल्यहास हेतु कोई नीति तैयार या प्रकट नहीं की है, जिसके परिणामस्वरूप सी.एफ.एफ.आर प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ हैडी.

डी. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई हेतु अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है.

ई. आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन

(i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:

(ए) टिप्पणियों से महत्वपूर्ण कमियाँ उजागर हुईं, जो मुंबई पत्तन प्राधिकरण में एक कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का संकेत देती हैं. प्रगतिरत कार्यों से संबंधित अभिलेखों की अनुपलब्धता, देनदारों के शेषों के समाधान का अभाव और बैंक मिलान विवरणों का तैयार न किया जाना अपर्याप्त लेखा अनुशासन और अप्रभावी वित्तीय निगरानी की ओर इशारा करते हैं. इसके अलावा, अग्रिमों के लिए सहायक दस्तावेज़ों का अभाव और पक्ष-वार विवरण के बिना वसूल न किए गए संपत्ति किराये के लिए प्रावधानों का निर्माण आंतरिक समीक्षा और निगरानी तंत्र में कमियों को उजागर करता है. ये कमज़ोरियाँ दर्शाती हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता, पूर्णता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण ढाँचा पर्याप्त रूप से मज़बूत नहीं है. लेखापरीक्षा द्वारा इन टिप्पणियों की ओर पिछले वर्षों में ध्यान दिलाया गया था, हालाँकि, प्रबंधन ने तब से कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है.

(बी) नकद और बैंक शेष (अनुसूची V): ₹97.94 करोड़

(1) सीएलटीडी राजस्व खाता: ₹15.19 करोड़

उपरोक्त में कॉर्पोरेट परिसमापन सावधि जमा (सीएलटीडी) शामिल है, जिसमें तीन बैंक खाते और 15 बैंक गारंटियाँ शामिल हैं, जिनका कुल मूल्य 31 मार्च 2025 तक ₹15.19 करोड़ था. हालाँकि, बैंक विवरणों के अनुसार, समापन शेष ₹13.30 करोड़ था. इस संबंध में, लेखापरीक्षा को कोई बैंक मिलान विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके कारण लेखापरीक्षा द्वारा बैंक शेष की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है.

(2) नकद एवं बैंक शेष (अनुसूची-V) - ₹97.94 करोड़

वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए 17 बैंक खातों के बैंक मिलान विवरण की जाँच से निम्नलिखित कमियाँ सामने आईं:

i. बहीखातों में डेबिट लेकिन बैंकों में क्रेडिट प्रतीक्षित

अप्रैल 2006 से पत्तन के बहीखातों में ₹318.99 करोड़ बैंक जमा के रूप में दर्शाए गए हैं, लेकिन बैंक विवरण में नहीं दिखाई दे रहे हैं.

ii. बहीखातों में क्रेडिट लेकिन बैंकों में डेबिट प्रतीक्षित

वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया बैंक शेष, अप्रैल 2006 से जारी किए गए और 31 मार्च 2025 तक 3 महीने से अधिक पुराने चेकों के संबंध में ₹966.76 करोड़ घटाने के बाद है.

iii. एमबीपीए द्वारा बैंक डेबिट का लेखा-जोखा नहीं रखा गया

बैंक द्वारा डेबिट किए गए ₹1159.60 करोड़ के लिए कोई प्रविष्टियाँ नहीं की गईं.

iv. एमबीपीए द्वारा बैंक क्रेडिट का हिसाब नहीं दिया गया

एमबीपीए ने बैंक द्वारा जमा किए गए ₹534.56 करोड़ का हिसाब नहीं दिया.

(3) हाथ में नकद शेष: ₹0.62 करोड़

31 मार्च 2025 तक, हाथ में नकद शेष, जिसमें इम्प्रेस्ट एसबीआई ईजी कार्ड (₹62.37 लाख) और हाथ में नकदी (₹504) शामिल हैं, ₹62.38 लाख था. हालाँकि, एसबीआई ईजी विवरण के अनुसार शेष राशि केवल ₹6.52 लाख थी. चूँकि इस संबंध में कोई बैंक मिलान विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसलिए लेखापरीक्षा खाते की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकती.

(4) एसबीआई 10996683421 रेलवे मुख्य खाता: ₹3.07 लाख

वित्तीय विवरण के अनुसार, एसबीआई रेलवे मुख्य खाते में शेष राशि ₹3.07 लाख थी, जबकि बैंक विवरण के अनुसार शेष राशि केवल ₹9,351 थी. इस प्रकार, खातों और बैंक विवरण के अनुसार शेष राशि के बीच का अंतर ₹2.98 लाख था. हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि बैंक मिलान विवरण तैयार करते समय पत्तन ने बहीखातों के अनुसार शेष राशि ₹3.07 लाख के बजाय ₹1.56 लाख मान ली थी. इस प्रकार, सही मिलान विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा तुलन पत्र में दर्शाई गई शेष राशि की सत्यता की पुष्टि नहीं कर पाई.

(सी) देनदारों से शेष राशि की पुष्टि:

पत्तन ने 31 मार्च 2025 तक सभी विविध देनदारों से पुष्टि प्राप्त नहीं की है. हालाँकि, लेखापरीक्षकों ने पाया कि पत्तन ने ₹3717.47 करोड़ के कुल देनदारों में से केवल 14 पक्षों को शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र जारी किए हैं, जिनमें कुल ₹0.53 करोड़ की राशि शामिल है. स्वतंत्र शेष राशि की पुष्टि के अभाव में, वित्तीय विवरणों में दिखाई देने वाले विविध देनदारों के शेष की सटीकता और पूर्णता की लेखापरीक्षाको द्वारा पुष्टि नहीं की जा सकी.

(ii) आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

वर्ष 2024-25 के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण की आंतरिक लेखापरीक्षा मेसर्स एससीएम एसोसिएट्स को सौंपी गई थी। वर्ष 2024-25 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा प्रगति पर थी और लेखा परीक्षा के दौरान कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसलिए लेखापरीक्षा आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ थी।

(iii) अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 213 (1) में कहा गया है कि अचल संपत्तियों का वर्ष में कम से कम एक बार सत्यापन किया जाना चाहिए और सत्यापन के परिणाम को संबंधित रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। यदि कोई विसंगति हो, तो उसकी तुरंत जाँच की जानी चाहिए और उसे ध्यान में लाया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के लिए थी। वर्ष 2024-25 के दौरान परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया, जो कि सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर) 2017 का अनुपालन नहीं है। इसके अतिरिक्त, अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के अभाव में, लेखापरीक्षा, अचल परिसंपत्तियों के खातों में दर्शाए गए शेष की पुष्टि करने की स्थिति में नहीं है। इससे परिसंपत्तियों के गलत अभिलेख और वित्तीय विवरण में संभावित गलतबयानी का जोखिम बढ़ जाता है।

(iv) वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वार्षिक लेखों के अनुसार, वस्तुसूची की राशि ₹9.00 करोड़ बताई गई है। जबकि, पत्तन ने केवल ₹0.40 करोड़ की वस्तुसूची के लिए भौतिक सत्यापन विवरण प्रस्तुत किया है, जो कुल वस्तुसूची का लगभग 5 प्रतिशत है। शेष राशि की पुष्टि के अभाव में, लेखापरीक्षा, रिपोर्ट की गई वस्तुसूची की सटीकता और अस्तित्व को सत्यापित करने में असमर्थ है।

(v) वैधानिक बकाया राशि के भुगतान में नियमितता:

मुंबई पत्तन प्राधिकरण निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित है।

एफ. सहायता अनुदान

मुंबई पत्तन प्राधिकरण को वर्ष के दौरान ₹50.80 करोड़ की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई, जिसका पूर्ण उपयोग किया गया।

Opinion of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Mumbai Port Authority for the year ended 31 March 2025

Qualified opinion

We have audited the financial statements of Mumbai Port Authority, which comprise the statement of financial position as at 31 March 2025 and the Profit & Loss Account for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 44 (2) of the Major Port Authorities Act, 2021.

This Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions regarding compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety & Regularity) and efficiency cum performance aspects, etc., if any, are reported through inspection reports/ CAG's audit reports separately.

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion Section of our report, the accompanying financial statements of Mumbai Port Authority, read together with the accounting policies and Notes thereon and matters mentioned in the Separate Audit Report, which follows, **give a true and fair view** of the financial position of the autonomous body as at March 31, 2025, and (of) its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Common Framework for Financial Reporting (CFFR) by Major Ports/accounting standards generally accepted in India.

Basis for Qualified Opinion

Reference is invited to the following matters:

1. **Work-in-Progress (A.1):** Details and supporting records for work-in-progress were not made available to Audit, and we were therefore unable to verify the existence, completeness, and valuation of such balances.
2. **Sundry Debtors (A.2):** There are differences between the balances of debtors as per the books of account and the balances confirmed or provided by the respective departments. The reconciliation of such differences has not been carried out.
3. **Bank Reconciliation Statements (A.3):** Bank reconciliation statements have not been prepared for certain bank accounts, and consequently, we could not verify the accuracy of cash and bank balances as reported in the financial statements.
4. **Advances from Merchants, Contractors, and Others (A.4):** Advances received from merchants, contractors, and others have not been adjusted against the respective heads of accounts of debtors and supporting schedules for such adjustments were not provided.

5. **Provision for Unrecovered Estate Rentals (A.5):** The provision for unrecovered estate rentals has been made without party-wise details and supporting documents. Accordingly, we were unable to verify the appropriateness of such provision.
6. **Provision for Pension (B.1):** There was non-provisioning of current liability of Pension Fund, Gratuity Fund and Leave Encashment Fund.

We conducted our audit in accordance with the CAG's auditing regulations/standards/manuals/guidelines/guidance notes/orders/ circulars etc. Our responsibilities are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the autonomous body in accordance with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for the financial statements

The Board of the Mumbai Port Authority is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Common Framework for Financial Reporting (CFFR) by Major Ports/accounting standards generally accepted in India and for internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion in accordance with regulations/ standards/ manuals/ guidelines/guidance-notes/orders/circulars etc.

For and on behalf of the CAG of India

V.N. Kothari

(Vijay N .Kothari)

Principal Director of Audit (Shipping), Mumbai

Place: Mumbai

Date: 27 October 2025

**Separate Audit Report on the Accounts of
Mumbai Port Authority for the year ended 31 March 2025**

A. Balance Sheet

Application of Funds

A.1 Fixed Assets/Capital Assets: Work in Progress: ₹969.35 crore

In the absence of details of projects, date of commencement, their physical progress, etc. which are included in the Capital Work in Progress (CWIP), Audit could not form an opinion on the correctness of the CWIP amounting to ₹551.07¹ crore. Hence, Audit is also not in position to comment on the impact on the financials of the Port. The issue was highlighted since 2022-23, however, neither corrective action has been taken by Management nor were complete details furnished to audit for review.

A.2 Current Assets, Loans and Advances

Sundry Debtors: ₹3717.47 crore (Schedule IV)

Audit observed that there is a difference in respect of the Debtors shown in the Accounts and that reported by the concerned departments as given below:

(₹ in crore)

Sr. No.	Name of the Department	Debtors as per the Department	Debtors as per the Accounts	Difference
(i)	Dock Department	184.29	287.28	(102.99)
(ii)	Estate Department	3034.55	2727.79	306.76
(iii)	Civil Engg. Department	2.40	9.81	(7.41)
(iv)	CME Department	13.73	61.50	(47.77)
(v)	Bunder Department	Nil	28.36	(28.36)
(vi)	Workshop	Nil	1.23	(1.23)
(vii)	Rent	Nil	0.78	(0.78)
(viii)	Water Front	Nil	0.01	(0.01)
(ix)	BDLB Transferred due to merger	Nil	0.03	(0.03)
(x)	Railway Estate (Demurrage)	Nil	5.08	(5.08)

In the absence of reconciliation of the Sundry Debtors figures of the Finance Department and the above-mentioned concerned Departments, Audit is not able to form an opinion on the correctness of the figures booked under Sundry Debtors.

¹ Out of ₹ 969.35 crore, the Management furnished the project wise details in respect of ₹ 418.25 crore (pertaining to one single project)

A.3 Current Assets, Loans and Advances

Cash & Bank Balances: ₹97.94 Crore (Schedule-V)

MbPA operated 22 Bank accounts. Bank Reconciliation Statements of the following three bank accounts as mentioned below were not prepared by the Port.

(₹ in lakh)

Sl. No.	Bank	Book Balance	Bank Balances per balance confirmation certificate	Difference
1	SBI CME	8.58	8.80	(0.22)
2	SBI MM - fuel	963.81	0.10	963.71
3	IDBI GEM	12.69	97.25	(84.56)

In view of the above the following were observed:

- a) Huge discrepancies between the bank balances reported by the bank and those recorded in the Books of Accounts were observed in the following two bank accounts:
 - i. **SBI MM - fuel:** The book balance showed an amount of ₹9.64 crore, whereas the bank confirmation certificate indicated a balance of only ₹10,000.
 - ii. **IDBI GEM:** The book balance showed an amount of ₹12.69 lakh, whereas the bank confirmation certificate indicated a balance of ₹97.25 lakh.
- b) In addition to the above, for one bank account (**SBI CME**), the BRS has not been furnished to Audit and the difference between bank balance and book balance was ₹ 21599.

Failure to maintain or regularly reconcile Bank Reconciliation Statements, especially when there are significant discrepancies between the bank balance and the books of accounts, may result in increased fraud risk, misstatement of financial position, error in financial reporting, increased audit risk and adverse impact on credit worthiness of the entity. Thus, in the absence of Bank Reconciliation Statements, Audit was not able to verify the correctness of the amount shown under the head Cash and Bank Balance. The comment regarding non-production of BRS was raised since 2022-23.

A.4 Current Liabilities and Provisions: ₹4470.52 crore

Sundry Creditors

Advances from Merchants, Contractors and Others: ₹1825.91 crore

This includes ₹1191.26 crore being estate rentals recovered from the lessees/tenants-(Estate Departments Miscellaneous Advance Account) which needs to be finally adjusted against the head of account 'Debtors'. Though a team of three CA firms have been engaged in the year 2017 to Identify and reconcile the balances, the reconciliation was not completed till their term. Further, CA firms were again engaged in October 2023 to Identify and reconcile the balances. However, the reconciliation has not been completed yet. Hence, the accuracy of this head of account could not be ascertained by audit.

A.5 Provisions: Other Provisions

Sundry Debtors

Less: Provisions for unrecovered Estate Rentals: ₹1449.08 crore

The above represents old estate rentals not recovered by MbPA for the past many years for which provision was made. However, the party-wise details were not available with MbPA. In absence of party-wise outstanding details. Audit is unable to form an opinion on the correctness; adequacy of provision created against unrecovered Estate Rentals of ₹1449.08 crore. The issue is being pointed out by audit since 2022-23, however, management have not taken any corrective action.

B. Profit and Loss Account

B.1 Provisions: Provision for Pension ₹600 crore

As per the Common Framework for Financial Reporting, if the liability for retirement benefits was funded through creation of a Trust, the cost incurred for the year shall be ascertained by actuarial valuation.

MbPA has not made adequate provisions towards liability to the Pension Fund, Gratuity Fund and Leave Encashment Fund as given below:

(₹ in crore)

Name of the Fund	Liability to be provided as per Actuarial Valuation Report as on 31 Mar 2025	Balance in the Fund as on 31 Mar 2025	Provision as on 31 Mar 2025	Shortfall
1	2	3	4	5 (2-3-4)
Pension Fund	13061.43	11742.17	600	719.26
Gratuity Fund	381.93	279.75	24.77	77.41
Leave Encashment Fund	193.96	0.33	0	193.63
Total	13637.32	12022.25	624.77	905.95

Non-provision for this liability has resulted in understatement of Current Liabilities by ₹905.95 crore and corresponding understatement of Deficit to the same extent.

The above deficiencies are being pointed out by Audit since 2012-13 but the management has not made adequate provisions.

B.2 Operating Expenditure (Schedule XI): ₹1101.27 crore

Special Repair and Maintenance: ₹42.84 crore

The above includes an amount of ₹4.48 crore, being the value of expenditure incurred on projects under progress in MbPA. This expenditure is capital in nature, therefore, should have been shown under Capital Work in Progress. This has resulted into overstatement of Operating Expenditure, overstatement of deficit and understatement of Capital Work in Progress by ₹4.48 crore.

C. Accounting Policies

a) As per significant Accounting Policies disclosed in the Accounts (item No. 4) 'Inventory is valued at weighted moving average for consumption. The consumption is booked by FIFO method. The closing balance of inventory are valued at actual'. This statement is contradictory in itself.

This policy is in variance with CFFR, which stipulates that inventories should be valued at lower of weighted average cost or net realizable value. As such, Audit is unable to comment on the correctness of value of Inventories and consequent impact on the profit shown in the Profit and Loss Account.

b) As per CFFR, a policy for the depreciation of slow/non-moving items of inventory needs to be formulated. However, MbPA has not framed and disclosed any policy for the depreciation of slow/non-moving items of inventory resulting in the non-compliance with CFFR provisions..

D. Management Letter

Deficiencies which have not been included in this Separate Audit Report have been brought to the notice of the Management through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.

E. Assessment of Internal Controls

(i) Adequacy of Internal Control System:

(a) The comments revealed significant deficiencies, indicative of a weak internal control system at the Mumbai Port Authority. The non-availability of records relating to work-in-progress, lack of reconciliation of debtors' balances and non-preparation of Bank Reconciliation Statements point to inadequate accounting discipline and ineffective financial oversight. Further, the absence of supporting documentation for advances and the creation of provisions for unrecovered estate rentals without party-wise details highlight deficiencies in internal review and monitoring mechanisms. These weaknesses indicate that the internal control framework is not sufficiently robust to ensure the accuracy, completeness and reliability of financial reporting. The comments were pointed out by Audit in the earlier years, however, management has not taken any corrective action since then.

(b) Cash and Bank Balance (Schedule V): ₹ 97.94 Crore

(1) CLTD Revenue Account: ₹ 15.19 Crore

The above included Corporate Liquidate Term Deposit (CLTD) comprising three bank accounts and 15 bank guarantees totalling ₹ 15.19 crore as on 31 March 2025. However, as per bank statements, the closing balance was ₹ 13.30 crore. In this regard, no Bank Reconciliation Statement has been produced to Audit due to which correctness of the bank balances cannot be confirmed by Audit.

(2) Cash & Bank Balances (Schedule-V) – ₹ 97.94 crore

Scrutiny of the Bank Reconciliation Statement of the 17 banks accounts reflected in the financial statements revealed the following deficiencies:

i. Debited in books but credit awaited in banks

₹318.99 crore shown as deposit in bank in the books of the Port since April 2006 but not appearing in the Bank statement.

ii. Credited in Books but debit awaited in Banks

The bank balance reflecting in Financial Statements is after deducting ₹966.76 crore in respect of Cheque which were issued from April 2006 and were more than 3 months old as on 31 March 2025.

iii. Bank Debit not accounted by MbPA

No entries were passed for ₹1159.60 crore debited by Bank

iv. Bank credit not accounted by MbPA

MbPA did not account ₹534.56 crore credited by Bank..

(3) Cash Balance on hand: ₹ 0.62 Crore

The Cash Balance on hand, comprises of Imprest SBI eZ Card (₹ 62.37 lakh) and cash in hand (₹ 504), as on 31 March 2025, was ₹ 62.38 lakh. However, as per SBI eZ Statement the balance was only ₹ 6.52 lakh. Since no Reconciliation Statement in this regard has been provided, audit cannot verify the correctness of the account..

(4) SBI 10996683421 Railway Main Account :₹ 3.07 lakh

As per financial statement, balance in SBI Railway Main Account was ₹3.07 lakh whereas as per bank statement the balance was only ₹ 9,351. Thus the difference between the balance as per accounts and as per bank statement was ₹2.98 lakh. Audit, however, noticed that while preparing Bank Reconciliation Statement the Port has considered the balance as per books as ₹1.56 lakh instead of ₹3.07 lakh. Thus, in the absence of correct BRS, Audit was not able to vouchsafe the correctness of the balance shown in the balance sheet.

(c) Balance confirmation from debtors

The Port has not obtained confirmation from all the sundry debtors as on 31 March 2025. Audit however noticed that the Port has issued letters for confirmation of balance to only 14 parties, covering an aggregate amount of ₹0.53 crore out of the total debtors of ₹3717.47 crore. In the absence of independent balance confirmations, the accuracy and completeness of the Sundry Debtors balance appearing in the Financial Statements could not be verified by Audit.

(ii) Adequacy of Internal Audit System

Internal Audit of the Mumbai Port Authority for the year 2024-25 was entrusted to M/s. SCM Associates. Internal Audit for the year 2024-25 was in progress and no report was furnished during the audit. Hence Audit was unable to comment on adequacy of the internal audit system.

(iii) System of Physical Verification of Fixed Assets

Rule 213 (1) of General Financial Rules (GFR) 2017 states that Fixed assets should be verified at least once in a year and the outcome of the verification recorded in the corresponding register. Discrepancies, if any, shall be promptly investigated and brought to account. The report on physical verification of assets furnished to audit was for the year 2023-34. During 2024-25 physical verification of assets was not conducted which is non-compliance of the GFR 2017.

Further, in absence of Physical Verification of Fixed Assets, Audit is not in the position to vouch safe the Balance shown in the Accounts for the fixed assets. It increases the risk of inaccurate asset records and potential misstatement in the financial statement.

(iv) System of Physical verification of Inventory

As per the Annual Accounts, inventories have been reported at ₹9.00 crore. However, the Port has furnished physical verification details for inventories amounting to only ₹0.40 crore, which is approximately 5 percent of the total inventory. In the absence of confirmation for the remaining amount, Audit is unable to verify the accuracy and existence of the reported inventories

(v) Regularity in payment of statutory dues:

Mumbai Port Authority is regular in depositing undisputed statutory dues .

F. Grant in Aid

Mumbai Port Authority received grant-in-aid of ₹50.80 crore during the year which was fully utilized.

**दि. 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में
लेखों पर की गई टिप्पणियों पर मुंबई पत्तन प्राधिकरण के उत्तर**

क्र.	पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	की गई कार्रवाई की टिप्पणियां
ए.	तुलन पत्र निधियों का उपयोग	
ए.1	अचल परिसंपत्तियाँ/पूंजीगत परिसंपत्तियाँ: प्रगतिशील कार्य: ₹969.35 करोड़	
	परियोजनाओं के विवरण, प्रारंभ तिथि, उनकी भौतिक प्रगति आदि, जो पूंजीगत प्रगतिशील कार्यों (सीडब्ल्यूआईपी) में शामिल हैं, के अभाव में, लेखापरीक्षा ₹551.07 ¹ करोड़ की सीडब्ल्यूआईपी की सत्यता पर कोई राय नहीं बना सकी. इसलिए, लेखापरीक्षा पत्तन की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है. यह मुद्दा 2022-23 से ही उठाया जा रहा हो रहा था, तथापि, प्रबंधन द्वारा न तो कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई और न ही लेखापरीक्षा को समीक्षा के लिए पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया है.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि परियोजनाओं, प्रारंभ तिथियों और भौतिक प्रगति के विवरण के अभाव में, वे पूंजीगत प्रगतिशील कार्यों (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत दर्ज ₹ 551.07 करोड़ की राशि की सत्यता पर कोई राय नहीं बना सके. यह मुद्दा 2022-23 से ही उजागर हो रहा है. हम स्वीकार करते हैं कि हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद सीडब्ल्यूआईपी जानकारी के लिए एक अनुकूलित प्रणाली विकसित नहीं की जा सकी. किंतु, हमने लेखापरीक्षा को ईबीएस प्रणाली और एफएमएस प्रणाली में मौजूद मानक रिपोर्ट, 11 जुलाई 2025 की तारीख के ईमेल के माध्यम से, हमारे पुराने प्रणाली की रिपोर्टों के साथ, उपलब्ध करा दी हैं. हमें लगता है कि यह रिपोर्ट एक राय बनाने के लिए पर्याप्त हैं. हम इस समस्या के समाधान हेतु प्रणाली द्वारा निर्मित रिपोर्ट तैयार करने हेतु टेक महिंद्रा के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहे हैं. हालाँकि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है, इसलिए हमने भौतिक अभिलेख उपलब्ध करा दिए हैं और इस लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान के लिए एक नई पद्धति पर काम कर रहे हैं. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 969.35 करोड़ रुपए में से 418.28 करोड़ रुपए परियोजना ओसीटी के हैं, जो कुल पूंजीगत कार्य-प्रणाली का 43.15% है, जिसका विवरण जो लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया था.

¹ ₹ 969.35 करोड़ में से, प्रबंधन ने ₹ 418.25 करोड़ (एकल परियोजना से संबंधित) के संबंध में परियोजनावार विवरण प्रस्तुत किया.

<p>ए.2</p>	<p>वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम विविध देनदारः ₹3717.47 करोड़ (अनुसूची IV)</p>																																																								
	<p>लेखापरीक्षा ने पाया कि खातों में दर्शाए गए देनदारों और संबंधित विभागों द्वारा रिपोर्ट किए गए देनदारों के संबंध में अंतर है, जैसा कि नीचे दिया गया है: - (₹ करोड़ में)</p> <table border="1" data-bbox="288 376 874 1227"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>विभाग का नाम</th> <th>विभाग के अनुसार</th> <th>देनदार खातों के अनुसार देनदार</th> <th>अंतर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(i)</td> <td>गोदी विभाग</td> <td>184.29</td> <td>287.28</td> <td>(102.99)</td> </tr> <tr> <td>(ii)</td> <td>संपदा विभाग</td> <td>3034.55</td> <td>2727.79</td> <td>306.76</td> </tr> <tr> <td>(iii)</td> <td>सिविल इंजीनियरिंग विभाग</td> <td>2.40</td> <td>9.81</td> <td>(7.41)</td> </tr> <tr> <td>(iv)</td> <td>सीएमई विभाग</td> <td>13.73</td> <td>61.50</td> <td>(47.77)</td> </tr> <tr> <td>(v)</td> <td>बंदर विभाग</td> <td>0</td> <td>28.36</td> <td>(28.36)</td> </tr> <tr> <td>(vi)</td> <td>वर्कशॉप</td> <td>0</td> <td>1.23</td> <td>(1.23)</td> </tr> <tr> <td>(vii)</td> <td>किराया</td> <td>0</td> <td>0.78</td> <td>(0.78)</td> </tr> <tr> <td>(viii)</td> <td>जलक्षेत्र</td> <td>0</td> <td>0.01</td> <td>(0.01)</td> </tr> <tr> <td>(ix)</td> <td>विलय के कारण हस्तांतरित बीडीएलबी</td> <td>0</td> <td>0.03</td> <td>(0.03)</td> </tr> <tr> <td>(x)</td> <td>रेलवे एस्टेट (डेमरेज)</td> <td>0</td> <td>5.08</td> <td>(5.08)</td> </tr> </tbody> </table> <p>वित्त विभाग और उपर्युक्त संबंधित विभागों के विविध देनदारों के आंकड़ों के समाधान के अभाव में, लेखापरीक्षा विविध देनदारों के अंतर्गत दर्ज आंकड़ों की सत्यता पर कोई राय बनाने में सक्षम नहीं है.</p>	क्र. सं.	विभाग का नाम	विभाग के अनुसार	देनदार खातों के अनुसार देनदार	अंतर	(i)	गोदी विभाग	184.29	287.28	(102.99)	(ii)	संपदा विभाग	3034.55	2727.79	306.76	(iii)	सिविल इंजीनियरिंग विभाग	2.40	9.81	(7.41)	(iv)	सीएमई विभाग	13.73	61.50	(47.77)	(v)	बंदर विभाग	0	28.36	(28.36)	(vi)	वर्कशॉप	0	1.23	(1.23)	(vii)	किराया	0	0.78	(0.78)	(viii)	जलक्षेत्र	0	0.01	(0.01)	(ix)	विलय के कारण हस्तांतरित बीडीएलबी	0	0.03	(0.03)	(x)	रेलवे एस्टेट (डेमरेज)	0	5.08	(5.08)	<p>लेखापरीक्षा में कहा गया है कि वित्त विभाग और संबंधित विभागों के विविध देनदारों के आंकड़ों के मिलान के अभाव में, लेखापरीक्षा विविध देनदारों के अंतर्गत दर्ज आंकड़ों की सत्यता पर कोई राय नहीं बना पा रही है.</p> <p>इस संबंध में, यह कहा जाता है कि देनदारों का मिलान एक जटिल और सतत प्रक्रिया है. हम लेखापरीक्षा को एक संपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए विभागीय और वित्तीय आंकड़ों के बीच अंतरों का मिलान करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं.</p> <p>लेखापरीक्षा द्वारा प्रदान की गई तालिकाओं से यह भी देखा जा सकता है कि विभागीय खाताबही और बही शेष के बीच शुद्ध अंतर ₹113.10 करोड़ है. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि पत्तन 2024 में आईपोर्टमैन मॉड्यूल में स्थानांतरित हो गया है जो देनदार-वार शेषों को बही के अनुरूप बनाए रखता है. दूसरे शब्दों में, सहायक खाताबही बनाए रखने की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है. यह अनुमान है कि भविष्य में यह समस्या उत्पन्न नहीं होगी.</p> <p>पुराने शेषों के संबंध में, हम एक नीतिगत निर्णय लेने के लिए भी इच्छुक हैं.</p>
क्र. सं.	विभाग का नाम	विभाग के अनुसार	देनदार खातों के अनुसार देनदार	अंतर																																																					
(i)	गोदी विभाग	184.29	287.28	(102.99)																																																					
(ii)	संपदा विभाग	3034.55	2727.79	306.76																																																					
(iii)	सिविल इंजीनियरिंग विभाग	2.40	9.81	(7.41)																																																					
(iv)	सीएमई विभाग	13.73	61.50	(47.77)																																																					
(v)	बंदर विभाग	0	28.36	(28.36)																																																					
(vi)	वर्कशॉप	0	1.23	(1.23)																																																					
(vii)	किराया	0	0.78	(0.78)																																																					
(viii)	जलक्षेत्र	0	0.01	(0.01)																																																					
(ix)	विलय के कारण हस्तांतरित बीडीएलबी	0	0.03	(0.03)																																																					
(x)	रेलवे एस्टेट (डेमरेज)	0	5.08	(5.08)																																																					
<p>ए.3.</p>	<p>चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम नकद और बैंक शेषः ₹97.94 करोड़ (अनुसूची-V)</p>																																																								
	<p>मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने 22 बैंक खाते संचालित किए. नीचे उल्लिखित तीन बैंक खातों के बैंक मिलान विवरण प्राधिकरण द्वारा तैयार नहीं किए गए.</p>	<p>लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित 22 बैंक खातों में से 3 के लिए बैंक मिलान विवरण (बीआरएस) तैयार नहीं किए गए थे.</p> <p>हम सूचित करना चाहते हैं कि तीन बैंकों अर्थात एसबीआई सीएमई, एसबीआई एमएम फ्यूल और आईडीबीआई जीईएम को छोड़कर सभी बैंक खातों के लिए बैंक मिलान विवरण विवरण, 28 अगस्त 2025 को ईमेल के माध्यम से ऑडिट को प्रस्तुत किए गए थे.</p>																																																							

(₹ लाख में)

क्र. सं.	बैंक	बही शेष राशि	पुष्टिकरण प्रमाणपत्र के अनुसार बैंक शेष	अंतर
1	एसबीआई सीएमई	8.58	8.80	(0.22)
2	एसबीआई एमएम - ईधन	963.81	0.10	963.71
3	आईडीबीआई जेम	12.69	97.25	(84.56)

उपरोक्त के मद्देनजर निम्नलिखित बिन्दु नोट किये गए:

ए) बैंक द्वारा बताए गए बैंक शेष और लेखा पुस्तकों में दर्ज शेष के बीच निम्नलिखित दो बैंक खातों में भारी विसंगतियां देखी गईं:

i. **एसबीआई एमएम - ईधन:** लेखाबही में ₹9.64 करोड़ की राशि दिखाई गई, जबकि बैंक पुष्टिकरण प्रमाणपत्र में केवल ₹10,000 का शेष दर्शाया गया था.

ii. **आईडीबीआई जीईएम:** लेखाबही शेष में ₹ 12.69 लाख की राशि दिखाई गई, जबकि बैंक पुष्टिकरण प्रमाणपत्र में ₹97.25 लाख का शेष दर्शाया गया था

बी) उपरोक्त के अलावा, एक बैंक खाते (**एसबीआई सीएमई**) के लिए, बैंक मिलान विवरण लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है और बैंक शेष और बही शेष के बीच का अंतर ₹21599 था.

बैंक मिलान विवरणों को न रखे जाने या नियमित रूप से उनका मिलान न करने से, खासकर जब बैंक शेष और लेखा पुस्तकों के बीच महत्वपूर्ण विसंगतियाँ हों, धोखाधड़ी का जोखिम बढ़ सकता है, वित्तीय स्थिति का गलत विवरण, वित्तीय रिपोर्टिंग में त्रुटि, लेखा परीक्षा का जोखिम बढ़ सकता है और संस्था की ऋण पात्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. इस प्रकार, बैंक समाधान विवरणों के अभाव में, लेखा परीक्षा "नकदी और बैंक शेष" शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई गई राशि की सत्यता की पुष्टि करने में सक्षम नहीं था. बैंक समाधान विवरण (बीआरएस) प्रस्तुत न करने के संबंध में टिप्पणी 2022-23 से की जा रही है.

आगे यह भी बताना है कि :

ए) बैंक द्वारा बताए गए बैंक शेष और लेखा पुस्तकों में दर्ज शेष के बीच भारी विसंगतियों के बारे में लेखापरीक्षा प्रेक्षण के संबंध में :

i) हम यह बताना चाहते हैं कि एसबीआई एमएम फ्यूल एक अग्रिम खाता है और इसे अन्य विभागों के पास मौजूद नकदी के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि इस खाते की प्रतिपूर्ति की सीमा निश्चित है. यह अंतर इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि इस खाते से किए गए व्यय का लेखा-जोखा उचित लेखापरीक्षा के बाद ही किया जाता है, जिसके कारण व्यय और लेखा प्रविष्टि के बीच समय का अंतराल होता है.

ii) आईडीबीआई जीईएम के मामले में, यह एक अग्रदाय खाता है और इसे अन्य विभागों के पास हाथ में नकदी के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि इस खाते की प्रतिपूर्ति की सीमा निश्चित है. अंतर इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि इस खाते से किए गए व्यय का लेखा-जोखा उचित लेखापरीक्षा के बाद ही किया जाता है, जिससे व्यय और लेखा प्रविष्टि के बीच समय अंतराल हो जाता है.

बी) एसबीआई जीईएम एक अग्रदाय खाता है और इसे अन्य विभागों के पास हाथ में नकदी के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि इस खाते की प्रतिपूर्ति की सीमा निश्चित है. अंतर इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि इस खाते से किए गए व्यय का लेखा-जोखा उचित लेखापरीक्षा के बाद ही किया जाता है, जिससे व्यय और लेखा प्रविष्टि के बीच समय अंतराल हो जाता है.

लेखापरीक्षा में आगे कहा गया है कि बैंक मिलान विवरणों के अभाव में, लेखापरीक्षा नकदी और बैंक शेष शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई गई राशि की सत्यता की पुष्टि नहीं कर पाई.

बैंक मिलान विवरणों प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में टिप्पणी 2022-23 से की गई थी.

इस संदर्भ में, पत्तन ने इन बातों पर संज्ञान लिया है. हम इन महत्वपूर्ण विसंगतियों से अवगत हैं और भविष्य में ऐसे मुद्दों को रोकने के लिए अपने मिलान की नियमितता और सटीकता में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं.

<p>ए.4</p>	<p>वर्तमान देयताएँ और प्रावधान: ₹4470.52 करोड़ विविध लेनदार व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य से अग्रिम: ₹1825.91 करोड़</p>	
	<p>इसमें पट्टेदारों/ किरायेदारों से वसूले गए ₹1191.26 करोड़ संपत्ति किराया (संपत्ति विभाग का विविध अग्रिम खाता) शामिल है, जिसे अंततः 'देनदार' खाता शीर्ष में समायोजित किया जाना है. यद्यपि शेष राशि की पहचान और समाधान हेतु वर्ष 2017 में तीन सी.ए. फर्मों की एक टीम को नियुक्त किया गया था, परंतु उनके कार्यकाल तक समाधान पूरा नहीं हुआ. फिर, शेष राशि की पहचान और समाधान हेतु अक्टूबर 2023 में सी.ए. फर्मों को फिर से नियुक्त किया गया. किंतु, समाधान अभी तक पूरा नहीं हुआ है. इसलिए, लेखापरीक्षा द्वारा इस खाता शीर्ष की सटीकता का पता नहीं लगाया जा सका.</p>	<p>पत्तन ने इस अंतर को सुलझाने के लिए काफी प्रयास किए थे. वास्तव में, इस समाधान के लिए दो सीए फर्मों को भी नियुक्त किया गया था. दुर्भाग्य से, दोनों सीए फर्मों इस कार्य को पूरा करने में असफल रहीं. संभवतः कार्य की विशालता ही इसे को असफल बना रही है.</p> <p>इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, पत्तन असमाधानित संपदा किराये के लेखांकन के लिए एक नीतिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया पर विचार कर रहा है.</p>
<p>ए.5</p>	<p>प्रावधान: अन्य प्रावधान विविध देनदार: घटाएँ वसूल न किए गए संपत्ति किराये के लिए प्रावधान: ₹1449.08 करोड़</p>	
	<p>उपरोक्त विवरण पिछले कई वर्षों से प्राधिकरण द्वारा वसूल न किए गए पुराने संपत्ति किराये को दर्शाता है, जिसके लिए प्रावधान किया गया था. हालाँकि, पक्षवार विवरण प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं थे. पक्षवार बकाया विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा ₹1449.08 करोड़ के वसूल न किए गए संपत्ति किराये के विरुद्ध किए गए प्रावधान की सत्यता और पर्याप्तता पर कोई राय नहीं बना पा रही है. लेखापरीक्षा द्वारा 2022-23 से इस मुद्दे की ओर ध्यान दिलाया जा रहा है, हालाँकि, प्रबंधन ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है.</p>	<p>लेखापरीक्षा प्रेक्षण के संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रावधान 1989 से लागू है और कोई नया प्रावधान नहीं है. इसके अलावा, यह भी कहा जाता है कि वित्त विभाग ने संपदा विभाग के साथ मिलकर वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए पक्षवार आँकड़ों की पहचान करने का प्रयास किया.</p> <p>तदनुसार, ₹29.11 करोड़ का प्रावधान कम किया गया और आय में उतनी ही वृद्धि की गई.</p> <p>इसके अलावा, संपदा किराये से होने वाली आय को वास्तविक संग्रह के आधार पर खातों में दर्शाया गया था. इसलिए वर्ष के दौरान बिल की गई और एकत्रित राशि के बीच के अंतर को अप्राप्य संपदा किराये के प्रावधान में स्थानांतरित कर दिया गया. यह प्रावधान 1989 की न्यास संख्या 325 के अनुसार किया गया है.</p> <p>ये शेष राशियाँ 1989 से आगे बढ़ाई गई पुरानी राशियाँ हैं. जानकारी अत्यंत पुरानी होने के कारण संबंधित डेटा का पता लगाना कठिन है. तथापि, पत्तन इस विषय में एक नीतिगत निर्णय लेने के पक्ष में है, और ₹1191.26 करोड़ की राशि (जो कि पट्टाधारकों/किरायेदारों से वसूल किए गए संपत्ति किराये) से संबंधित है. पर अनुच्छेद A.4 में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए एक समग्र निर्णय लिया जाएगा, ताकि उक्त राशि को अंततः देनदार लेखा शीर्ष के अंतर्गत समायोजित किया जा सके.</p>

बी.	लाभ-हानि खाता																																																													
बी.1	<p>प्रावधान: पेंशन के लिए प्रावधान ₹600 करोड़</p> <p>वित्तीय प्रतिवेदन के सामान्य ढाँचे के अनुसार, यदि सेवानिवृत्ति लाभों की देयता एक न्यास के निर्माण के माध्यम से वित्तपोषित की गई थी, तो वर्ष के लिए वहन की गई लागत का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा किया जाएगा. मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने पेंशन निधि, उपदान निधि और अवकाश नकदीकरण निधि की देयता के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है:</p> <p style="text-align: right;">रुपये (करोड़ में)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>निधि का नाम</th> <th>31 मार्च 2025 तक बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार प्रदान की जाने वाली देयता</th> <th>31 मार्च 2025 तक निधि में शेष 31 मार्च 2025 तक</th> <th>प्रावधान 31 मार्च 2025 तक</th> <th>शेष (अल्प निधीयन)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5 (2-3-4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पेंशन निधि</td> <td>13061.43</td> <td>11742.17</td> <td>600.00</td> <td>719.26</td> </tr> <tr> <td>उपदान निधि</td> <td>381.93</td> <td>279.75</td> <td>24.77</td> <td>77.41</td> </tr> <tr> <td>अवकाश नकदीकरण निधि</td> <td>193.96</td> <td>0.33</td> <td>0.00</td> <td>193.63</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>13637.32</td> <td>12022.25</td> <td>624.77</td> <td>905.95</td> </tr> </tbody> </table> <p>इस देयता के लिए प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं को ₹ 905.95 करोड़ कम दर्शाया गया है और इसी सीमा तक घाटा भी कम दर्शाया गया है. उपरोक्त कमियों को लेखापरीक्षा द्वारा 2012-13 से इंगित किया जा रहा है, लेकिन प्रबंधन ने पर्याप्त प्रावधान नहीं किए हैं.</p>	निधि का नाम	31 मार्च 2025 तक बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार प्रदान की जाने वाली देयता	31 मार्च 2025 तक निधि में शेष 31 मार्च 2025 तक	प्रावधान 31 मार्च 2025 तक	शेष (अल्प निधीयन)	1	2	3	4	5 (2-3-4)	पेंशन निधि	13061.43	11742.17	600.00	719.26	उपदान निधि	381.93	279.75	24.77	77.41	अवकाश नकदीकरण निधि	193.96	0.33	0.00	193.63	कुल	13637.32	12022.25	624.77	905.95	<p>हम सेवा-निवृत्ति फंड के लिए ₹ 905.95 करोड़ का प्रावधान न किए जाने और उसके परिणामस्वरूप होने वाले प्रभाव विश्लेषण से संबंधित लेखापरीक्षक चिंताओं को समझते हैं. कृपया हमें इस विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने की अनुमति दें.</p> <p>लेखापरीक्षक ने तुलन पत्र (अनुसूची I) में दर्शाए गए निधि शेष पर विचार किया है. इस संबंध में, हम यह सूचित करना चाहते हैं कि अनुसूची I में दर्शाया गया शेष, नुकसान, अंशदान और घाटे को ध्यान में रखने के बाद प्राप्त शुद्ध शेष को दर्शाता है और निवेश शेष को नहीं दर्शाता है.</p> <p>तदनुसार, वास्तविक निवेश शेष और कमी हमारे रिकार्ड के अनुसार निम्नानुसार है.</p> <p style="text-align: right;">रुपये (करोड़ में)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>निधि का नाम</th> <th>31 मार्च 2025 तक बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार प्रदान की जाने वाली देयता</th> <th>31 मार्च 2025 तक निधि में शेष</th> <th>प्रावधान 31 मार्च 2025 तक</th> <th>शेष (अल्प निधीयन)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5 (2-3-4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पेंशन निधि</td> <td>13061.43</td> <td>11976.63</td> <td>600.00</td> <td>484.80</td> </tr> <tr> <td>उपदान निधि</td> <td>381.93</td> <td>357.23</td> <td>24.77</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>अवकाश नकदीकरण निधि</td> <td>193.96</td> <td>0.33</td> <td>0.00</td> <td>193.63</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>13637.32</td> <td>12334.20</td> <td>624.77</td> <td>678.43</td> </tr> </tbody> </table> <p>वित्त वर्ष 2022-23 में हमारी बैठक में हुई चर्चा के अनुसार, एमबीपीए ने इस महत्वपूर्ण वित्तीय दायित्व को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श करके एक पंचवर्षीय योजना शुरू की है. इस दृष्टिकोण का उद्देश्य वित्तीय विवेक के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और हमारे वित्तीय विवरणों पर अचानक, संभावित रूप से अस्थिर प्रभाव से बचने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाना है. बैठक के दौरान इस पर भी प्रकाश डाला गया.</p>	निधि का नाम	31 मार्च 2025 तक बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार प्रदान की जाने वाली देयता	31 मार्च 2025 तक निधि में शेष	प्रावधान 31 मार्च 2025 तक	शेष (अल्प निधीयन)	1	2	3	4	5 (2-3-4)	पेंशन निधि	13061.43	11976.63	600.00	484.80	उपदान निधि	381.93	357.23	24.77	0.00	अवकाश नकदीकरण निधि	193.96	0.33	0.00	193.63	कुल	13637.32	12334.20	624.77	678.43
निधि का नाम	31 मार्च 2025 तक बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार प्रदान की जाने वाली देयता	31 मार्च 2025 तक निधि में शेष 31 मार्च 2025 तक	प्रावधान 31 मार्च 2025 तक	शेष (अल्प निधीयन)																																																										
1	2	3	4	5 (2-3-4)																																																										
पेंशन निधि	13061.43	11742.17	600.00	719.26																																																										
उपदान निधि	381.93	279.75	24.77	77.41																																																										
अवकाश नकदीकरण निधि	193.96	0.33	0.00	193.63																																																										
कुल	13637.32	12022.25	624.77	905.95																																																										
निधि का नाम	31 मार्च 2025 तक बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार प्रदान की जाने वाली देयता	31 मार्च 2025 तक निधि में शेष	प्रावधान 31 मार्च 2025 तक	शेष (अल्प निधीयन)																																																										
1	2	3	4	5 (2-3-4)																																																										
पेंशन निधि	13061.43	11976.63	600.00	484.80																																																										
उपदान निधि	381.93	357.23	24.77	0.00																																																										
अवकाश नकदीकरण निधि	193.96	0.33	0.00	193.63																																																										
कुल	13637.32	12334.20	624.77	678.43																																																										

इस रणनीति के अनुरूप, हमने इस वर्ष पेंशन कोष में पहले ही ₹ 600 करोड़ का प्रावधान कर दिया है. इसके अलावा, हमारे बोर्ड ने परिसंपत्ति मुद्दीकरण से प्राप्त धनराशि का 75% सीधे पेंशन कोष में स्थानांतरित करने का संकल्प लेकर एक सक्रिय रुख अपनाया है. हमारा मानना है कि यह इस मुद्दे को एक जिम्मेदार और स्थायी तरीके से संबोधित करने के लिए हमारी गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि परिसंपत्ति मुद्दीकरण के हमारे प्रयास सफल रहे हैं. परिणामस्वरूप, हमारी पिछली बातचीत के बाद से वित्तपोषण का अंतर काफी कम हो गया है. वास्तव में, पेंशन कोष घटक के लिए, यह अंतर अब लगभग समाप्त हो गया है. यह प्रगति हमारे दृष्टिकोण की प्रभावशीलता और अपने दायित्वों को पूरा करने के प्रति हमारे समर्पण को रेखांकित करती है.

उत्तर के साथ अद्यतन स्थिति की एक प्रति लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दी गई है.

इसके अतिरिक्त, नीचे दिए गए सारणी से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमारी रणनीति सफल रही है. इन तीनों कोषों से संबंधित कुल कमी में उल्लेखनीय कमी आई है, और पिछले तीन वर्षों की अवधि में अंतर में तीव्र गिरावट दर्ज की गई है, जैसा कि नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है.

रुपये (करोड़ में)

वर्ष	पेंशन निधि (₹ करोड़)	उपदान निधि (₹ करोड़)	अवकाश नकदीकरण (₹ करोड़)
2022-23	2108.57	387.14	229.99
2023-24	1135.83	293.12	186.78
2024-25	1084.79	24.7	193.63

बी.2	<p>परिचालन व्यय (अनुसूची XI): ₹1101.27 करोड़ विशेष मरम्मत एवं रखरखाव: ₹42.84 करोड़</p>	
	<p>उपरोक्त में ₹4.48 करोड़ की राशि शामिल है, जो प्राधिकरण में निर्माणाधीन परियोजनाओं पर किए गए व्यय का मूल्य है. यह व्यय पूँजीगत प्रकृति का है, इसलिए इसे प्रगतिशील पूँजीगत कार्य के अंतर्गत होना चाहिए था. इसके परिणामस्वरूप परिचालन व्यय को ₹4.48 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है, घाटे को अधिक दर्शाया गया है और प्रगतिशील पूँजीगत कार्य पर ₹4.48 करोड़ कम दर्शाया गया है.</p>	<p>इस संबंध में, यह कहना है कि वित्त वर्ष 2024-25 में प्रगतिशील पूँजीगत कार्य में ₹ 2.30 करोड़ की राशि का समायोजन पहले ही किया जा चुका है. चूँकि ये व्यय मरम्मत एवं रखरखाव और परियोजना व्यय की जीएलसी में विभाजित हैं, इसलिए ये मरम्मत एवं रखरखाव सीजेआई में परिलक्षित नहीं होते हैं. इस संबंध में सीजेआई की रिपोर्ट लेखापरीक्षा के लिए भेज दी गई थी.</p> <p>इसके अलावा, वीटीएमएस पर किए गए ₹ 4.03 करोड़ के व्यय का समायोजन नहीं हो पाया. इन्हें वित्त वर्ष 2025-26 में समायोजित किया और पूँजीगत कार्य प्रगति में स्थानांतरित कर दिया गया, जैसा कि लेखापरीक्षा के लिए भेजी गई सीजेआई 3 की रिपोर्ट में दर्शाया गया है.</p> <p>इस प्रकार, इस रिपोर्ट के समय तक ₹ 6.33 करोड़ का समाधान पहले ही किया जा चुका है. शेष ₹0.45 करोड़ की राशि भी वित्त वर्ष 2025-26 में की जाएगी.</p>
सी.	<p>लेखांकन नीतियाँ</p>	
	<p>ए) लेखा (मद संख्या 4) में प्रकटित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुसार, 'वस्तुसूची का मूल्यांकन उपभोग के लिए भारत चल औसत पर किया जाता है. उपभोग को फीफो पद्धति से दर्ज किया जाता है. वस्तुसूची का समापन शेष वास्तविक मूल्यपर मूल्यांकित किया जाता है. यह कथन अपने आप में विरोधाभासी है. यह नीति सीएफएफआर से भिन्न है, जिसमें यह प्रावधान है कि वस्तुसूची का मूल्यांकन भारत औसत लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाना चाहिए. इस प्रकार, लेखापरीक्षा, वस्तुसूची के मूल्य की सटिकता शुद्धता और लाभ-हानि खाते में दर्शाए गए लाभ पर इसके परिणामी प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ है.</p> <p>बी) सीएफएफआर के अनुसार, वस्तुसूची की कम उपयोग/ उपयोग न होनेवाली अचल वस्तुओं के मूल्यहास हेतु एक नीति तैयार की जानी आवश्यक है. हालाँकि, प्राधिकरण ने वस्तुसूची की कम उपयोग/ उपयोग न होनेवाली वस्तुओं के मूल्यहास हेतु कोई नीति तैयार या प्रकट नहीं की है, जिसके परिणामस्वरूप सी.एफ.एफ.आर प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ है.</p>	<p>लेखापरीक्षा प्रश्न के संदर्भमें, उत्तर क्रमवार दिया गया है:</p> <p>ए) प्राधिकरण की भंडारसूची न तो प्राधिकरण द्वारा सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों में बिक्री के लिए रखी जाती है और न ही बिक्री हेतु उत्पादन प्रक्रिया में इनपुट के रूप में उपयोग की जाती है. ये आमतौर पर अतिरिक्त पुर्जें या स्वयं के उपभोग के लिए अन्य चलने योग्य सामग्री होती है. इसमें राजस्व/भंडार की विभिन्न वस्तुएँ, दवाइयाँ, स्टेशनरी, प्रसाधन सामग्री, ईंधन आदि जैसी अतिरिक्त पुर्जें वस्तुएँ शामिल हैं. इसके अलावा, लेखाकरण मानक-2 मशीनरी के पुर्जों को (विशेष रूप से) छूट देता है, जिनका उपयोग अचल संपत्तियों के संबंध में किया जाता है. इसलिए, प्राधिकरण की खरीद को वस्तुसूची नहीं कहा जा सकता.</p> <p>बी) इसके अतिरिक्त, हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के साथ परामर्श में हैं, ताकि प्रमुख पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के अनुरूप नए लेखा मानदंड जारी किए जा सकें. हमें इन अंतिम मानदंडों के शीघ्र जारी होने की अपेक्षा है, और जैसे ही वे उपलब्ध होंगे, पत्तन उन्हें लागू करेगा. साथ ही, पत्तन मूल्यांकन तथा कम उपयोग/ उपयोग न होनेवाली सामग्रियों पर मूल्यहास प्रदान करने के संबंध में भी उपयुक्त कार्रवाई करेगा.</p>

डी.	प्रबंधन पत्र	
	जिन कमियों को इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई हेतु अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है.	तथात्मक
ई.	आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन	
(i)	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:	
	<p>(ए) टिप्पणियों से महत्वपूर्ण कमियाँ उजागर हुईं, जो मुंबई पतन प्राधिकरण में एक कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का संकेत देती हैं. प्रगतिरत कार्यों से संबंधित अभिलेखों की अनुपलब्धता, देनदारों के शेषों के समाधान का अभाव और बैंक समाधान विवरणों का तैयार न किया जाना अपर्याप्त लेखा अनुशासन और अप्रभावी वित्तीय निगरानी की ओर इशारा करते हैं. इसके अलावा, अग्रिमों के लिए सहायक दस्तावेजों का अभाव और पक्ष-वार विवरण के बिना वसूल न किए गए संपत्ति किराये के लिए प्रावधानों का निर्माण आंतरिक समीक्षा और निगरानी तंत्र में कमियों को उजागर करता है. ये कमजोरियाँ दर्शाती हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता, पूर्णता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण ढाँचा पर्याप्त रूप से मज़बूत नहीं है. लेखापरीक्षा द्वारा इन टिप्पणियों की ओर पिछले वर्षों में ध्यान दिलाया गया था, हालाँकि, प्रबंधन ने तब से कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है.</p>	<p>लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि चूँकि मेसर्स एससीएम एसोसिएट्स के साथ वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा अभी भी जारी है, इसलिए लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ है.</p> <p>हम आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रगति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं और इसे समय पर पूरा करने के लिए फर्म को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं.</p>
	(बी) (नकद और बैंक शेष (अनुसूची V): ₹97.94 करोड़	
	1) सीएलटीडी राजस्व खाता: ₹15.19 करोड़	
	उपरोक्त में कॉर्पोरेट परिसमापन सावधि जमा (सीएलटीडी) शामिल है, जिसमें तीन बैंक खाते और 15 बैंक गारंटियाँ शामिल हैं, जिनका कुल मूल्य 31 मार्च 2025 तक ₹15.19 करोड़ था. हालाँकि, बैंक विवरणों के अनुसार, समापन शेष ₹13.30 करोड़ था. इस संबंध में, लेखापरीक्षा को कोई बैंक मिलान विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके कारण लेखापरीक्षा द्वारा बैंक शेष की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है.	यह समायोजन के अधीन है
	2) नकद एवं बैंक शेष (अनुसूची-V) - ₹97.94 करोड़ वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए 17 बैंक खातों के बैंक समाधान विवरण की जाँच से निम्नलिखित कमियाँ सामने आईं.	इस संबंध में यह कहना है कि, मुंबई पतन प्राधिकरण ने अग्रिम खातों को छोड़कर सभी बैंक खातों का समायोजन विवरण प्रस्तुत कर दिया है.

	<p>i. बहीखातों में डेबिट लेकिन बैंकों में क्रेडिट प्रतीक्षित अप्रैल 2006 से पत्तन के बहीखातों में ₹318.99 करोड़ बैंक जमा के रूप में दर्शाए गए हैं, लेकिन बैंक विवरण में नहीं दिखाई दे रहे हैं.</p> <p>ii. बहीखातों में क्रेडिट लेकिन बैंकों में डेबिट प्रतीक्षित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया बैंक शेष, अप्रैल 2006 से जारी किए गए और 31 मार्च 2025 तक 3 महीने से अधिक पुराने चेकों के संबंध में ₹966.76 करोड़ घटाने के बाद है.</p> <p>iii. एमबीपीए द्वारा बैंक डेबिट का लेखा-जोखा नहीं रखा गया. बैंक द्वारा डेबिट किए गए ₹1159.60 करोड़ के लिए कोई प्रविष्टियाँ नहीं की गईं.</p> <p>iv. एमबीपीए द्वारा बैंक क्रेडिट का हिसाब नहीं दिया गया मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने बैंक द्वारा जमा किए गए ₹534.56 करोड़ का हिसाब नहीं दिया</p>	<p>समायोजन विवरण एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए बैंक मिलान कार्य प्रगति पर है.</p> <p>कृपया बिंदु संख्या ए.3 पर दिए गए उत्तर का भी संदर्भ लें.</p> <p>हम समय पर और शीघ्रता से बीआरएस करने की तकनीकों के लिए बैंकों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं.</p>
	<p>3) हाथ में नकद शेष: ₹0.62 करोड़</p>	
	<p>31 मार्च 2025 तक, हाथ में नकद शेष, जिसमें इम्प्रेस्ट एसबीआई ईज़ी कार्ड (₹62.37 लाख) और हाथ में नकदी (₹504) शामिल हैं, ₹62.38 लाख था. हालाँकि, एसबीआई ईज़ी विवरण के अनुसार शेष राशि केवल ₹6.52 लाख थी. चूँकि इस संबंध में कोई बैंक मिलान विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसलिए लेखापरीक्षा खाते की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकती.</p>	<p>एसबीआई ईज़ी कार्ड एक अग्रिम खाता है. इसकी प्रतिपूर्ति लेखापरीक्षा के बाद की जाती है, इसलिए किसी मिलान की आवश्यकता नहीं होती.</p>
	<p>4.) एसबीआई 10996683421 रेलवे मुख्य खाता: ₹3.07 लाख</p>	
	<p>वित्तीय विवरण के अनुसार, एसबीआई रेलवे मुख्य खाते में शेष राशि ₹3.07 लाख थी, जबकि बैंक विवरण के अनुसार शेष राशि केवल ₹9,351 थी. इस प्रकार, खातों और बैंक विवरण के अनुसार शेष राशि के बीच का अंतर ₹2.98 लाख था. हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि बैंक समाधान विवरण तैयार करते समय बंदरगाह ने बहीखातों के अनुसार शेष राशि ₹3.07 लाख के बजाय ₹1.56 लाख मान ली थी. इस प्रकार, सही मिलान विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा तुलन पत्र में दर्शाई गई शेष राशि की सत्यता की पुष्टि नहीं कर पाई.</p>	<p>यह अंतर संबंधित विभाग के साथ मिलान किया जाएगा.</p>

	(सी) देनदारों से शेष राशि की पुष्टि	
	<p>पत्तन ने 31 मार्च 2025 तक सभी विविध देनदारों से पुष्टि प्राप्त नहीं की है. हालाँकि, लेखापरीक्षकों ने पाया कि पत्तन ने ₹3717.47 करोड़ के कुल देनदारों में से केवल 14 पक्षों को शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र जारी किए हैं, जिनमें कुल ₹0.53 करोड़ की राशि शामिल है. स्वतंत्र शेष राशि की पुष्टि के अभाव में, वित्तीय विवरणों में दिखाई देने वाले विविध देनदारों के शेष की सटीकता और पूर्णता की लेखापरीक्षा द्वारा पुष्टि नहीं की जा सकी.</p>	<p>इस संबंध में, यह कहना है कि पत्तन ने विविध देनदारों के शेष की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए मज़बूत आंतरिक नियंत्रण और वैकल्पिक सत्यापन प्रक्रियाएँ लागू की हैं. ₹3717.47 करोड़ के कुल देनदार शेष में कई पक्षों, जिनमें से कई सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, से होने वाले छोटे-मूल्य और आवर्ती लेनदेन शामिल हैं. विविध देनदारों के शेष को पत्तन उपयोगकर्ताओं की जमा राशि के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए. वर्तमान में परीक्षण शेष के अनुसार, अग्रिम राशि ₹1825.9 करोड़ है. इसलिए समग्र रूप से शुद्ध देनदार ₹1892 करोड़ होंगे, जो प्रावधानों पर विचार करने पर और कम हो सकते हैं.</p> <p>इन सभी संस्थाओं से व्यक्तिगत पुष्टिकरण प्राप्त करना परिचालन की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है और आमतौर पर देनदारों की ओर से बहुत कम प्रतिक्रियाएँ प्राप्त होती हैं.</p> <p>हालाँकि, पत्तन ने चालू वर्ष के दौरान आईपोर्टमैन प्रणाली लागू की है, जिसके माध्यम से पत्तन उपयोगकर्ताओं को अपने व्यक्तिगत जमातक पहुँच प्राप्त है, जहाँ वे अपने शेष राशि को वास्तविक समय में देख सकते हैं तथा किसी भी विसंगति की स्थिति में आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. जिनका समाधान देनदारों द्वारा किसी भी विसंगति की सूचना मिलने पर पत्तन द्वारा किया जा रहा है.</p>
	(ii) आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	
	<p>वर्ष 2024-25 के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण की आंतरिक लेखा परीक्षा मेसर्स एससीएम एसोसिएट्स को सौंपी गई थी. वर्ष 2024-25 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा प्रगति पर थी और लेखा परीक्षा के दौरान कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी. इसलिए लेखा परीक्षा आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ थी.</p>	<p>लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि चूँकि मेसर्स एससीएम एसोसिएट्स के साथ वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा अभी भी जारी है, इसलिए लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता.</p> <p>हम आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रगति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं और इसे समय पर पूरा करने के लिए फर्म को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं.</p> <p>कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत कर थी और उसे लेखापरीक्षक को प्रस्तुत किया गया था. आगे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सिविल अभियन्ता विभाग के लिए रिपोर्ट भी लेखापरीक्षक को प्रस्तुत की गई थी.</p>

	(iii) अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	
	<p>सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 213 (1) में कहा गया है कि अचल संपत्तियों का वर्ष में कम से कम एक बार सत्यापन किया जाना चाहिए और सत्यापन के परिणाम को संबंधित रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए. यदि कोई विसंगति हो, तो उसकी तुरंत जाँच की जानी चाहिए और उसे ध्यान में लाया जाना चाहिए. लेखा परीक्षा को प्रस्तुत की गई संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के लिए थी. वर्ष 2024-25 के दौरान परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया, जो कि सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर) 2017 का अनुपालन नहीं है.</p> <p>इसके अतिरिक्त, अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के अभाव में, लेखापरीक्षा, अचल परिसंपत्तियों के खातों में दर्शाए गए शेष की पुष्टि करने की स्थिति में नहीं है. इससे परिसंपत्तियों के गलत अभिलेख और वित्तीय विवरण में संभावित गलतबयानी का जोखिम बढ़ जाता है.</p>	हमारी लेखाकरण नीति के अनुसार, संपत्ति का भौतिक सत्यापन हर पाँच साल में एक बार किया जाना आवश्यक है और वित्त वर्ष 2023-24 में ऐसा किया गया और वित्त वर्ष 2024-25 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. रिपोर्ट लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दी गई है.
	(iv) वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	
	<p>वार्षिक लेखों के अनुसार, वस्तुसूची की राशि ₹9.00 करोड़ बताई गई है. जबकि, पतन ने केवल ₹0.40 करोड़ की वस्तुसूची के लिए भौतिक सत्यापन विवरण प्रस्तुत किया है, जो कुल वस्तुसूची का लगभग 5 प्रतिशत है. शेष राशि की पुष्टि के अभाव में, लेखापरीक्षा, रिपोर्ट की गई वस्तुसूची की सटीकता और अस्तित्व को सत्यापित करने में असमर्थ है.</p>	<p>लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई पतन प्राधिकरण ने केवल ₹0.40 करोड़ की वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन विवरण प्रस्तुत किया, जो कुल वस्तुसूची का लगभग 5% है.</p> <p>यह कहना है कि ₹1.77 करोड़ पुरानी वस्तुसूची शेष राशि से संबंधित है जो वित्त वर्ष 2021-22 से बहीखाते में दिखाई दे रही है. इसका लेखा-जोखा वित्त वर्ष 2025-26 में किया जाएगा.</p>
	(v) वैधानिक बकाया राशि के भुगतान में नियमितता	
	मुंबई पतन प्राधिकरण निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित है.	तथात्मक
एफ.	सहायता अनुदान	
	मुंबई पतन प्राधिकरण को वर्ष के दौरान ₹50.80 करोड़ की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई, जिसका पूर्ण उपयोग किया गया.	तथात्मक
	हस्ता./- (विजय एन. कोठारी) प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (शिपिंग), मुंबई स्थान: मुंबई दिनांक: 27 अक्टूबर, 2025	हस्ता./- (माधुरी वराडे) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी मुंबई पतन प्राधिकरण स्थान: मुंबई दिनांक: ___ नवंबर, 2025

**MbPA's Reply on the comments on Accounts raised in Separate Audit Report of
Mumbai Port Authority for the year ended 31.03.2025.**

Sr. No.	Separate Audit Report	Action Taken Notes
A.	Balance Sheet Application of Funds	
A.1	Fixed/ Capital Assets- ₹ 969.35 crore	
	<p>In the absence of details of projects, date of commencement, their physical progress, etc. which are included in the Capital Work in Progress (CWIP), Audit could not form an opinion on the correctness of the CWIP amounting to ₹ 551.07¹ crore. Hence, Audit is also not in position to comment on the impact on the financials of the Port. The issue was highlighted since 2022-23, however, neither corrective action has been taken by Management nor were complete details furnished to audit for review.</p>	<p>The audit report observes that in the absence of details on projects, commencement dates, and physical progress, they could not form an opinion on the correctness of the ₹ 551.07 crore accounted for under Capital Work in Progress (CWIP). This issue has been highlighted since 2022-23. We acknowledge that a tailor-made system for CWIP data could not be developed in spite of our best efforts. However we have provided audit with standard reports present in the EBS system and FMS system via email dated 11th July 2025 along with reports from our old systems. We feel that those reports are sufficient to form an opinion.</p> <p>We are actively coordinating with Tech Mahindra to create system-generated reports to address this. While the process is still underway, we have provided physical records and are working on a new methodology to address this long-standing issue.</p> <p>It is also stated that ₹ 418.28 crores out of ₹ 969.35 crores belongs to project OCT which is 43.15 % of total capital WIP, which was provided to the audit.</p>

¹ Out of ₹ 969.35 crore, the Management furnished the project wise details in respect of ₹ 418.25 crore (pertaining to one single project)

A.2	Current Assets, Loans and Advances Sundry Debtors: ₹3717.47 crore (Schedule IV)																																																								
	<p>Audit observed that there is a difference in respect of the Debtors shown in the Accounts and that reported by the concerned departments as given below: -</p> <p style="text-align: center;">(₹ in crore)</p> <table border="1" data-bbox="284 465 874 1234"> <thead> <tr> <th>Sr. No</th> <th>Name of the Department</th> <th>Debtors as per the Department</th> <th>Debtors as per the Accounts</th> <th>Difference</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(i)</td> <td>Dock Department</td> <td>184.29</td> <td>287.28</td> <td>(102.99)</td> </tr> <tr> <td>(ii)</td> <td>Estate Department</td> <td>3034.55</td> <td>2727.79</td> <td>306.76</td> </tr> <tr> <td>(iii)</td> <td>Civil Engg. Department</td> <td>2.40</td> <td>9.81</td> <td>(7.41)</td> </tr> <tr> <td>(iv)</td> <td>CME Department</td> <td>13.73</td> <td>61.50</td> <td>(47.77)</td> </tr> <tr> <td>(v)</td> <td>Bunder Departt</td> <td>Nil</td> <td>28.36</td> <td>(28.36)</td> </tr> <tr> <td>(vi)</td> <td>Workshop</td> <td>Nil</td> <td>1.23</td> <td>(1.23)</td> </tr> <tr> <td>(vii)</td> <td>Rent</td> <td>Nil</td> <td>0.78</td> <td>(0.78)</td> </tr> <tr> <td>(viii)</td> <td>Water Front</td> <td>Nil</td> <td>0.01</td> <td>(0.01)</td> </tr> <tr> <td>(ix)</td> <td>BDLB Transferred due to merger</td> <td>Nil</td> <td>0.03</td> <td>(0.03)</td> </tr> <tr> <td>(x)</td> <td>Railway Estate (Demurrage)</td> <td>Nil</td> <td>5.08</td> <td>(5.08)</td> </tr> </tbody> </table> <p>In the absence of reconciliation of the Sundry Debtors figures of the Finance Department and the above-mentioned concerned Departments, Audit is not able to form an opinion on the correctness of the figures booked under Sundry Debtors.</p>	Sr. No	Name of the Department	Debtors as per the Department	Debtors as per the Accounts	Difference	(i)	Dock Department	184.29	287.28	(102.99)	(ii)	Estate Department	3034.55	2727.79	306.76	(iii)	Civil Engg. Department	2.40	9.81	(7.41)	(iv)	CME Department	13.73	61.50	(47.77)	(v)	Bunder Departt	Nil	28.36	(28.36)	(vi)	Workshop	Nil	1.23	(1.23)	(vii)	Rent	Nil	0.78	(0.78)	(viii)	Water Front	Nil	0.01	(0.01)	(ix)	BDLB Transferred due to merger	Nil	0.03	(0.03)	(x)	Railway Estate (Demurrage)	Nil	5.08	(5.08)	<p>The audit states that in absence of reconciliation of the Sundry Debtors figures of the Finance Department and the concerned Departments, Audit is not able to form an opinion on the correctness of the figures booked under Sundry Debtors.</p> <p>In this regards it is stated that the reconciliation of debtors is a complex, ongoing process. We are actively working to reconcile the differences between the departmental and finance figures to provide a complete picture to the audit.</p> <p>It can also be seen from the tables provided by audit that the net difference between Departmental ledgers and Book balance is ₹ 113.10 crores. Needless to mention that the port migrated to the IPORTMAN module in 2024 which maintains debtor wise balances in alignment with the books. In other words, the system of maintaining subsidiary ledgers have been dispensed with. It is expected that the issue may not arise in future.</p> <p>As regards the old balances, we are also considering to take a policy decision.</p>
Sr. No	Name of the Department	Debtors as per the Department	Debtors as per the Accounts	Difference																																																					
(i)	Dock Department	184.29	287.28	(102.99)																																																					
(ii)	Estate Department	3034.55	2727.79	306.76																																																					
(iii)	Civil Engg. Department	2.40	9.81	(7.41)																																																					
(iv)	CME Department	13.73	61.50	(47.77)																																																					
(v)	Bunder Departt	Nil	28.36	(28.36)																																																					
(vi)	Workshop	Nil	1.23	(1.23)																																																					
(vii)	Rent	Nil	0.78	(0.78)																																																					
(viii)	Water Front	Nil	0.01	(0.01)																																																					
(ix)	BDLB Transferred due to merger	Nil	0.03	(0.03)																																																					
(x)	Railway Estate (Demurrage)	Nil	5.08	(5.08)																																																					
A.3.	Current Assets, Loans and Advances Cash & Bank Balances: ₹97.94 Crore (Schedule V)																																																								
	<p>MbPA operated 22 Bank accounts. Bank reconciliation statements of the following three bank accounts as mentioned below were not prepared by the Port.</p> <p style="text-align: center;">(₹ in Lakhs)</p> <table border="1" data-bbox="284 1872 874 2119"> <thead> <tr> <th>Sr No</th> <th>Bank</th> <th>Book Balance</th> <th>Bank Balance as per balance confirmation certificate</th> <th>Difference</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SBI CME</td> <td>8.58</td> <td>8.80</td> <td>(0.22)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SBI MM Fuel</td> <td>963.81</td> <td>0.10</td> <td>963.71</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>IDBI GEM</td> <td>12.69</td> <td>97.25</td> <td>(84.56)</td> </tr> </tbody> </table>	Sr No	Bank	Book Balance	Bank Balance as per balance confirmation certificate	Difference	1	SBI CME	8.58	8.80	(0.22)	2	SBI MM Fuel	963.81	0.10	963.71	3	IDBI GEM	12.69	97.25	(84.56)	<p>The audit noted that Bank Reconciliation Statements (BRS) were not prepared for 3 of the 22 bank accounts operated by MbPA.</p> <p>We wish to inform that the BRS for all bank accounts except 3 banks i.e. SBI CME, SBI MM Fuel and IDBI GEM were furnished to the audit via email dated 28th August 2025.</p> <p>a) Audit observation about huge discrepancies between the bank balances reported by the bank and</p>																																			
Sr No	Bank	Book Balance	Bank Balance as per balance confirmation certificate	Difference																																																					
1	SBI CME	8.58	8.80	(0.22)																																																					
2	SBI MM Fuel	963.81	0.10	963.71																																																					
3	IDBI GEM	12.69	97.25	(84.56)																																																					

<p>In view of the above the following were observed:</p> <p>a) Huge discrepancies between the bank balances reported by the bank and those recorded in the Books of Accounts were observed in the following two bank accounts:</p> <p>(i) SBI MM Fuel : The book balance showed an amount of ₹9.64 crore, whereas the bank confirmation certificate indicated a balance of only ₹10000.</p> <p>(iii) IDBI GEM : The book balance showed an amount of ₹0.13 crore, whereas the bank confirmation certificate indicated a balance of ₹0.97 crore.</p> <p>b) In addition to the above, for one bank account (SBI CME), the BRS has not been furnished to Audit and the difference between bank balance and book balance was ₹ 21,599.</p> <p>Failure to maintain or regularly reconcile Bank Reconciliation Statements, especially when there are significant discrepancies between the bank balance and the books of accounts, may result in increased fraud risk, misstatement of financial position, error in financial reporting, increased audit risk and adverse impact on credit worthiness of the entity. Thus, in the absence of Bank Reconciliation Statements, Audit was not able to verify the correctness of the amount shown under the head Cash and Bank Balance. The comment regarding non-production of BRS was raised since 2022-23.</p>	<p>those recorded in the Books of Accounts.</p> <p>(i) We wish to state that SBI MM Fuel, is an imprest account and should be treated as cash in hand with other departments as the limit of recoupment of this account is fixed. The difference arises as the expenses made from this account is accounted for only after proper audit which leads to time gap between the expenditure and accounting entry</p> <p>(ii) In case of IDBI GEM, is an imprest account and should be treated as cash in hand with other departments as the limit of recoupment of this account is fixed. The difference arises as the expenses made from this account is accounted for only after proper audit which leads to time gap between the expenditure and accounting entry.</p> <p>b) SBI GEM, is an imprest account and should be treated as cash in hand with other departments as the limit of recoupment of this account is fixed. The difference arises as the expenses made from this account is accounted for only after proper audit which leads to time gap between the expenditure and accounting entry.</p> <p>The audit further states that in the absence of Bank Reconciliation Statements, Audit was not able to verify the correctness of the amount shown under the head Cash and Bank Balance.</p> <p>The comment regarding non-production of BRS was raised since 2022-23.</p> <p>In this regards, port has taken note of these significant discrepancies and are taking steps to improve the regularity and accuracy of reconciliations to prevent these issues in the future.</p>
--	---

A.4	Current Liabilities and Provisions: ₹4470.52 crore Sundry Creditors Advances from Merchants, Contractors and Others: ₹1825.91 crore	
	<p>This includes ₹1191.26 crore being estate rentals recovered from the lessees/tenants- (Estate Departments Miscellaneous Advance Account) which needs to be finally adjusted against the head of account 'Debtors'. Though a team of three CA firms have been engaged in the year 2017 to Identify and reconcile the balances, the reconciliation was not completed till their term. Further, CA firms were again engaged in October 2023 to Identify and reconcile the balances. However, the reconciliation has not been completed yet. Hence, the accuracy of this head of account could not be ascertained by audit.</p>	<p>The Port had taken enormous efforts to reconcile the difference. As a matter of fact, two CA firms were also appointed to carry out the reconciliation. Unfortunately, both the CA firms were unsuccessful in completing the task. Probably, the enormity of the task is making the venture unsuccessfully.</p> <p>Considering, these the port is in consideration of taking a policy decision towards the accounting of unreconciled estate rentals.</p>
A.5	Provisions: Other Provisions Sundry Debtors Less: Provisions for unrecovered Estate Rentals: ₹1449.08 crore	
	<p>The above represents old estate rentals not recovered by MbPA for the past many years for which provision was made. However, the party-wise details were not available with MbPA. In absence of party-wise outstanding details. Audit is unable to form an opinion on the correctness; adequacy of provision created against unrecovered Estate Rentals of ₹1449.08 crore.</p> <p>The issue is being pointed out by audit since 2022-23, however, management have not taken any corrective action.</p>	<p>With reference to Audit Observation, it is stated the said provisions is appearing since 1989 and not a new provision. Further, it is stated that Finance department with Estate Department did an exercise to identify the party wise data for FY 2013-14.</p> <p>Accordingly, provision for ₹ 29.11 crores was reduced and income was increased to that extent.</p> <p>Further, the income from estate rental was shown in accounts on the basis of actual collection. Hence the difference between the amount billed and collected during the year was transferred to provision for unrecovered Estate Rentals. The provision is made in terms of TR No.325 of 1989.</p> <p>The balances are legacy balances and carried forward since 1989. Being extremely old information, the data is difficult to locate. However, the port is considering to take a policy decision in the matter and a combined decision will be taken by considering the observation in A.4 of ₹1191.26 crore being estate rentals recovered from the lessees/tenants- (Estate Departments Miscellaneous Advance Account) which</p>

		needs to be finally adjusted against the head of account 'Debtors'.																																																												
B.	Profit and Loss Account																																																													
B.1	Provisions: Provision for Pension ₹600 crore																																																													
	<p>As per Common Framework for Financial Reporting (CFFR) for Port, if the liability for retirement benefits was funded through creation of a Trust, the cost incurred for the year shall be ascertained by actuarial valuation.</p> <p>MbPA has not made adequate provisions towards liability to the Pension Fund, Gratuity Fund and Leave Encashment Fund as given below:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of the Fund</th> <th>Liability to be provided as per Actuarial Valuation Report as on 31.03.2025</th> <th>Balance in the Fund as on 31.03.2025</th> <th>Provision on during the year</th> <th>Shortfall</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5 (2-3-4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pension Fund</td> <td>13061.43</td> <td>11742.17</td> <td>600.00</td> <td>719.26</td> </tr> <tr> <td>Gratuity Fund</td> <td>381.93</td> <td>279.75</td> <td>24.77</td> <td>77.41</td> </tr> <tr> <td>Leave Encashment Fund</td> <td>193.96</td> <td>0.33</td> <td>0.00</td> <td>193.63</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>13637.32</td> <td>12022.25</td> <td>624.77</td> <td>905.95</td> </tr> </tbody> </table> <p>Non-provision for this liability has resulted in understatement of Current Liabilities by ₹905.95 crore and corresponding understatement of Deficit to the same extent.</p> <p>The above deficiencies are being pointed out by Audit since 2012-13 but the management has not made adequate provisions.</p>	Name of the Fund	Liability to be provided as per Actuarial Valuation Report as on 31.03.2025	Balance in the Fund as on 31.03.2025	Provision on during the year	Shortfall	1	2	3	4	5 (2-3-4)	Pension Fund	13061.43	11742.17	600.00	719.26	Gratuity Fund	381.93	279.75	24.77	77.41	Leave Encashment Fund	193.96	0.33	0.00	193.63	Total	13637.32	12022.25	624.77	905.95	<p>We understand Audit concerns regarding the non-provision of ₹ 905.95 crores for the superannuation fund and the resulting impact analysis. Allow us to provide some important facts and history context on this matter</p> <p>The Audit has considered the Fund Balance appearing in the Balance Sheet (Schedule I).</p> <p>In this regard, it is stated that the balance reflected in Schedule I represents the net balance arrived at after accounting for losses, contributions, and deficits charged to the Fund. It does not represent the Investment Balance.</p> <p>Accordingly, the actual Investment Balance and shortfall as per our records are as under:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of the Fund</th> <th>Liability to be provided as per Actuarial Valuation Report as on 31.03.2025</th> <th>Balance in the Fund as on 31.03.2025</th> <th>Provision during the year</th> <th>Shortfall</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5 (2-3-4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pension Fund</td> <td>13061.43</td> <td>11976.63</td> <td>600.00</td> <td>484.80</td> </tr> <tr> <td>Gratuity Fund</td> <td>381.93</td> <td>357.23</td> <td>24.77</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Leave Encashment</td> <td>193.96</td> <td>0.33</td> <td>0.00</td> <td>193.63</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>13637.32</td> <td>12334.20</td> <td>624.77</td> <td>678.43</td> </tr> </tbody> </table> <p>As per discussion held in our meeting in FY 2022-23, MbPA embarked on a carefully considered five-year plan to address this significant financial obligation. This approach aims to balance our commitment to financial prudence with the need to avoid a sudden, potentially destabilizing impact on our financial statements. This was also explained during the meeting.</p>	Name of the Fund	Liability to be provided as per Actuarial Valuation Report as on 31.03.2025	Balance in the Fund as on 31.03.2025	Provision during the year	Shortfall	1	2	3	4	5 (2-3-4)	Pension Fund	13061.43	11976.63	600.00	484.80	Gratuity Fund	381.93	357.23	24.77	0.00	Leave Encashment	193.96	0.33	0.00	193.63	Total	13637.32	12334.20	624.77	678.43
Name of the Fund	Liability to be provided as per Actuarial Valuation Report as on 31.03.2025	Balance in the Fund as on 31.03.2025	Provision on during the year	Shortfall																																																										
1	2	3	4	5 (2-3-4)																																																										
Pension Fund	13061.43	11742.17	600.00	719.26																																																										
Gratuity Fund	381.93	279.75	24.77	77.41																																																										
Leave Encashment Fund	193.96	0.33	0.00	193.63																																																										
Total	13637.32	12022.25	624.77	905.95																																																										
Name of the Fund	Liability to be provided as per Actuarial Valuation Report as on 31.03.2025	Balance in the Fund as on 31.03.2025	Provision during the year	Shortfall																																																										
1	2	3	4	5 (2-3-4)																																																										
Pension Fund	13061.43	11976.63	600.00	484.80																																																										
Gratuity Fund	381.93	357.23	24.77	0.00																																																										
Leave Encashment	193.96	0.33	0.00	193.63																																																										
Total	13637.32	12334.20	624.77	678.43																																																										

		<p>In line with this strategy, we have already made a provision of ₹ 600 crores to the Pension fund this year. Furthermore, our board has taken a proactive stance by resolving to transfer 75% of funds realized from asset monetization directly to the pension fund. We believe this demonstrates our serious commitment to addressing this issue in a responsible and sustainable manner.</p> <p>We're pleased to report that our asset monetization efforts have been fruitful. As a result, the funding gap has decreased significantly since our last communication. In fact, for the pension fund component, the gap is now nearly eliminated. This progress underscores the effectiveness of our approach and our dedication to fulfilling our obligations.</p> <p>A copy of updated position was provided to Audit with the reply.</p> <p>Further it can be derived from the below chart that our strategy has paid off and total shortfall w.r.t. to these 3 funds have come down sharply over the period of 3 years as tabled below.</p> <p style="text-align: right;">(₹ in crores)</p> <table border="1" data-bbox="911 1205 1465 1400"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Pension Fund</th> <th>Gratuity Fund</th> <th>Leave Encashment</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022-23</td> <td>2108.57</td> <td>387.14</td> <td>229.99</td> </tr> <tr> <td>2023-24</td> <td>1135.83</td> <td>293.12</td> <td>186.78</td> </tr> <tr> <td>2024-25</td> <td>1084.79</td> <td>24.70</td> <td>193.63</td> </tr> </tbody> </table>	Year	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment	2022-23	2108.57	387.14	229.99	2023-24	1135.83	293.12	186.78	2024-25	1084.79	24.70	193.63
Year	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment															
2022-23	2108.57	387.14	229.99															
2023-24	1135.83	293.12	186.78															
2024-25	1084.79	24.70	193.63															
<p>B.2</p>	<p>Operating Expenditure (Schedule XI) ₹1101.27 crore Special Repair and Maintenance: ₹ 42.84 crore</p>																	
	<p>The above includes an amount of ₹4.48 crore, being the value of expenditure incurred on projects under progress in MbPA. This expenditure is capital in nature, therefore, should have been shown under Capital Work in Progress. This has resulted into overstatement of Operating Expenditure, overstatement of deficit and understatement of Capital Work in Progress by ₹4.48 crore.</p>	<p>In this regard it is stated that an amount of ₹ 2.30 crores has been already settled in FY 2024-25 in Capital WIP. However as the expenses are split in GLC of repairs and maintenance and Project Expenses, the same is not reflected in repairs and maintenance GLC. The CJ13 reports in this regards were forwarded to audit.</p> <p>Further an amount of ₹ 4.03 crores being expenses incurred on VTMS remained unsettled. The same are settled in FY 2025-26 and transferred to Capital WIP, same has been shown in CJ13 report forwarded to audit.</p>																

		Thus the reconciliation to the tune of ₹ 6.33 cr has already been done at the time of this report. The remaining amount of ₹ 0.45 cr will also be done in the FY. 2025-26.
C.	Accounting Policies	
	<p>a) As per significant Accounting Policies disclosed in the Accounts (item No. 4) 'Inventory is valued at weighted moving average for consumption. The consumption is booked by FIFO method. The closing balance of inventory are valued at actual'. This statement is contradictory in itself.</p> <p>This policy is in variance with CFFR, which stipulates that inventories should be valued at lower of weighted average cost or net realizable value. As such, Audit is unable to comment on the correctness of value of Inventories and consequent impact on the profit shown in the Profit and Loss Account.</p> <p>b) As per CFFR, a policy for the depreciation of slow/non-moving items of inventory needs to be formulated. However, MbPA has not framed and disclosed any policy for the depreciation of slow/non-moving items of inventory resulting in the non-compliance with CFFR provisions.</p>	<p>With reference to the Audit query, the reply is given ad- seriatim:</p> <p>a) Stock of MbPA is neither held by MbPA for sale in ordinary course of business nor used in as input in process of production for sale. The stores are generally spare parts or other running material meant for own consumption. This includes varied items of revenue / stock items, non-stock items like medicines, stationery, toiletries, fuel etc. Further, AS-2 specifically exempts machinery spares which is used in connection with fixed assets from inventories. Therefore, procurement of MbPA cannot be termed as inventories.</p> <p>b) Further we are in consultation with the Comptroller and Audit General (C&AG) and the Ministry of Ports, Shipping, and Waterways to issue new accounting norms in compliance with the Major Port Authorities Act, 2021. We are expecting the issuance of these final norms shortly and will implement them as soon as they are made available. Port will take suitable action w.r.t valuation and for providing depreciation for slow/non-moving items.</p>
D.	Management Letter	
	Deficiencies which have not been included in this Separate Audit Report have been brought to the notice of the Management through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.	Factual
E.	Assessment of Internal Controls	
(i)	Adequacy of Internal Control System:	
	(a) The comments revealed significant deficiencies, indicative of a weak internal control system at the Mumbai Port Authority. The non-availability of records relating to work-in-progress, lack of reconciliation of debtors'	The audit report notes that since the internal audit for FY 2022-23, 2023-24, and 2024-25 is still in progress with M/s. SCM Associates, the audit is unable to comment on the adequacy of the system.

	<p>balances and non-preparation of Bank Reconciliation Statements point to inadequate accounting discipline and ineffective financial oversight. Further, the absence of supporting documentation for advances and the creation of provisions for unrecovered estate rentals without party-wise details highlight deficiencies in internal review and monitoring mechanisms. These weaknesses indicate that the internal control framework is not sufficiently robust to ensure the accuracy, completeness and reliability of financial reporting. The comments were pointed out by Audit in the earlier years, however, management has not taken any corrective action since then.</p>	<p>We are closely monitoring the progress of the internal audit and are providing all necessary assistance to the firm to ensure its timely completion.</p>
	<p>(b) Cash and Bank Balance (Schedule V): ₹ 97.94 Crore</p>	
	<p>(1) CLTD Revenue Account: ₹ 15.19 Crore</p>	
	<p>The above included Corporate Liquidate Term Deposit (CLTD) comprising three bank accounts and 15 bank guarantees totalling ₹ 15.19 crore as on 31 March 2025. However, as per bank statements, the closing balance was ₹ 13.30 crore. In this regard, no Bank Reconciliation Statement has been produced to Audit due to which correctness of the bank balances cannot be confirmed by Audit.</p>	<p>This is under reconciliation</p>
(2)	<p>Cash & Bank Balances (Schedule-V) – ₹ 97.94 crore</p> <p>Scrutiny of the Bank Reconciliation Statement of the 17 banks accounts reflected in the financial statements revealed the following deficiencies:</p> <p>i. Debited in books but credit awaited in banks</p> <p>₹ 318.99 crore shown as deposit in bank in the books of the Port since</p>	<p>In this regard it is stated that, MbPA has submitted BRS of all bank accounts except imprest accounts</p> <p>BRS being a continuous process, the bank reconciliation work is in process.</p> <p>Also refer to reply at point no A.3.</p> <p>We are also in talk with Banks for techniques to do BRS in timely and speedy manner.</p>

	<p>April 2006 but not appearing in the Bank statement.</p> <p>ii. Credited in Books but debit awaited in Banks</p> <p>The bank balance reflecting in Financial Statements is after deducting ₹ 966.76 crore in respect of Cheque which were issued from April 2006 and were more than 3 months old as on 31 March 2025.</p> <p>iii. Bank Debit not accounted by MbPA</p> <p>No entries were passed for ₹ 1159.60 crore debited by Bank</p> <p>iv. Bank credit not accounted by MbPA</p> <p>MbPA did not account ₹ 534.56 crore credited by Bank.</p>	
(3)	Cash Balance on hand: ₹ 0.62 Crore	
	<p>The Cash Balance on hand, comprises of Imprest SBI eZ Card (₹ 62.37 lakh) and cash in hand (₹ 504), as on 31 March 2025, was ₹ 62.38 lakh. However, as per SBI eZ Statement the balance was only ₹ 6.52 lakh. Since no Reconciliation Statement in this regard has been provided, audit cannot verify the correctness of the account.</p>	<p>SBI EZ cards is an imprest account. The recoupment is done post audit so no reconciliation is required.</p>
(4)	SBI 10996683421 Railway Main Account (GL 23110200): ₹ 3.07 lakh	
	<p>As per financial statement, balance in SBI Railway Main Account was ₹ 3.07 lakh whereas as per bank statement the balance was only ₹ 9,351. Thus the difference between the balance as per accounts and as per bank statement was ₹ 2.98 lakh. Audit, however, noticed that while preparing Bank Reconciliation Statement the Port has considered the balance as per books as ₹ 1.56 lakh instead of ₹ 3.07 lakh. Thus, in the absence of correct BRS, Audit was not able to vouchsafe the correctness of the balance shown in the balance sheet.</p>	<p>This variation will be reconciled with the concerned department</p>

(c)	Balance confirmation from debtors	
	<p>The Port has not obtained confirmation from all the sundry debtors as on 31 March 2025. Audit however noticed that the Port has issued letters for confirmation of balance to only 14 parties, covering an aggregate amount of ₹ 0.53 crore out of the total debtors of ₹ 3717.47 crore. In the absence of independent balance confirmations, the accuracy and completeness of the Sundry Debtors balance appearing in the Financial Statements could not be verified by Audit.</p>	<p>In this regard it is stated the Port has implemented robust internal controls and alternative verification procedures to ensure the accuracy and completeness of the Sundry Debtors balance. The total debtors balance of ₹ 3717.47 crore comprises a significant number of small-value and recurring transactions from numerous parties, many of which are government departments or public sector undertakings. The balances of sundry debtors needs to be seen from the prism of deposits of port users. Currently as per the trial balance the balances of Advances is ₹.1825.9 crores. Therefore holistically the net debtors would be ₹. 1892 crores which can further get reduced if the provisions are considered.</p> <p>Obtaining individual confirmations from all these entities is operationally challenging and often yields a low response from the Debtors. However, the port has implemented the IPORTMAN during the year wherein, the port users have access to their PD account wherein they can verify the balances in real time and can raise issues in case of any discrepancies in the balances, which are being addressed by the port as and when any discrepancy is raised by Debtors.</p>
(ii)	Adequacy of Internal Audit System:	
	<p>Internal Audit of the Mumbai Port Authority for the year 2024-25 was entrusted to M/s. SCM Associates. Internal Audit for the year 2024-25 was in progress and no report was furnished during the audit. Hence Audit was unable to comment on adequacy of the internal audit system</p>	<p>The audit report notes that since the internal audit for FY 2022-23, 2023-24, and 2024-25 is still in progress with M/s. SCM Associates, the audit is unable to comment on the adequacy of the system.</p> <p>We are closely monitoring the progress of the internal audit and are providing all necessary assistance to the firm to ensure its timely completion.</p> <p>The firm has submitted report for GAD department for FY 2024-25 and the same was submitted. Further report for CE department for FY 2024-25 is also attached herewith.</p>

(iii)	System of Physical Verification of Fixed Assets:	
	<p>Rule 213 (1) of General Financial Rules (GFR) 2017 states that Fixed assets should be verified at least once in a year and the outcome of the verification recorded in the corresponding register. Discrepancies, if any, shall be promptly investigated and brought to account. The report on physical verification of assets furnished to audit was for the year 2023-24. During 2024-25 physical verification of assets was not conducted which is non-compliance of the GFR 2017.</p> <p>Further, in absence of Physical Verification of Fixed Assets, Audit is not in the position to vouch safe the Balance shown in the Accounts for the fixed assets. It increases the risk of inaccurate asset records and potential misstatement in the financial statement.</p>	<p>As per our accounting policy, physical verification of asset needs to be done once every five years and the same was done in FY 2023-24 and report submitted in FY 2024-25. This fore report was made available to the audit.</p>
(iv)	System of Physical verification of Inventory	
	<p>As per the Annual Accounts, inventories have been reported at ₹ 9.00 crore. However, the Port has furnished physical verification details for inventories amounting to only ₹.0.40 crore, which is approximately 5 percent of the total inventory. In the absence of confirmation for the remaining amount, Audit is unable to verify the accuracy and existence of the reported inventories</p>	<p>The audit report states that MbPA furnished physical verification details for inventories amounting to only ₹0.40 crore, which is approximately 5% of the total inventory.</p> <p>It is stated that ₹. 1.77 crores pertains to old inventory balances which are appearing in book since FY 2021-22. The same will be accounted for in FY 2025-26.</p>
(v)	Regularity in payment of statutory dues:	
	Mumbai Port Authority is regular in depositing undisputed statutory dues.	Factual
(F)	Grant in Aid	
	Mumbai Port Authority received grant-in-aid of ₹ 50.80 crore during the year which was fully utilized.	Factual
	<p style="text-align: center;">Sd/-</p> <p>(Vijay N. Kothari) Principal Director of Audit (Shipping), Mumbai. Place : Mumbai Date : 27 October, 2025</p>	<p style="text-align: center;">(Madhuri Varade) Financial Advisor and Chief Accounts Officer Mumbai Port Authority Place : Mumbai Date : 20 November, 2025</p>

मुंबई पत्तन प्राधिकरण अस्वीकरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखों, उस पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेखा परीक्षा रिपोर्ट में विहित लेखापरीक्षा आपत्तियों / टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों का हिंदी संस्करण केवल जानकारी के लिए अंग्रेजी मूल का अनुवाद है. किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी मूल मान्य होगा.

MUMBAI PORT AUTHORITY DISCLAIMER

The Hindi version of the Annual Accounts for Financial Year 2024-25, Audit report thereon together with Action Taken Notes on Audit Objections/Observation contained in Audit Report Financial Year 2024-25 is a translation of the original in English for information purpose only. In case of the discrepancy, the English original will prevail.